खण्ड-320, अंक-2
मंगलवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1898
(23 मार्च, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 320 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय -सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	49–52
प्रश्नोत्तर	53–85
षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	85
लोक लेखा समिति (1974–75) का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	85
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	86
राज्य निराश्रित सहायता समिति के लिए तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	86–87
कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	87–88
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) ..	8 –133
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	133
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) ..	133–134
1975–76 का अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किया गया)	134
नत्थियां	135–155

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 23 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—306

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री एडवोकेट (उर्फ जिमी मियां)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नश्तर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री

गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दर्लासिंह यादव, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायण पाण्डेय, श्री
दीप नारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धमवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजु राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुहर्रमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री

भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्र
मुहम्मद सफीउरहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मुहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघु राज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणधीर सिंह, श्री

रफी उल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द, एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री

रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्रप्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायन पांडेय, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
विजय पाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शांति देवी यादव, श्रीमती
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पांडय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह,, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे।

———

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 23 मार्च, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बफर गोदाम, वाराणसी में खाद का गबन और अनियमित रूप से लदी हुई खाद की ट्रक का पकड़ा जाना

*1--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी बफर गोडाउन में सितम्बर-अक्तूबर, 1974 में आई हुई डाई अमोनियम फास्फेट, में असाधारण क्षति दिखा कर दस लाख रुपये का गबन किया गया है? यदि हां, तो वाराणसी रीजन के जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर में कितने परसेन्ट कमी दिखाई गई है? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने निदेशक, कृषि विभाग को 9 दिसम्बर, 1974 को एक पत्र भी लिखा था? उस पर क्या कार्यवाही की गई?

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)--

सितम्बर, 1974 में डी0 ए0 पी0 का कोई स्टाक बफर गोदाम, वाराणसी में प्राप्त नहीं हुआ। अक्तूबर-नवम्बर, 1974 में 15-10-74 से 4-11-74 तक डी0 ए0 पी0 प्राप्त हुई और लगभग 6,56,061 रु0 का गबन किया गया न कि 10 लाख रुपये का।

वाराणसी मण्डल के जौनपुर, गाजीपुर, बलिया एवं मिर्जापुर में क्षति शून्य है।

माननीय सदस्य के 9 दिसम्बर, 1974 के पत्र पर कृषि निदेशक द्वारा जांच करायी गयी। जांच में अनियमितता पाने के कारण बफर गोदाम इंचार्ज को निलम्बित कर दिया गया था।

*2--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बफर गोदाम, वाराणसी में फरवरी, 1975 में तीन हजार टन यूरिया खाद आई थी? दिनांक 26 फरवरी, 1975 को उप निदेशक, कृषि, वाराणसी ने तीन ट्रक चोरी से ले जाती हुई यूरिया खाद को रात 11 बजे पकड़ा? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई और क्या गोदाम को सील किया गया?

श्री चेतराम गंगवार--

जी नहीं। केवल 1107.088 टन यूरिया प्राप्त हुयी थी। उक्त तिथि को उप निदेशक कृषि, वाराणसी ने एक ट्रक जिस पर यूरिया एवं एन0 पी0 के0 खाद लदी हुयी थी वाराणसी गोदाम से बाहर जाते हुये रोका था। यह खाद चोरी से नहीं जा रही थी बल्कि प्रभारी, बफर गोदाम, जौनपुर द्वारा चालान संख्या 52/38, दिनांक 26-2-75 के आधार पर उर्वरक ले जाया जा रहा था।

ट्रक गोदाम के अन्दर बन्द कर दिया गया और गोदाम में बफर गोदाम के अतिरिक्त एक दूसरा ताला कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र से मंगवाकर लगा दिया गया जिसकी चाभी प्रक्षेत्र प्रबन्धक अधिकारी को दे दी गयी। गोदाम सील नहीं किया गया।

श्री ऊदल---

क्या माननीय कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 6,56,061 रुपये का गबन हुआ और उसमें सिर्फ बफर गोदाम इंचार्ज को निलम्बित कर दिया गया, तो जब जांच हुई तो इसके अलावा इसमें और कौन-कौन लोग शामिल पाये गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र वर्मा)---

बफर गोदाम इंचार्ज के अतिरिक्त श्री उदय दत्त मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी, श्री रामलखन पाठक, फार्म मैनेजमेन्ट आफिसर, श्री राम सेवक पांडे, अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, वाराणसी, ये सब दोषी पाये गये और इन सब को 28-10-75 को निलम्बित कर दिया गया।

श्री ऊदल---

क्या इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को मुकदमा चलाने के लिये कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब दी गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जी हां। 12-12-75 को आदेश कर दिये गये हैं और कृषि विभाग के अन्दर जो पुलिस सेल है वह इसकी जांच कर रही है। जल्द से जल्द अग्रिम कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है।

श्री ऊदल---

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के उत्तर में कहा गया है कि यह चोरी से नहीं जा रहा थी बल्कि प्रभारी बफर गोदाम, जौनपुर द्वारा चालान संख्या इतने के आधार पर, तो क्या अब इस तरह की खाद जाती है, तो सिर्फ चालान संख्या ही नहीं होती बल्कि और दूसरे कागजात उससे सम्बद्ध होते हैं और क्या वह कागजात जौनपुर से दिये गये थे ? यदि नहीं, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और नहीं दिये गये थे तो सख्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

यह बात सही है कि बिल जो इंचार्ज सीड स्टोर को देना था वह नहीं दिया गय था और रसीद जो जौनपुर के अधिकारी या कर्मचारी को देनी थी, वह भी नहीं दी गयी थी लेकिन चालान भरा गया था। इसी के ऊपर उसे पकड़ लिया और पकड़ करके सील बन्द कर दिया और फिर तमाम बातों की जांच की गयी। उसमें कुछ कमी मिली, 171 बोरों की कमी मिली। उसके ऊपर जांच की जा रही है और बहुत शीघ्र उसमें भी अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, माननीय ऊदल जी के प्रश्न में जौनपुर, गाजीपुर, बलिया के खाद गोदामों का भी जिक्र है। मुझे निश्चित जानकारी है कि खाद गोदाम बलिया के इंचार्ज जंगीराम मुअत्तल हैं और उन्होंने लाखों रुपये का मकान वाराणसी में खरीदा है और इस तरह के जितने लोग हैं उन सबने लाखों रुपये का बहुत बड़ी सम्पत्ति इकट्ठा कर ली। ये लोग पिछले 4-5 साल से 25 प्रतिशत खाद चोरबाजारी में बेचते हैं रहे हैं। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इसकी जांच करायेंगे और जांच के बाद गबन का मामला सिद्ध होने पर जो लोग मुअत्तल हैं या जांच के बाद जो अधिकारी गबन के जिम्मेदार पाये जायेंगे उनकी तनख्वाह से और उनकी अचल सम्पत्ति से सरकार मुआविजा वसूल करेगी ताकि जो क्षति हुई है और दुरुपयोग हुआ है, उसकी पूर्ति हो सके ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जितना माननीय सदस्य उम्मीद रखते हैं और जितना नियमानुसार मुमकिन होगा, उतना अवश्य किया जायगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या माननीय मंत्री ऐसे सभी अधिकारियों के खिलाफ जिसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट है, उन पर डी० आई० आर० के अन्तर्गत रिस्ट्रिक्शन लगाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं निश्चित जानकारी चाहता हूं कि उन पर डी० आई० आर० के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जायेगा या नहीं? (व्यवधान) मान्यवर, प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग पकड़े गये हैं जिनके ऊपर डी० आई० आर० का कोई चार्ज नहीं है लेकिन जहां लाखों रुपये के गबन में लोग शामिल हैं, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि उनके ऊपर डी० आई० आर० का मामला बनायेंगे या नहीं? क्या आपने ऐसे आफिसरों और पुलिस अधिकारियों को डी० आई० आर० से वंचित कर रखा है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप तो भाषण दे रहे हैं, कोई नियमानुकूल प्रश्न बनता हो तो आप पूछ सकते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

बिल्कुल नियमानुकूल है। उनके ऊपर आप डी० आई० आर० का मुकदमा कायम करेंगे या नहीं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

गबन का केस साबित हो जाने पर गबन का केस चलाया जायेगा प्रासिक्यूशन किया जायेगा और जहां तक नियम इजाजत देगा, वे सब कदम उठाये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

फिर उनका चालान डी०आई०आर० में क्यों नहीं कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(श्री त्रिवेणी सहाय के खड़े होने पर) जो जवाब आप चाहते हैं हम किसी को बाध्य तो कर नहीं सकते कि वे वही जवाब दें।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, प्रदेश में इतने बड़े-बड़े मामले हो रहे हैं, इस पर तो आपको भी ध्यान देना चाहिये.....

श्री अध्यक्ष--

राज्यपाल के अभिभाषण पर आपको इन सभी पर अपने विचार व्यक्त करने का समय मिलेगा। प्रश्नों के समय तो चुटकीले प्रश्न होने चाहिय।

श्री त्रिवेणी सहाय--

गबन के मामले पर या स्मगलिंग के मामले पर डी0आई0 आर0 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जायेगा । लकिन इस सरकार का यह रवैया है कि थानेदार को नहीं रखेंगे और किसी अफसर को डी0आई0आर0 में नहीं रखेंगे । अगर हिम्मत है तो आप असम्बली में कहें कि डी0 आई0 आर0 में उनको जरूर रखेंग । मरा क्लियर प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

आप अपने विचार व्यक्त कर रहे है । आप प्रश्न कर सकते है । आप कहते है कि प्रश्न है, आप चाहत है कि आप जो चाहते है वह जवाब आव ।

श्री बांकेलाल--

मान्यवर, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उनसे सही जबाब दिलवा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

"सही" जवाब कैसे हम दिलवा सकते हैं ? आप जो प्रश्न करेंगे उसका जवाब वह देंगे आप अपने प्रश्न करने की कला को जागृत करके सरकार को वाध्य कर दें ?

श्री त्रिवणी सहाय--

मान्यवर, अब सब कला बेकार है । कलाबाजी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, श्रीमन् ।

*3--श्री राम रेखा यादव--

[1ले सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 पर स्थानान्तरित]

क्रय-विक्रय सहकारी संघ, मथुरा एवं क्षेत्रीय सहकारी संघ, छटीकरा के चुनाव में अनियमितता

*4--ठाकुर राधा चरण सिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रय-विक्रय सहकारी संघ, मथुरा एवं क्षेत्रीय सहकारी संघ, छटीकरा के चुनाव नियमानुसार नहीं हुये है ? यदि हां, तो उक्त संचालक मंडल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

जी हां । चुनाव नियमानुसार नहीं हुये थे । अतः सम्बन्धित संचालक मंडलों को अवक्रान्त करके प्रशासक नियुक्त कर दिये गये हैं ।

*5--श्री सलाहउद्दीन उसमानी--

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित]

जिला परिषद्, गोरखपुर के स्वास्थ्य सेवा संबंधी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

*6--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित), श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् गोरखपुर ने अपने अधीनस्थ स्वास्थ्य सेवा से सम्बन्धित लगभग 50 कर्मचारियों की सेवा अभी हाल में ही समाप्त करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों ? प्रत्येक हटाये जानें वाल कर्मचारी कब से परिषद् की सेवा में हैं ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)---

जी हां, जिला परिषद्, गोरखपर ने अपने 43 स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का निर्णय इस आधार पर लिया है कि क्षेत्र समितियों में भी टीकाकारों की नियुक्ति हो जाने से जिला परिषदों में नियुक्त ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रही ।

प्रत्येक हटाये जाने वाले कर्मचारियों की सेवावधि का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 135-136 पर)

*7---श्री गोपाल दत्त ओझा---

[1ले शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित]

बदायूं जिले में अलापुर -ककराला सड़क का निर्माण

*8---श्री बृजपाल सिंह यादव (जिला बदायूं)---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को इसकी जानकारी है कि बदायूं जिले मे अलापुर-ककराला रोड जो कि त्वरित् योजना के अधीन बनी है उसे पूरा बना हुआ कहा जा रहा है जबकि अभी कुछ सड़क बाकी है और जो हिस्सा बना है वह बहुत खराब है तथा टूटने लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की जांच करवायेगी तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित करने की कृपा करेगी ?

श्री राम जी लाल सहायक---

प्रश्नगत मार्ग 5.6 किलोमीटर लम्बा है जिसमें से 5.4 किलोमीटर पर पेन्ट हो चुका है और शेष 200 मीटर पर कन्सालीडेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, किन्तु पेन्टिंग नहीं हुई है । कथित मार्ग को पूर्ण नहीं कहा गया है ।

इस मार्ग पर भारी वाहन बड़ी मात्रा में चलते है । जहां तक मार्ग निर्माण में धन के दुरुपयोग का प्रश्न है यह मार्ग तकनीकी कर्मचारियों के नियंत्रण में निर्धारित निर्दिष्टियों के अनुरूप बनाया गया है जिस मे केवल एक ही कोट का प्राविधान था । अतः इस पर किसी जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री बृजपाल सिंह यादव---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो पेंट नहीं हुआ है, रह गया है क्या उस काम को आगे बढ़ाने की कोई योजना है ? पेंट कराने का काम क्या आगे बढ़ाया जायगा ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां, वह तो हो रहा है ।

श्री बृजपाल सिंह यादव---

कब तक हो जायगा ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सड़क पर कब से काम शुरू हुआ और भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा कितना रुपया उस पर खर्च हुआ ? पी0डब्लू0डी0 विभाग के अलावा भी और विभागों ने काम किया है । जितना रुपया खर्च हुआ है वह किसी सूरत में नहीं होना

चाहिये था । तो इस पर आपने कहा है कि आवश्यकता नहीं है । इसमें बेईमानी हुयी है, वहां पर दुरुपयोग हुआ है तमाम पैसों का। मेरा कहना यह है कि कई विभागों ने पैसा खर्च किया है, आपने अपने विभाग का कह दिया होगा । जानकारी करने के बाद में चाहूंगा कि मंत्री जी इसका आश्वासन दें कि इसकी इन्क्वायरी करा देंगे या नहीं ? वहां पर एक रुपये की जगह पर पांच रुपये खर्च हुये हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक---

माननीय, माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो मैं जरूर करूंगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मैं यहां पर कह रहा हूं । प्रोसीडिंग में आ रहा है । आप कहें ।

श्री बृजपाल सिंह यादव---

माननीय, सड़क जो बनी है वह इस काबिल नहीं है कि उस पर कोई सवारी चल सके । जहां-जहां डामर लगा था वह बिल्कुल बेकार हो गया है । जो रुपया लगा है वह बिल्कुल निरर्थक हो गया है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

माननीय, जो निर्धारित मापदंड था उसके मुताबिक बन चुकी है । भारी वाहन चलते है, वह खराब जरूर हो गयी है, मरम्मत के लिये धन जुटाने की व्यवस्था की जा रही है । जब हो जायगी तब बनेगी।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

माननीय, क्या मंत्री जी जो सड़क बनी नहीं है उसकी क्या जांच करायेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया)

बदायूं जिले में त्वरित योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि

*9--श्री बृजपाल सिंह यादव---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जनपद में त्वरित् योजना के तहत कितना रुपया वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में स्वीकार हुआ, जनपद में कौन-कौन सडकें कितनी-कितनी लम्बी बनाई गईं तथा प्रत्येक सड़क पर कितना-कितना रुपया जिलाधिकारी ने व्यय किया ? क्या मेरी इस बात को सही मान कर कि इस योजना के अधीन जितना रुपया दिया गया उसका 1/3 भी योजना में सही व्यय नहीं हुआ, सरकार जांच करायेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

शासन द्वारा वर्ष 1972-73 में 4,56,000 रुपया तथा 1973-74 में 10,88,000 रुपया त्वरित योजना के अन्तर्गत बदायूं जनपद को आवंटित किया गया था । इस योजना के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों का विवरण व्यय सहित संलग्न तालिका में दिया है । इन परियोजनाओं पर कार्य तकनीकी कर्मचारियों के नियंत्रण में निर्धारित निर्विष्टियों के आधार पर कराया गया था, केवल वजीरगंज-उसैता मार्ग के कुछ भाग पर निर्माण-कार्य त्रुटि पूर्ण पाया गया जिसके लिये सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 137 पर)

श्री बृजपाल सिंह यादव---

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि आवश्यक कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी और उसकी सूचना हमको कब तक मिल जायेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, अधिकारी के खिलाफ जांच हो रही है और जैसा निर्णय होगा वह किया जायेगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

प्रश्न का नोटिस मार्च, 1975 का है और तब से एक साल बीतगया तो क्या वह नये चुनाव समाप्त हो जायेंगे तब इन्क्वायरी समाप्त होगी या कब तक इन्क्वायरी खत्म होगी दो महीने में या 4 महीने में ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, जल्दी ही इन्क्वायरी कराई जायेगी ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रश्नगत मार्ग त्वरित् योजना के अन्दर है, वह यही है या और भी प्रदेश के अन्दर बने है या मरम्मत के लिये है ?

श्री अध्यक्ष---

आप इतनी महत्वपूर्ण बात यदि कह रहें हैं तो उसको इसके पहले लिख कर देना उचित क्यों नहीं समझा ?

श्री बृजपाल सिंह यादव ---

बजीरगंज सड़ता का जो रुपया खर्च होना था उस पर पेंट आदि नहीं हुआ और वह रुपया पड़ा हुआ है तो क्या उसको फिर से बनाने की योजना है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मैंने निवेदन किया कि जो भाग रह गये हैं उनको धन की आवश्यकता है, उसपर विचार किया जा रहा है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, अभियंता के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है तो उसके खिलाफ क्या-क्या शिकायतें हैं, वह बता दें ?

श्री रामजी लाल सहायक--

त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य किया गया था । मतलब यह कि ओवरसियर उतना योग्य नहीं था जो बना लेता ।

श्री बृजपाल सिंह यादव---

मान्यवर, केवल ईंट बिछाई गयी है और रुपया मौजूद है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसको पूरा किया जायगा या नहीं ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मैंने पहले ही निवेदन किया कि रुपये की कमी है । जब धन उपलब्ध हो जायेगा तब ठीक किया जायेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष जी, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मंत्री जी ने कहा कि जांच ओवरसियर के खिलाफ की जा रही है। प्रश्न में यह है कि त्वरित योजना के अधीन सड़क पूरी नहीं हुई और जब सड़क कुछ है और जो बन गयी तो वह टूटी कैसे है। तो यह बता दें कि जितनी बनी है, वह बिल्कुल ठीक है या नहीं या जो प्रश्न किया है वह गलत है? यदि सड़क ठीक नहीं है तो टूटी है। इस प्रकार बिल्कुल साफ है कि या तो ठेकेदार ने गड़बड़ी किया या ओवसियर ने किया। अतः दंड की क्या व्यवस्था किया है कि जो धन की हानि हो रही है उसको ठेकेदार से वसूल करेंगे या ओवरसियर से ? इसको साफ-साफ बता दें ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर निर्णय लिया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय सदस्य ने इस सदन में कहा कि जो बन गयी है वह टूट गयी है, सरकारी पक्ष की ओर से जवाब आना चाहिये था कि टूटी नहीं है बिल्कुल ठीक है। बाकी जो नहीं बनी उसकी जांच करा सकते हैं। लेकिन जो सड़क बनी और टूटी गयी वह स्वतः स्पष्ट है। उसमें दंड की प्रक्रिया अपनानी है। उसकी आप क्या व्यवस्था कर रहें हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक --

उत्तर में कहा गया है कि एक कोट सड़क पर किया गया था लेकिन चूंकि वहां भारी वाहन चलते है इसलिये वह टूट गयी। उसकी जांच कर रहें हैं और जो दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रीनारायण--

मान्यवर, 30 लाख रुपये का मामला है मंत्री जी ने एक भी जवाब ठीक नहीं दिया, बनी और टूट गयी। जांच भी करनें के लिये वह तैयार नहीं हैं। क्या यह 30 लाख यों ही पानी में बह जायगा ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नही पुकारा गया)

*10-11--श्री अठई राम--

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

*12--श्री मोहन लाल कपूर--

[1ले शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित]

*13--श्री गिरिजा किशोर मिश्र --

[1ले शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 पर स्थानान्तरित]

*14--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित]

*15--श्री ऊदल--

[1ले शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर स्थानान्तरित]

बस्ती जिले के कप्तानगंज–दुबलिया एंव कप्तानगंज–टिनिच मार्ग के निर्माण में गड़बड़ी से सम्बन्धित अधिकारियों के स्थानान्तरण

*16—श्री मधुकर दिघे (अनुपस्थित) (जिला गोरखपुर) तथा श्री केशरी लाल (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सही है कि बस्ती जनपद में कप्तानगंज-दुबलिया मार्ग व कप्तानगंज-टिनिच मार्ग के लिये क्रय किया गया दो लाख रुपयों का सामान तारकोल तथा गिट्टी जो साइड पर पड़ा हुआ है व जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के लिए सहायक अभियन्ता (अल्प सिंचाई) बस्ती दोषी हैं और इस कारण इन्होंने अक्तूबर, 1974 में अपना स्थानान्तरण बाराबंकी जनपद को कराया था? यदि हां, तो बाराबंकी को हुआ स्थानान्तरण क्यों रद्द किया गया और सम्बन्धित सहायक अभियंता तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामजी लाल सहायक—

(1) जी नहीं, कप्तानगंज-दुबलिया या कप्तानगंज-टिनिच मार्ग के लिये क्रय किया गया दो लाख रुपया का सामान तारकोल तथा मिट्टी जो साइड पर पड़ा था, का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। इसके लिये सहायक अभियन्ता अल्प सिंचाई, दोषी नहीं हैं।

(2) श्री एस0 पी0 दीक्षित, सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई, बस्ती का स्थानान्तरण अक्तूबर, 1974 में बाराबंकी जनहित में प्रशासनिक दृष्टि कोण से किया था। इस स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उक्त सहायक अभियन्ता ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था।

(3) बस्ती में जिला अधिकारी द्वारा कार्यहित में अनुरोध करने पर यह स्थानान्तरण रद्द किया गया था।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

विकास क्षेत्र अधिकारी, दोस्तपुर, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच रिपोर्ट

*17—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—

प्रथम सत्र 1975 के 2रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक निबन्धक सहकारी समितियों की जांच में कौन-कौन से आरोप पूर्ण अथवा आंशिक रूप में साबित हुये हैं? क्या किसी अन्य अधिकारी ने भी इस मामले की जांच की है? यदि हां, तो उनकी जांच के परिणाम क्या रहे?

श्री रामजी लाल सहायक—

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों की जांच में जो आरोप पूर्ण अथवा आंशिक रूप से साबित हुये हैं उनके सम्बन्ध में जांच का निष्कर्ष परिशिष्ट 'क' पर है।

इस मामले में परगनाधिकारी, कादीपुर द्वारा भी जांच कराई गई थी।

संदर्भित आरोपों के सम्बन्ध में उनकी जांच के परिणामों का सारांश परिशिष्ट 'ख' पर देखें।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 138–139 पर)

*18—श्री गिरिजा शंकर पाठक—

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

आजमगढ़ जिले की साधन सहकारी समिति, बैरकडीह में गबन

*19—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक फूलपुर में सहकारी समिति संघ बैर डीह के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिल कर 1.50 लाख के करीब रुपया उसी गांव में गरीबों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर गत पांच वर्षों में निकाल कर हड़प लिया है जबकि अधिकांश गरीब उक्त समिति/संघ के सदस्य भी नहीं हैं ? उक्त गोल-माल की सूचना वसूली आने पर हुई जिससे गरीबों में भारी असंतोष है ? यदि हां, तो कब-कब किसके-किसके नाम कितना-कितना रुपया निकाला गया है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री विजय कुमार)—

वर्ष 1969-70 में वसूली के समय, बैरकडीह साधन सहकारी समिति, आजमगढ़ के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कुल मिला कर 51,761.90 रुपये का अपहरण प्रकाश में आया। इस धनराशि में से 46,050.00 रुपये की धनराशि संलग्न सूची में †उल्लिखित काल्पनिक सदस्यों एवं सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर बना कर निकाली गयी है। शेष रुपया 5,711.90 की धनराशि अन्य प्रकार से जैसे वसूली धनराशि तथा तहबील आदि के अपहरण की है।

श्री दयाराम भास्कर—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह से फर्जी काम हुआ और सिद्ध भी हो चुका है, तो क्या किसी की गिरफ्तारी हुई और अगर नहीं, तो कबतक होगी और वसूली कैसे होगी?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह पुराना मामला है। जब हमारे नोटिस में आया तो जितने लोग जिम्मेदार थे, उनको सस्पेंड करने के आदेश चले गये और जो धन दिया गया था, उसकी वसूली रोक दी गयी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

यह सस्पेंशन आर्डर किस तिथि को गया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह पुराना मामला है। जब हमारे नोटिस में आया तो आदेश दे दिये। यह पहुंच जायेंगे।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

कब आदेश दिया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

प्रश्न आने के बाद।

[मंगलवार, 23 मार्च, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*1-2—श्री अठई राम—

[2 विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त।]

*3—श्री हरिकेवल—

[7वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

---

†छापी नहीं गयी।

फर्रुखाबाद जिले के विकास खण्ड, कायमगंज के खाद गोदाम में गड़बड़ी की जांच

*4--श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या कृषि मन्त्री यह बतानें की कष्ट करेगें कि वर्ष 1974 में कायमगंज विकास खंड जिला फर्रुखाबाद के खाद गोदाम में 30 बोरी खाद की कमी हुई जिसे प्रदर्शन में वितरण दिखाकर उसका पूरा मूल्य सरकार से लिया गया जबकि उसका प्रदर्शन में वितरण ही नहीं हुआ ? यदि हां, तो इस विषय में क्या जांच व कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतराम गंगवार--

जी हां, साढ़े इकत्तीस बोरे यूरिया खाद की गड़बड़ी की गयी ।

इस मामले में जांच के उपरान्त दोषी पाये गये कर्मचारियों को दंडित किया गया तथा क्षति की वसूली संबंधित कर्मचारियों से किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें कौन-कौन से कर्मचारी दोषी पाये गये और उनको क्या दंड दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

भूतपूर्व अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी पैकेज और सहायक कृषि निरीक्षक, दो कर्मचरी दोषी पाये गये । 1716.75 पैसा उनसे वसूल किया जा रहा है और प्रतिकूल प्रविष्टि भी उनको दे दी गयी है । अयन्त्र उन्हें भेज दिया गया है । वहां से तबादला कर दिया है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि कब स्पष्ट आरोप सिद्ध हो गया कि उन अधिकारियों ने यह खाद बेच ली और उसका वितरण गरीब किसानों का प्रदर्शन में दिखला दिया और वे आरोप सिद्ध भी हो गये हैं तब उन अधिकारियों का शीघ्र ही सेवा से मुक्त करने की प्रक्रिया क्यों नहीं की गई ? सिर्फ उनका स्थानातन्तरण करने से ही उनकी छुट्टी क्यों कर दी गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं माननीय सदस्य के विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूं परन्तु इस पर पहलें से ही प्रक्रिया चल रही थी । मैंने यह कह दिया है कि उनसे रुपया वसूल किया जायगा और यह भी कहा है कि उन लोगों को कठोर दण्ड भी दिया जाना चाहिये । अब प्रश्न यह है कि क्या उनको, जब कि एक दण्ड दिया जा चुका है, दूसरा दण्ड भी दिया जा सकता है ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब हम 20-सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं और उसके लिये पूर्ण रूप से सजग हैं, जिसमें वीकर सेक्शन्स की मदद करने के लिये काफी बल दिया गया है, ऐसी स्थिति में भी मंत्री जी दकियानूसी कानूनों का सहारा ल रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट लोगों की रक्षा करते रहेंगे ?

श्री आंके लाल--

जो कुछ मंत्री जी ने कहा है वह भी 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ही आता है ।

श्री काशी नाथ मिश्र---

श्री त्रिपाठी तथा मंत्री जी ने भी कहा है कि उस पर यह आरोप सिद्ध हो गया है। यह तो इतना बड़ा जुर्म है कि खाद को बेच दिया और गरीब किसानों ने उसका प्रदर्शन भी कर दिया और खाद को बेच कर धन स्टोरकीपर ने ले लिया। ये सारे जुर्म साबित हो गये हैं। केवल स्थानान्तरण करने का इसमें क्या औचित्य है? माननीय मंत्री जी कृपया उस नियम का हवाला दें जिसके अन्तर्गत उस अपराधी कर्मचारी को सेवा मुक्त करने में बाधा पड़ रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैंने यह बताया कि जब कोई कर्मचारी किसी अपराध में एक बार दंडित कर दिया जाता है तो उसके बाद पुनः उसी जुर्म पर नया दण्ड दिया जाना कानून के अनुसार प्रतीत नहीं होता। फिर भी मैंने आज ही कहा है कि इसको अच्छी प्रकार से देखा जाये।

श्री बांके लाल---

स्थानान्तरण कोई दन्ड नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय सदस्य को यह भी मालूम होना चाहिये कि उसका एडवर्स इन्ट्री भी दी गई है और उससे धनराशि भी वसूल की जा रही है।

श्री बांके लाल---

इस प्रकार जो धोखा दे उस व्यक्ति को तुरन्त निकाल कर उसके विरुद्ध मुकदमा भी चलाया जाना चाहिये। आप तो 20-सूत्रीय कार्यक्रम में कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हटायेंगे तो यह क्या है?

श्री ऊदल---

माननीय कृषि मंत्री जी इस प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे कि जो नियम या उस नियम दन्ड देने के सम्बन्ध में है, उनको कृपया बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैं तो स्वयं इस बात पर विश्वास करता हूं कि यदि इस प्रकार का कोई भ्रष्ट कर्मचारी मिल जाता है तो ऐडवर्स इन्ट्री, वसूलयाबी के अलावा उसको सर्विस से भी अलग कर दिया जाना चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

जैसा मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने सरकारी रुपये का गबन किया, सरकारी माल बेच कर रुपया खा लिया तो इस पर उनके विरुद्ध सीधे सीधे 409 का मुकदमा चलाकर उनको मुअत्तल किया जाना चाहिये था इसमें कौन सा-नियम बाधक है जो केवल बैड ऐन्ट्री करने का ही आर्डर दिया गया और यह आदेश भी क्या पहले हो चुका था?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

ये ऐसे कर्मचारी हैं जिनके मामले मंत्री के पास तक नहीं आते हैं बल्कि मुख्य निदेशक के स्तर से ही हर प्रकार के आदेश पारित किये गये और जब यह प्रश्न आया तब सरकार के शासन के रूप में यह आया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

क्या सरकार निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिसने ऐसे भ्रष्टाचार के मामले को छिपाया और सरकार को धोखे में रखा, मामूली सी सजा देकर?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

ऐसे मामलों में विभाग के अधिकारियों का एक उद्देश्य रुपये की वसूली भी रहता है। इसके अलावा प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जाती है लेकिन जैसा मैंने बताया और अधिक कठोर दंड दिया जाना चाहिये था क्योंकि मेरी भी इससे तसल्ली नहीं हुई है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह मामला मेरे स्तर तक नहीं आता है और कृषि निदेशक तक ही रह जाता है। जिस प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी आदरणीय सदन के समक्ष दे रहे हों और जिसके लिये वह तैयार होकर आये हों तो उस प्रश्न के सम्बन्ध में क्या वह यह कह सकते हैं कि ऐसा प्रश्न उन तक नहीं आता है ?

श्री अध्यक्ष--

ऐसा नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह कहा कि कौन अधिकारी इस को करता है। सवाल के जवाब में उन्होंने यह बताया है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

उन्होंने कहा कि मंत्री स्तर तक वह मामला आता ही नहीं। जब इस आदरणीय सदन में एक प्रश्न हो गया तो क्या कोई मंत्री यह कह सकता है कि मंत्री स्तर तक वह प्रश्न नहीं आ सकता ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य इसका फर्क समझें जब यह कहते हैं कि इस स्तर तक कोई अधिकारी किसी चीज की देखभाल के लिये शासन द्वारा उत्तरदायी और सक्षम बनाया गया है तो इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि मंत्री जी ने यह कह दिया कि वह मंत्रि परिषद् की जिम्मेदारी से अलग कोई दूसरा राज्य है। इसलिये माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको मैं रूल आउट करता हूं।

श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

जो कार्यवाही इन कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी है क्या वह दंड की परिधि में आती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

प्रतिकूल प्रविष्टि किया जाना तथा उनसे जो रुपया वसूल किया जा रहा है वह दंड के परिधि में ही है।

(बीच में एक माननीय सदस्य के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया और उनका उत्तर भी माननीय मंत्री नहीं दे पाये थे और आप बीच में खड़े हो कर बोलने लगें तो आप मंत्री जी को बचाने के लिये खड़े हुये हैं या उनसे कुछ पूछने के लिये ? उन्होंने यह कहा है कि क्या वह दंड की परिभाषा में आता है या नहीं।

(शासन पक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

मालूम पड़ता है कि इधर अब अधिक विवेकहीनता है। सवाल यह है कि आप एक दूसरे के जवाब के रास्ते में आते हैं। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि सदन को

संयम और अनुशासन से चलाने की धीरता का आप परिचय दें । यह खराब बात है कि आप लोग एक साथ पांच-पांच और दस-दस की तादाद में खड़े हो जांय और अपने ही दल के सदस्य के रास्ते में रुकावट पैदा करें । यह कौन सी संसदीय पद्धति है, यह कौन सा तरीका है ? क्या यही तरीका है 20 सूत्री योजना का ? यही अनुशासन है ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप अपने ही विचार के प्रति विनयशील हैं तो आप एक-एक करके मंत्री जी से जो सवाल माननीय जयनारायण सिंह जी ने किया है उसे सुनें । लेकिन ढाकने की कोशिश हो रही है । उन्होंने सवाल किया है कि क्या जो अब तक कार्यवाही हुई है वह दंड की परिधि के अन्तर्गत आती है अथवा नहीं आती है । यह एक उपयुक्त और प्रासंगिक सवाल है और संसदीय पद्धतिमें इसका महत्व है । इसका जवाब आना चाहिये ।

श्री बांके लाल--

मान्यवर, क्या करें, विनाशकाले विपरीत बुद्धि । इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, दंड की परिधि में आता है और दंडित भी उसको किया गया ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अभी कहा है कि जो दंड, सम्बन्धित कर्मचारी को दिया गया है, उससे वे संतुष्ट नहीं हूं तो क्या माननीय कृषि मंत्री जी उससे आगे कदम उठायेंगे और कृषि निदेशक को कार्यवाही करने के लिये लिखेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिस प्रकार के ये कदम अब से पूर्व उठाये जाते रहे हैं कि किसी ने गबन कर लिया, उसे दंडित कर दिया, फिर रीइंस्टेट कर दिया, रुपया वसूल हो गया, इससे मैं सहमत नहीं हूं और ऐसे लोगों को विभाग में नहीं रहने दिया जायगा ।

श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोंडा)--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो पैसा गबन किया गया था, वह जमा हो गया और उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है । मेरा निवेदन है कि क्या वह 409 के अन्तर्गत नहीं आता है ? क्या उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ? ला में यह है कि यदि कोई, गबन कर ले और उसका पैसा भी जमा कर दिया जाय तब भी वह जुर्म है । तो पैसा जमा करने के बाद उनको क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया । शायद माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं सुना । मैं आज ही यह कह कर आया हूं कि क्या इसके अतिरिक्त कोई कठोर कार्यवाही नियमानुसार उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती है, यह मुझे बताया जाय ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या माननीय कृषि मंत्री यह बतायेंगे कि जैसा अभी माननीय काशीनाथ जी मिश्र के उत्तर में उन्होंने कहा है कि यह मामला उन तक नहीं लाया गया । मैंने गत अप्रैल, 75 कृषि मंत्री के सामने बहस के दौरान यह मामला रखा था और उन्होंने जांच के लिये वह दे दिया था । तो जब माननीय मंत्री जी ने आरोप-पत्र पर जांच के लिये लिख दिया था तब कैसे यह मामला उन तक नहीं आया ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा--

माननीय, मैंने पहले ही यह बता दिया है। चूंकि इन अधिकारियों को नियुक्ति, दंड आदि का जो अधिकार है वह कृषि निदेशक को है। अतः वहां से उनको दंड दिया गया। मेरे पास आया था मैंने उसे भेज दिया कि उचित कार्यवाही की जाय। दंड देना कृषि निदेशक के स्तर का है।

*5--श्री रामपति--

[1ले सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 33 पर स्थानान्तरित।]

*6--श्री रामपति--

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 27 पर स्थानान्तरित।]

बांदा जिले के कृषि अधिकारी के विरुद्ध भष्टाचार के आरोपों की जांच

*7--श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)--

क्या कृषि मन्त्री को कृषि अधिकारी, बांदा के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचारों के आरोप लगाते हुए बुन्देलखंड के उर्वरक विक्रेता श्री बी0 बी0 लश्करी, निवासी रामलीला मैदान, बांदा का रजिस्ट्री द्वारा प्रेषित दिनांक 8 सितम्बर, 1975 ई0 का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कृषि अधिकारी के विरुद्ध क्या आरोप लगाये हैं? सरकार द्वारा उच्च अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री चेतराम गंगवार--

जी हां।

आरोप इस प्रकार हैं :--

(1) खाद के लाइसेन्स के देने में अनियमितता करना और अनावश्यक परेशान करना तथा रिश्वत मांगना,

(2) कार्यालय के लिपिकों द्वारा रिश्वत न देने पर उनकी पदावनति व तबादले करना,

(3) अपने रिश्तेदारों की अवैधानिक नियुक्तियां करना।

आरोंपों की जांच की जा रही है।

श्री देव कुमार यादव--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा कृषि अधिकारी, बांदा कितने साल से वहां कार्यरत हैं? उनका तबादला वहां से कितनी बार हुआ और कितनी बार वह रोका गया?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन 1973 से वह अवश्य वहीं पर हैं।

श्री देवकुमार यादव--

मेरी जानकारी है कि 5 वर्ष से ऊपर हो गये हैं और इस बीच उनका तबादला हुआ और किसी उच्च अधिकारी ने स्थानान्तरण रोक दिया और इस बीच उन्होंने कई लाख रुपया पैदा किया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस दौरान उन्हें क्यों नहीं हटाया गया और क्या अब भी हटाने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

इसमें संयुक्त निदेशक, दलहन से जांच कराई गई। शिकायतों की जांच में अवश्य विलम्ब हुआ है, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। संयुक्त निदेशक की रिपोर्ट मुझे नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन जिस प्रकार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और मैंने जो देखा है उस पर कार्यवाही रिपोर्ट के आने के बाद ही होगी और उचित निर्णय लिया जायगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

काफी अर्से से वह अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर इनक्वायरी हो इसके लिये उनको वहां से ट्रांसफर करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

ट्रांसफर तो मई जून में होंगे ही उस वक्त इनका भी ट्रांसफर होगा। जहां तक ऐक्शन का सवाल है, संयुक्त निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर ऐक्सन लिया जायेगा और तबादला भी होगा।

श्री देवकुमार यादव--

यह अधिकारी जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं अतः मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो इसके लिये उनको वहां से क्यों नहीं हटाया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उन्होंने बता दिया है।

श्री ऊदल--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त निदेशक दलहन ने कोई अंतरिम रिपोर्ट भी भेजी है ? यदि भेजी है, तो वह क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मुअत्तल रिपोर्ट उन्होंने दे दी है। शासन को अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन निदेशालय में आ चुकी है।

श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह तय हो चुका है माननीय मुख्य मंत्री की सीट पर कोई माननीय सदस्य नहीं बैठेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, उसका पालन नहीं होता।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, नहीं बैठना चाहिये। यह तय हो चुका है कि नेता विरोधी दल और नेता सदन की कुर्सी पर कोई नहीं बैठेंगे (व्यवधान) मंत्रि परिषद् के गठन से मेरा कोई संबंध नहीं, अगर रातों रात श्रीमती मोहसिना किदवाई मुख्य मंत्री बन जायं, उससे मेरा संबंध नहीं।

लघु उद्योग मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)--

मुझे अफसोस है लेकिन मान्यवर, मुझे जरूरी एक बात कहनी थी।

श्री अध्यक्ष--

पीछे से बात कर सकती हैं।

*8--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[1ले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 34 पर स्थानान्तरित।]

*9--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[1ले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 35 पर स्थानान्तरित ।]

*10--श्री बिमल प्रसाद तिवारी--

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 पर स्थानान्तरित ।]

*11--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[2रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर स्थानान्तरित ।]

*12--श्री रामेश्वर नाथ चौबे--

[2रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 21 पर स्थानान्तरित ।]

*13--श्री इन्द्र लाल--

[1ले सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 36 पर स्थानान्तरित ।]

*14--श्री इन्द्र लाल--

[2रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 पर स्थानान्तरित ।]

आजमगढ़ जिलान्तर्गत सहकारी खाद गोदामों से खाद का वितरण

*15--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के विभिन्न भागों में सहकारी खाद गोदामों से गत रबी की फसल के लिये हजारों मैट्रिक टन खाद किसानों को वितरित की गई तथा कितनी मैट्रिक टन खाद पुरानी दर, बाकी नई दर से बेची गई और क्या नई दर से बेची गई खाद का लाखों रुपया किसानों को वापस किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय कुमार--

जिला आजमगढ़ के विभिन्न भागों में गत रबी की फसल के लिये कुल 3,191 मैट्रिक टन रसायनिक खाद किसानों को वितरित की गई। पुराने दर पर कोई खाद गत रबी में उपलब्ध नहीं थी इसलिये पुराने दर की खाद को नये दर से बेचने तथा पैसा वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जिले की विकास क्षेत्र समिति, जलालाबाद द्वारा पारित प्रस्ताव

*16--श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर की विकास क्षेत्र समिति, जलालाबाद ने अपनी दिनांक 24 फरवरी, 1975 की मीटिंग में क्या-क्या प्रस्ताव पास किये और ग्राम सभा खंडहर व ग्राम हारकरेरा के विषय में जो प्रस्ताव पास किया उसको क्षेत्र विकास अधिकारी ने दिनांक 13 मार्च, 1975 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अपनी संस्तुति के साथ जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को भेजा ? उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा क्षेत्र विकास अधिकारी की रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

दिनांक 24-2-1975 को विकास क्षेत्र समिति जलालाबाद की बैठक में पास किये गये प्रस्ताव:--

(1) ब्लाक में उपलब्ध सीमेंट की मात्रा अधिकतर अत्य सिंवाई कार्यों के लिये ही दी जाय ।

(2) सहायक विकास अधिकारियों के बैठने हेतु निर्मित कक्ष काफी बड़ा है। अतः इस कमरे में स्थाई दीवार का निर्माण कराकर उसमें प्रमुख जी के बैठने के लिये एक कक्ष की व्यवस्था करा दी जाय और क्षेत्र निधि में उपलब्ध धन का व्यय इस कक्ष के निर्माण, सूचना केन्द्र एवं प्रमुख जी व सहायक विकास अधिकारियों के कमरों में छः सीलिंग पंखों की व्यवस्था पर किया जाय।

(3) क्षेत्र समिति कार्यालय पर उपलब्ध भूमि की वर्तमान प्रचलित शर्तों पर बटाई पर उठा दिया जावे और उसकी आय-व्यय का लेखा जोखा रखने का पूरा उत्तरदायित्व सहायक विकास अधिकरी (कृषि) को सौंपा जाय एवं क्षेत्र विकास अधिकारी भूमि को अधिक सुन्दर बनाने का प्रयास करें।

(4) ग्राम हार कठेठा ग्राम सभा खण्डहर में सम्मिलित रहने दिया जाय और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जावे।

(5) ग्राम सभा विजयपुर नगरियों में हरिजन कूप का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय। ग्राम सभा खण्डहर तथा ग्राम हार कठेठा के विषय में पारित प्रस्ताव क्षेत्र विकास अधिकारी, जलालाबाद के दिनांक 13-3-75 को जिलाधिकारी की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित नहीं किया। वरन् क्षेत्र विकास अधिकारी ने क्षेत्र समिति के प्रस्ताव व अन्य तथ्यों का विश्लेषण कर अपनी यह संस्तुति की कि ग्राम सभा खण्डहर पूर्व से ही एक बड़ी गांव सभा है। अतः हार कठेठा को गांव सभा खण्डहर से निकालना अनुपयुक्त न होगा।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में गबन तथा जनपदीय स्तर पर सहकारी बैंकों द्वारा फर्जी ऋणों का वितरण

*17--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में 20 सितम्बर, 1975 तक कितनी धनराशि के गबन का मामला प्रदेश में प्रकाश में आया है और इस सम्बन्ध में जिलेवार कितने व्यक्ति पकड़े गए? क्या यह सही है कि साधन सहकारी समितियों के माध्यम से फर्जी नामों पर सहकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा धन प्राप्त कर लिया गया और अब वह धन उन सम्बन्धित भूमिहीन व गरीब कृषकों से वसूला जा रहा है? यदि हां, तो सरकार गलत कर्जे की वसूली को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री विजय कुमार---

प्रश्न में उल्लिखित तिथि तक उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में किसी भी धनराशि के गबन का मामला प्रकाश में नहीं आया अतः किसी व्यक्ति के पकड़े जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जनपदीय स्तर पर स्थित सहकारी बैंकों के अधीन कार्यरत कुछ पर्यवेक्षकों द्वारा फर्जी ऋण वितरण करने में भाग लिये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं परन्तु उस धन की किसी भूमिहीन व गरीब कृषकों से वसूली किये जाने की सूचना नहीं है।

गलत कर्जे की जानकारी होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है जिसमें समुचित साक्ष्य उपलब्ध हो जाने पर गलत कर्जा दिखाने के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तथा कर्जदार को कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋण वितरण की जांच में भी फर्जी ऋण के लिये उत्तरदायी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मंत्री जी, का जवाब सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। 25 सितम्बर के 'स्वतन्त्र भारत' में बड़ी-मोटी मोटी हेडिंग में उनके गबन का मामला छपा है कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में 3.61 करोड़ का गबन है और प्रदेश के सहकारी बैंकों में कितना गबन हुआ और कितने-कितने कौन-कौन

लोग पकड़े गये । जबकि आज मंत्री जी कहते हैं कि कोई मामला पकड़ा ही नहीं गया और न प्रकाश में आया । स्पष्ट है कि मंत्री जी ने जानबूझ कर इस मसले को छिपाया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, अखबार में छपी घटना के आधार पर यह प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री त्रिवेणी सहाय---

तो मेरा कहना है कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में भारी गोलमाल है और इस संबंध में इन्होंने गलत रिपोर्ट दी है और गोंडा के बैंकों में भी लाखों रुपयों का गोलमाल है, तो क्या मंत्री जी इसकी फिर से जांच करायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कुछ भ्रान्ति है । इनका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक म 20 सितम्बर, 1975 तक कितनी धनराशि के गबन का मामला प्रदेश में प्रकाश में आया है, तो यह उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक जो है वह जिले के सहकारी बैंकों से भिन्न है, इसका उनसे अपने ताल्लुक नहीं है । उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के गबन के बारे में आपने प्रश्न किया जिसका लखनऊ में हेड आफिस है तो मैंने कहा 'हां' हुआ, तो अब मेरा इसमें क्या कसूर है । आपने जो दूसरे जिलों के बारे में बहुत विस्तृत प्रश्न किया है उसके बारे में मैंने कहा है कि कुछ दूसरे बैंकों के जिलों के मामले सामने आये हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

अब यही पहले तय हो जाए कि हमने क्या प्रश्न किया है ? हमने इसमें यह भी कहा है कि जिलेवार कितने-कितने लोग पकड़े गये । उन्होंने इसका अर्थ उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक से लगा लिया ? मेरा स्पष्ट सवाल था मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी जिले के गबन का विवरण आपके पास है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

आप पहले अपने प्रश्न को पढ़ लें। आपका प्रश्न है---"क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में 20 सितम्बर, 1975 तक कितनी धनराशि के गबन का मामला प्रदेश में प्रकाश में आया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, बैंक हैं । प्रदेश के बैंकों में कितना गबन हुआ, मैंने यह सवाल दिया था । इसमें गलत छपा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---

अच्छा तो यह आप लिख कर फिर से दे दें, उसको स्थगित कर दूंगा ।

श्री काशी नाथ मिश्र---

मान्यवर, पहले ये प्रश्न करना तो सीख लें ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

माननीय काशी नाथ मिश्र हमको प्रश्न करना सिखाने आये हैं ।

श्री काशी नाथ मिश्र---

बिल्कुल सिखायेंगे ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

हमको सिखाने के लिये आये हैं।

श्री अध्यक्ष---

या तो हम आगे चलें या तो इस सवाल को स्थगित कर दें, क्योंकि इसको फिर से लिखना पड़ेगा आपको। अब मूल भी मैंने मंगाया है। अब मूल प्रश्न जो आपका लिखा हुआ है, उस पर आपके हस्ताक्षर हैं, इसमें भी आपने उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिखा है, बैंकों नहीं लिखा है।

श्री ऊदल---

इनकी कुछ आजकल बुद्धि ऐसी ही है।

श्री अध्यक्ष---

इसको आप फिर से कर लें। सवाल अब यह स्थगित नहीं है। फिर से प्रश्न कर लें।

*18---श्री बाबू लाल वर्मा---

[6 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित।]

*19---श्री ऊदल---

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

*20---श्री अनवार जमील---

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 28 पर स्थानान्तरित।]

*21---श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव---

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

आजमगढ़ जिले के विन्द्राबाजार कोआपरेटिव के हिसाब-लेखे की जांच

*22---श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या सहकारिता मन्त्री दिनांक 1 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 और 10 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर कितनी बार जांच करने गये और क्या यह सही है कि उनकी जांच के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने स्पेशल सचिव, सहकारिता के यहां पत्र लिख कर दूसरे अधिकारी से जांच कराने के लिए निवेदन किया था और फलस्वरूप जिलाधिकारी आजमगढ़ को जांच सुपुर्द कर दी गई है। यदि हां, तो अब तक का परिणाम क्या है? यदि जांच नहीं की गई, तो क्यों?

श्री विजय कुमार---

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 140 पर)

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संलग्नक के अनुसार उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी दो बार आजमगढ़ जांच करने गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि दो बा की जांच उनकी क्या है, बताने की कृपा करेंगे?

श्री विजय कुमार--

अब इसके लिए जो सूचना की आवश्यकता है ? उनकी विस्तृत जांच क्या है, उसको मंगा कर तब सूचना दी जा सकती है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

अध्यक्ष जी, जरा आप हमारी मदद करें । दो बार जांच करने गये इनके पास कोई कार्यवाही नहीं है कि क्या जांच करने गये ? अध्यक्ष जी, इनके पास मामला 3 साल से है । तीन साल तक जांच नहीं हो सकती है । दूसरा सवाल ये बता दें ? परगनाधिकारी गोहना ने जांच की है, उनकी जांच रिपोर्ट आपके पास क्या है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

मान्यवर, काफी लम्बी रिपोर्ट है । इसको हम दिखा देंगे ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मान्यवर, उसको पढ़कर सुना दें ।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

मान्यवर, अगर आप कहें, तो पूरा पढ़ दूं ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मान्यवर, मुख्य-मुख्य तो पढ़ ही देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष---

खास-खास शिकायतें क्या हैं, 2-4 बता दीजिये ।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

उन्होंने कहा कि जो खाद का वितरण हुआ था उसमें बहुत सी जगह खाली थी, बाद में उसको भर दिया गया है । यही उसमें खास बात थी ।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

जब माननीय मंत्री जी को मालूम हो गया और सरकार के पास रिपोर्ट आयी है और वह सही भी है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरे अधिकारियों से अब जांच कराने की क्या आवश्यकता है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

मान्यवर, परगनाधीश ने जांच की और उसमें गलती पायी गयी । जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनको चार्जशीट देनी पड़ेगी और जवाब तलब करना होगा । इस बात के लिए परगनाधिकारी सक्षम अधिकारी नहीं है । इसीलिये दूसरे अधिकारियों से जो सक्षम अधिकारी हैं, से जांच करायी जा रही है । और उसके बाद सजा दी जायेगी ।

श्री राम सुन्दर पांडेय---

क्या सरकार बतायेगी कि जांच की कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो जाये ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

खाद के सम्बन्ध में गबन के कई प्रश्न आये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसको रोकने के लिये क्या कर रहे हैं। 31 मार्च, 1973 तक 6 करोड़ रु0 की मांग की गयी है राइट आफ करने की यह आडिट आपत्ति है। तो विभाग उसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है? अगर ऐसे ही चीजें आइन्दा होती रहीं तो क्या आप उनको रोकथाम करेंगे?

श्री काशी नाथ मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इनका (असरार अहमद) का प्रश्न श्रीराम सुन्दर पांडेय के प्रश्न से क्या सम्बन्ध रखता है? इनको तो काल अटेन्शन की सूचना देना चाहिये?

श्री अध्यक्ष---

वह सचेत कार्यवाही करेंगे।

वाराणसी कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा प्राप्त की गयी खाद और उसका वितरण

*23---श्री ऊदल---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी कोआपरेटिव फेडरेशन को 1972-73 तथा 1973-74 में किन-किन फैक्टरियों से कौन-कौन सी खाद कितनी मात्रा में मिली थी और उसका वितरण कैसे किया गया? क्या 1974 में जब खाद का दाम बढ़ा तो उसके पास स्टाक में सैकड़ों टन खाद वितरण करने को रह गई थी? जिसको पुराने रेट पर नहीं बांटा गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री विजय कुमार---

वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में वाराणसी कोआपरेटिव फेडरेशन को किसी भी फैक्ट्री से कोई खाद नहीं प्राप्त हुई अतः वर्ष 1974 में जब खाद का मूल्य बढ़ा तो पुराने स्टाक की कोई खाद संघ के पास अवशेष न थी। अतः उसे पुराने या नये दर पर वितरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब फैक्ट्री से खाद नहीं प्राप्त हुई तो क्या फेडरेशन खाद का रोजगार करता था?

श्री विजय कुमार---

उस वर्ष खाद का काम नहीं किया।

कानपुर जिले की साधन सहकारी समिति लिमिटेड जोत ब्लाक का चुनाव

*24---श्री अनवार जमील (जिरा फर्रुखाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साधन सहकारी समिति लिमिटेड, जोत ब्लाक रसूलाबाद, जिला कानपुर के चुनाव सम्बन्धी पच निर्णय 1973 का फैसला एस 0डी0ए 10, डेरापुर, जिला कानपुर द्वारा अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है?

श्री विजय कुमार---

जी हां ।

इसका मुख्य कारण यह है कि एस० डी० एम० द्वारा साक्ष्य हेतु बुलाये गये अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके । एस० डी० एम० के स्तर से निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही जारी है ।

श्री अनवार जमील---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक इसका निस्तारण हो जायगा, 3 वर्ष तो हो चुके हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

यह आदेश अब चला गया है । जिस बी० डी० ओ० को आना था, वे नहीं आये थे । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट स कहा है कि वे उनको भेज दें ।

*25---श्री बाबू लाल वर्मा---

[10वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 पर स्थानान्तरित ।]

भूमि विकास बैंक, बहराइच द्वारा श्री रामदीन निवासी गलकटवा के अंशधन की वापसी

*26---श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या सरकार को यह जानकारी है कि ग्राम गलकटवा, विकास खंड हरिहरपुर रानी, जनपद बहराइच के रामदीन आदि कई सदस्यों ने भूमि विकास बैंक बहराइच की बैंक सदस्यता से वर्ष 1970 में त्याग-पत्र दे दिया है और अपने-अपने जमा हिस्से की रकम की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक उक्त सदस्यों की जमा धनराशि को वापस न करने का क्या कारण है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

जी नहीं । श्री रामदीन पुत्र बिहारी निवासी ग्राम गलकटवा का बैंक सदस्यता से त्यागपत्र शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक, बहराइच ने दिनांक 29-7-75 को विशेष पत्रवाहक भेजकर प्राप्त किया तथा 120 रु० (एक सौ बीस रु०) अंशधन दिनांक 27-11-75 को वापस कर दिया गया है ।

कानपुर के विकास खण्ड रसूलाबाद के बी० डी० ओ० के विरुद्ध आरोप पत्र

*27---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

विधान सभा के दिनांक 1 अप्रैल, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या [illegible] के उत्तर के संन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन बी० डी० ओ०, रसूलाबाद ने जो गबन किया है उसके सम्बन्ध में जो आरोप-पत्र कृषि उत्पादन आयुक्त को भेजा गया है उसे सदन के पटल पर रखेंगे तथा गबन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? उसमें देर किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

आरोप-पत्र सदन के पटल पर रखना उचित नहीं होगा । यह आरोप-पत्र संबंधित अधिकारी पर तामील करा दिया गया था । तदुपरान्त नियमानुसार जांच की जा रही है । जांच शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है ।

नोट :---तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*28—श्री हरिकेवल—

[7वें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर स्थानान्तरित।]

*29—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 पर स्थानान्तरित।]

*30-31—श्री श्रीनारायण—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

कृषि विभाग के सेवामुक्त अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को खपाने की मांग

*32—श्री दयाराम भास्कर—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि धनाभाव के कारण 1,400 अमीन, चपरासी आदि कर्मचारियों की पूरे उत्तर प्रदेश में छंटनी कर दी गई है ? यदि हां, तो उनमें से कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं तथा उन्हें खपाने की कोई योजना सरकार बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कृषि विभाग के अन्तर्गत 5,800 अमीन एवं 5,800 चपरासी के पद स्वीकृत थे। यह सभी पद 1-9-75 से समाप्त कर दिये गये हैं क्योंकि इनके चलते रहने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। इन पदों को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कार्यरत समस्त कर्मचारियों को सेवामुक्त करना पड़ा। सेवामुक्त कर्मचारियों में से 1473 व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे और इन्हें खपाने की कोई विशिष्ट योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

*33—श्री प्रेम दत्त—

[3रे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 39 पर स्थानान्तरित।]

प्रतापगढ़ में कृषि विभाग द्वारा खाद के आवंटन में तथाकथित घोटाला

*34—श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गत वर्ष प्रतापगढ़ कृषि विभाग द्वारा खाद के आवंटन में लाखों रुपये का घोटाला हुआ था ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

गत वर्ष (1-4-74 से 31-3-75 तक) प्रतापगढ़ में कृषि विभाग द्वारा खाद के आवंटन में कोई घोटाला नहीं पाया गया। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पोषण कार्यक्रम में प्रशिक्षित महिलाओं को नौकरी न मिलना

*35—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या शासन को ज्ञात है कि वर्ष 1973-74 में प्रदेश के नियोजन विभाग द्वारा 50 महिलाओं को ए० डी० ओ० (नियोजन) की ट्रेनिंग कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या इनको नौकरी दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक--

जी हां, वर्ष 1973-74 में भारत सरकार के 'हाफ-ए-मिलियन जाब्स' कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 50 महिलाओं को पोषण कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के उपरान्त एक पर्वतीय क्षेत्र की महिला को सहायक विकास अधिकारी (महिला) के पद पर नियुक्त किया गया। शेष को नौकरी नहीं दी जा सकी क्योंकि भारत सरकार से वांछित धन उपलब्ध नहीं हो सका ।

*36--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[18-3-75 को उत्तरित हो जाने के कारण निरस्त ।]

फतेहपुर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार में घाटा, कमी एवं गबन

*37--श्री जय नारायण सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद के फतेहपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार में प्रारम्भ से प्रश्न की तारीख तक कितने का घाटा (शार्टेज) व गबन है ? यदि हां, तो गबन व शार्टेज के जिम्मेदार व्यक्ति कौन-कौन हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

फतेहपुर थोक व फुटकर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0 में प्रारम्भ से प्रश्न की तिथि (13-11-75) तक 1,78,642-70 रु0 का घाटा, 27,09·-58 रु0 की शार्टेज तथा 6,949-76 रुपये का गबन हुआ है। गबन का जिम्मेदार भंडार का एक भूत-पूर्व विक्रेता है जिसके बिरुद्ध दिनांक 9-4-73 को थाना कोतवाली फतेहपुर में एफ आई0 आर0 दर्ज कराई गई और इस समय माल न्यायालय में बिचाराधीन है। शार्टेज के जिम्मेदार भंडार के तत्कालीन आठ विक्रेता हैं जिनके बिरुद्ध नियमानुसार सालसी कार्यवाही की जा चुकी है और मध्यस्थ निर्णय के अनुसार संबन्धित व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

*38--डाक्टर मलखान सिंह--

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 29 पर स्थानान्तरित ।]

*39--श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी--

[दूसरे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 29 पर स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले के धानी बाजार सहकारिता समिति के विरुद्ध गबन सम्बन्धी शिकायतें

*40--श्री लक्ष्मी नारायण पान्डेय (जिला गोरखपुर)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता समिति, धानी बाजार जिला गोरखपुर में लाखों रुपये गबन करने, ऋण पत्रों पर जाली अंगूठों के निशान बनवाने तथा दस्तखत शुदा सादे प्रोनोटों का बंडल पकड़े जाने के संबन्ध में दिनांक 10 अप्रैल, 1974 को शिकायती दरख्वास्तें शासन को भेजी गई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

जी नहीं ।

*41--श्री सोहन लाल धुसिया--

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 30 पर स्थानान्तरित ।]

*42--श्री सोहन लाल धुसिया--

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 पर स्थानान्तरित ।]

आजमगढ़ के कस्बा सरायमीर में बस स्टेशन कायम करने की मांग

*43--श्री दयाराम भास्कर--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के किन-किन विधायकों ने जुलाई, 1974 से जुलाई, 1975 तक किन-किन तारीखों को आवेदन-पत्र शाहगंज (जौनपुर) से होकर आजमगढ़ तक जाने-आने वाली बसों का बस स्टाप, बस स्टेशन कस्बा सरायमीर में कायम करने व रात व दिन की बसों को रुकने के लिए दिया है? यदि हां, तो अब तक उन आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई?

परिवहन मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 1975 एवं 20 मई, 1975 तथा एक संयुक्त पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1975, जिस पर माननीय सदस्य के अतिरिक्त सर्वश्री मोहम्मद मसूद खां, भाभी यादव तथा विश्राम सिंह आदि के हस्ताक्षर थे, इस संबंध में प्राप्त हुए थे। सरायमीर में दिन में संचालित 17 अप व 17 डाउन, जिनमें आजमगढ़-लखनऊ (1 अप व डाउन) मेल सेवा भी सम्मिलित है, बसें रुकती हैं। लेकिन रात्रि मेल सेवाओं को वहां पर नहीं रोका जाता है क्योंकि सरायमीर एक साधारण स्थान है और वहां पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। साथ ही सरायमीर एक फेयर बस स्टाप है, लेकिन उसकी दैनिक आय इतनी नहीं है कि वहां पर बस स्टेशन कायम किया जा सके।

मिनी बसों के चलने पर रोक लगाने के फलस्वरूप राज्य सड़क परिवहन निगम की आय में वृद्धि

*44--श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मिनी बसों के अवैध रूप से चलने पर रोक लगाने के बाद, दिनांक 1 नवम्बर 1975 से 31 दिसम्बर, 1975 तक यू0पी0 स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की आय में वृद्धि हुई? यदि हां, तो कितनी?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

उत्तर प्रदेश में मिनी बसों के अवैध रूप से चलने पर रोक लगाने के बाद से माह नवम्बर व दिसम्बर, 1975 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सकल (gross) आय में वृद्धि हुई है।

माह अक्तूबर, 1975 में सकल आय की तुलना में माह नवम्बर तथा दिसम्बर, 1975 में क्रमशः 40.08 तथा 66.83 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

यू० पी० स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*45--श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव--

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने यू0 पी0 स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर स्टोर्स ऐंड परचेजेज के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा गत वर्ष जांच कराई? यदि हां, तो उनके विरुद्ध किस प्रकार के आरोप थे और उन आरोपों पर सतर्कता विभाग का प्राथमिक प्रतिवेदन (Primary report) क्या है?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

जी हां, यू० पी० स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर के विरुद्ध भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने एवं अनियमित रूप से माल क्रय किये जाने के आरोपों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है । अभी तक की जांच से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। जांच जारी है।

*46---मोहम्मद रफी खां---

[3रे मंगलवार के लिये स्थगित।]

वाराणसी के ग्राम माधोसिंह व धोसिया द्वारा विकास कार्य के लिये जमा की गयी धनराशि

*47---श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1973 में जिलाधिकारी, वाराणसी ने ग्राम माधो सिंह व धोसिया के विकास के लिए उक्त गांवों से क्रमशः 10 एवं 5 हजार रुपये जिला निधि में जमा कराये थे ? यदि हां, तो उक्त गांवों में क्या विकास कार्य हुआ और यदि कोई कार्य नहीं हुआ तो उक्त धनराशि किस मद में खर्च की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक---

वर्ष 1973 में जिलाधिकारी, वाराणसी ने ग्राम माधोसिंह व धोसिया के विकास (रोड एवं पुलिया निर्माण) के लिये उक्त गांवों से क्रमशः रु 04,996.00 मात्र एवं 7,500.00 मात्र जिला विकास निधि में जमा कराया था ।

कोई विकास कार्य नहीं हुआ । यह धनराशि जिला विकास निधि में जमा करा दी गयी थी और अब भी उपलब्ध है ।

*48---श्री दीप नारायण पांडेय---

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 50 पर स्थानान्तरित ।]

*49---श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

[3रे मंगलवार के लिये स्थगित।]

गोंडा में सहकारी ऋण की वसूली

*50---श्री दीप नारायण पांडेय---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 6 माह में गोंडा जिले में सहकारी ऋण की कितनी वसूली हुई। इस संबंध में कितने किसानों की चल व अचल सम्पत्ति नीलाम की गई तथा कितने लोगों ने इस बात की शिकायत अधिकारियों से किया कि उन लोगों ने पैसा कर्जा पर नहीं लिया लेकिन फिर भी कार्यवाही नहीं की गई?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले की साधन सहकारी समिति चाने गड़िया द्वारा ऋण की वसूली

*51---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती, तहसील बांसी, ब्लाक जोगिया में स्थित सेवा सहकारी समिति चाने गड़िया द्वारा दिये गये कर्जों की दुबारा वसूली किए जाने के विरुद्ध ग्राम बिहरा, इत्यादि के किसानों की दरख्वास्तों के साथ प्रश्नकर्ता ने माह अप्रैल, 1975 के बीच कोई शिकायती-पत्र निबन्धक सहकारी समितियां (उत्तर प्रदेश) को भेजा था? यदि हां, तो वह क्या था और अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

माह अप्रैल, 1975 में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र निबन्धक, सहकारी समितियां, को प्राप्त नहीं हुआ था । प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 15-6-75 के साथ साधन सहकारी समिति चाने गड़िया के पांच सदस्यों एवं साधन सहकारी समिति कोडरी के दो सदस्यों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे । प्रार्थना-पत्रों में उपरोक्त सातों प्रार्थीगणों द्वारा ऋण की अदायगी करने के पश्चात् उनसे पुनः वसूली किये जाने की शिकायत की गयी थी ।

शिकायती-पत्रों पर जांच करवाये जाने पर प्रार्थीगणों की शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

प्रदेश के सहकारिता विभाग तथा जिला बस्ती में गबन की धनराशि

*52--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 तक सहकारिता विभाग में कुल कितनी धनराशि के गबन के केसेज पकड़ में (सरकार के) आए ? क्या उसमें बस्ती जिले के भी मामले हैं और यदि हां, तो कितनी धनराशि के ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता द्वारा 31--12-75 तक रुपया 3,96,30,844.04 के गबन के मामले प्रकाश में लाये गये । जिला बस्ती में भी गबन के जो मामले प्रकाश में आये हैं उनमें रु0 7,44,794.11 की धनराशि निहित है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम में हुई हानि एवं बसों की संख्या

*53--श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को 1974-75 के वर्ष में कितने की आर्थिक हानि हुई है, तथा क्यों?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

वित्तीय वर्ष 1974-75 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को लगभग 3-1/2 करोड़ रु0 (अनन्तिम) की हानि हुई ।

हानि का मुख्य कारण वेतन, महंगाई भत्ते, पेट्रोल, डीजल, आयल, लुब्रीकेंट्स,टायर एवं ट्यूब तथा अन्य कल पुर्जों के मूल्य में भारी वृद्धि के फलस्वरूप संचालन व्यय के सभी मदों में बढ़ोत्तरी हो जाना तथा किराये में वृद्धि न किया जाना है ।

*54--श्री निर्भय नारायण सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के पास इस समय जितनी बसें चालू हालत में हैं तथा उनमें कितनी बसों को तकनीकी दृष्टि से निर्धारित समय के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पास इस समय (31 जनवरी, 1976 को) चालू हालत में कुल 3,940 बसें थीं । तकनीकी दृष्टि से अनुपयुक्त बसों का संचालन नहीं किया जाता है ।

*55--श्री अब्दुल वहीद--

[3रे मंगलवार के लिये स्थगित]

राज्य सड़क परिवहन निगम के बरेली रीजन में पकड़े गये बिना टिकट के यात्री

*56--हाजी मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रीजन के अन्तर्गत वर्ष 1975 में कितने मामले यातायात सरकारी वाहनों में बिना टिकट यात्रा से संबंधित पकड़े गये ? कितने मामले तय किये गये तथा कितने मामले शेष हैं ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

बरेली रीजन में वर्ष 1975 में 242 मामले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा के संबंध में पकड़े गये । उनमें से 165 मामलों का निपटारा हो चुका है और 77 मामले निपटारे हेतु अवशेष हैं । इनके संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है।

अमरोहा–मुरादाबाद मार्ग पर चलने वाली राजकीय बसों की वृद्धि की मांग

*57--हाजी मुहम्मद हयात--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमरोहा से मुरादाबाद और मुरादाबाद से अमरोहा मार्ग पर चलने वाली लोकल राजकीय रोडवेज की बसों को बढ़ाने की व्यवस्था यात्रियों की सुविधा के लिए करेंगे ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

नवम्बर, 1975 के पूर्व प्रश्नगत मार्ग पर 7 बसें शटल बस सेवाओं के रूप में चल रही थीं जो 50 ट्रिप्स प्रतिदिन करती थीं । अब इस मार्ग पर 8 बसों द्वारा प्रत्येक दिन 58 ट्रिप्स (29 अप व 29 डाउन) की जाती हैं । जिससे वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो रही है ।

*58--श्री देव कुमार यादव--

[3रे मंगलवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

1–2--श्री दशरथ सिंह, श्री कमला प्रसाद वर्मा तथा श्री श्रीनारायण--

[1ले शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 28–29 पर स्थानान्तरित ।]

3--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[1ले सोमवार में प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित] ।

मुरादाबाद में चौधरपुर-मनोटा सड़क का निर्माण

4---श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

क्या मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद में चौधरपुर से मनौटा तक जाने वाली सड़क का कार्य क्यों अधूरा पड़ा हुआ है और यह कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री राम जी लाल सहायक--

चौधरपुर-मनोटा मार्ग को प्रारम्भ में 5 किलोमीटर लम्बी बनाने का प्रस्ताव था किन्तु धन की कमी के कारण इसकी 4 किलोमीटर बनाना ही तय हुआ। इसमें से 3.2 किलो मीटर सड़क सिंगिल कोट की पक्की सड़क बन चुकी है व शेष 0.8 किलो मीटर का निर्माण भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ग्रान्ट के अन्तर्गत पूर्ण कराया जा चुका है।

5--श्री अठई राम--

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 पर स्थानान्तरित।]

नैनीताल जिले के कठकधारियां-पनियाली मार्ग के लिये औजारों की तथा कथित खरीद और इसके निर्माणार्थ क्रय की गई सीलिंग सामग्री

6--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

विधान सभा की बैठक दिनांक 1 अप्रैल, 1975 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि त्वरित योजना के अन्तर्गत कठकधारियां-पनियाली मोटर मार्ग जिला नैनीताल हेतु जो 11,456.95 का व्यय औजार तथा अन्य मदों पर दिखाया गया है? इस धनराशि से कौन-कौन से औजार किसके द्वारा खरीदे गए और इस वक्त इन औजारों का स्टाक कहां पर किसकी सुपुर्दगी में है?

श्री राम जी लाल सहायक--

उक्त धनराशि में से कोई भी औजार क्रय नहीं किये गये, केवल औजारों पर धार चढ़ाने आदि मदों पर व्यय किया गया है। मदवार विवरण निम्न प्रकार है:--

	रु0
1--औजारों में धार रखने टोकरी व गोदाम आदि पर किया गया व्यय	903.10
2--रोडरोलर चौकीदार व अन्य पर किया गया व्यय ..	842.00
3--कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय	9,711.85
योग ..	11,456.95

7--श्री इन्द्र लाल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस मोटर मार्ग के निर्माण से लेकर कार्य पूर्ण कराने तक सीलिंग सामग्री का क्रय किस स्थान से, किस दर पर किस अधिकारी ने कराया?

श्रीराम जी लाल सहायक--

सीलिंग सामग्री का क्रय गोला नदी के स्वीकृत श्रोत (Approved Quarry) से 75 रु0 प्रति सैकड़ा घन फुट की दर पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता श्री ओ0 पी0 सिंघल तथा श्री बी0 एस0 वर्मा, एस0 डी0 ओ0, सा0 नि0 वि0 द्वारा किया गया था।

फर्रुखाबाद जिले के विकास खण्ड कन्नौज के अन्तर्गत हरिजनों के लिये आवास स्थल हेतु विकास योजना और प्रदेश में निर्मित आवास गृहों की संख्या

8--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के कन्नौज विकास खंड में हरिजनों के लिये आवास स्थल विकसित किए जाने की, भारत सरकार की

योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों के लिये, कितने भू खन्डों के विकास के लिये, कितनी धनराशि और कब स्वीकृत हुई थी और उसमें से कितनी धनराशि उपयोग हो चुकी है तथा शेष धनराशि उपयोग न होने का क्या कारण है ?

श्री राम जी लाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है।

9---श्री विमल प्रसाद तिवारी---

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में किस-किस वर्ष में विभिन्न विकास खंडों में कितने आवास क्वार्टर निर्मित हो चुके है तथा वर्ष वार कितने आवास क्वार्टरों का स्टैन्डर्ड रेन्ट तय किया जा चुका है ?

श्री राम जी लाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है।

10---श्री विमल प्रसाद तिवारी---

[2 रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 पर स्थानान्तरित।]

11---श्री इन्द्र लाल---

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 पर स्थानान्तरित।]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं, जौ ,चना आदि के अनुसंधान केन्द्र सम्बन्धी जानकारी की मांग

12---श्री रामपति (जिला गोंडा)---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू तथा तिलहन पर शोध के लिए कोई अनुसन्धान केन्द्र है ? यदि हां, तो कहां तथा कब से चालू है ? यदि नहीं, तो कब तक खोला जाएगा ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा---

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं. जौ, चना, मटर, आलू तथा तिलहन के लिये कोई अनुसंधान केन्द्र नहीं है। ऐसा केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है परन्तु फैजाबाद में, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है जो प्रदेश के पूर्वी अंचल के लिये कृषि शोध का भी पूरा उत्तरदायित्व वहन करेंगे ।

13---श्री इन्द्र लाल---

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 पर स्थानान्तरित।]

14---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 पर स्थानान्तरित ।]

15---श्री विमल प्रसाद तिवारी---

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 पर स्थानान्तरित ।]

16---चौधरी राम पाल सिंह यादव---

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 पर स्थानान्तरित ।]

बहराइच में लघु सीमान्त कृषक बिकास योजना की रूप-रेखा

17--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में छोटे किसानों के विकास के लिये लघु सीमान्त कृषक विकास योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च होगी तथा इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन ब्लाक लिये गये हैं तथा इनके चयन का आधार तथा पूरी योजना की रूप रेखा क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

बहराइच जन पद में लघु सीमान्त कृषक विकास योजना के अन्तर्गत पूरी परियोजना अवधि (पांच वर्ष) में 1.5 करोड़ की धनराशि व्यय होगी।

2--इस परियोजना में बहराइच जनपद के निम्नलिखित 5 विकास खण्ड सम्मिलित किए गए हैं:--

(1) तेजवापुर
(2) गिलौली
(3) चितौरा
(4) रिसियां
(5) जमुनहा

3--विकास खंडों के चयन का आधार तथा योजना की रूप-रेखा का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 141 पर।)

कोआपरेटिव बैंक, आजमगढ़ के संचालक मंडल का चुनाव न होना

18--श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव बैंक, आजमगढ़ का चुनाव जो नियमानुसार 2-3 वर्ष पहले हो जाना चाहिये था अभी तक नहीं कराया गया और नहीं संचालक मण्डल की मीटिंग 8 माह से बुलाई जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

जी हां।

चुनाव सम्पन्न न होने का कारण संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचन के लिये तिथि निश्चित न करना है। इस कारण उक्त बैंक के संचालक मण्डल के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किया गया है।

विकास खंड सुरियांवा, वाराणसी के ग्राम सेवक श्री राम प्रसाद के अवशेष पावनों का भुगतान

19--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी, विकास खंड सुरियांवा के एक ग्राम सेवक श्री राम प्रसाद की सेवा पुस्तिका सन् 1965 से आज तक जिला नियोजन अधिकारी द्वारा पूर्ण नहीं की गई है जिससे उसका अवशेष पावनों का भुगतान नहीं हो सका है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक---

उनकी सेवा पुस्तिका अब पूर्ण हो चुकी है और उनके अवशेष पावनों केसम्बन्ध में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को भुगतान हेतु निदेश दे दिये गये हैं।

इलाहाबाद के विकास, क्षेत्र, धनुपुर में पंचायत उद्योग द्वारा स्थापित कालीन उद्योग

20---श्री अठई राम---

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में विकास क्षेत्र धनुपुर में पंचायत उद्योग की तरफ से कालीन उद्योग कब से चल रहा है ? उसमें सरकार व जनता का कितना धन लगा है और अब तक कितना मुनाफा हुआ है ? कृपया यह भी बतायें कि इस कालीन उद्योग में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और उनका वेतन क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

इलाहाबाद जनपद में विकास क्षेत्र धनुपुर में पंचायत उद्योग की तरफ से कालीन उद्योग दिनांक 23 दिसम्बर, 1974 से चल रहा है।

इस कालीन उद्योग में सरकारी धन नहीं लगा है। इसमें 65 गांव पंचायतों की अंश पूंजी के रूप में 6,500 रुपये का धन लगा हुआ है तथा सितम्बर, 1975 तक 2,821.45 रुपये का लाभ हुआ है।

कालीन उद्योग में एक जमादार, एक व्यवस्थापक (पंचायत सेवक) तथा स्थानीय बुनकर लगे हैं।

जमादार को 90 रुपये प्रतिमाह तथा व्यवस्थापक को शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है। 30 बुनकरों को बुनाई के रूप में 24,000.58 रुपये का भुगतान किय गया।

21---श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा---

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 पर स्थानान्तरित]

षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन†

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, मैं, सभापति, विशेषाधिकार समिति श्री सूबेदार प्रसाद, सदस्य विधान सभा, द्वारा श्री कृष्णपाल अवस्थी तथा श्री शिशुपाल सिंह मलिक सब इन्सपेक्टर्स पुलिस, थाना, भोगांव, जिला मैनपुरी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर, जो माननीय अध्यक्ष द्वारा 9 मई, 1973 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति (1974-75) का प्रतिवेदन †

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के सभापति की हैसियत से भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1970-71 पर आधारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1974-75) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

नियम 225 के अन्तर्गत विधान सभा के 23 मार्च, 1976 से 29 मार्च, 1976 तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा जो तय हुआ था वह नत्थी "ग" पर है।

गृह राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित निम्न कार्यक्रम स्वीकृत किया जाय:--

23 मार्च, 1976	..	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
24 मार्च, 1976	..	वित्तीय वर्ष 1975-76 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
25 मार्च, 1976	..	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
26 मार्च, 1976	..	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
27 मार्च, 1976	..	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
28 मार्च, 1976 29 मार्च, 1976	..	बैठक नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकृत किया जाय:---

23 मार्च, 1976	..	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
24 मार्च, 1976	..	वित्तीय वर्ष 1975-76 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मागों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
25 मार्च, 1976	..	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
26 मार्च, 1976	..	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
27 मार्च, 1976	..	श्री राज्यपाल के अभिाषण पर चर्चा ।
28 मार्च, 1976 29 मार्च, 1976	..	बैठक नहीं होगी ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

राज्य निराश्रित सहायता समिति के लिये तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य निराश्रित सहायता समिति पर कार्य हेतु उत्तर प्रदेश भिक्षावृति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा 3(2) के साथ पठित समाज कल्याण

अनुभाग की अधिसूचना संख्या 5724/ 36–एक 458–67, दिनांक 7 नवम्बर, 1975 द्वारा, प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध नियमावली, 1975 के नियम 4 (5) के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य निराश्रित सहायता समिति पर कार्य हेतु, उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा 3 (2) के साथ पठित समाज कल्याण अनुभाग की अधिसूचना सं0 5724/36–एक 458–67, दिनांक 7 नवम्बर, 1975, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध नियमावली, 1975 के नियम 4 (5) के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

निर्वाचन का समय समितियों के निर्वाचन के साथ रख दिया जायगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष––

आज दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है, एक पुरुषोत्तम कौशिक जी की है और दूसरी श्री श्रीनारायण की । यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है, जैसे परीक्षा-फल और विश्वविद्यालय का मामला । विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी है और माननीय पुरुषोत्तम कौशिक जी चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में सरकार का दखल कम से कम हो । तो वह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)––

यह मामला शासन से सीधा सम्बन्ध रखता है इसलिये कि गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जो डिग्री कालेज हैं वहां सत्र 1975 के अनेक परीक्षार्थियों का परीक्षा-फल अभी घोषित नहीं हुआ है और नये सत्र की परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं ।

श्री अध्यक्ष––

इसके बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं ध्यान आकृष्ट करते हुये । यह सब तो आप कर सकते हैं लेकिन कार्य-स्थगन का यह विषय नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

नियम 51 में वक्तव्य के लिये कह दें ।

श्री अध्यक्ष––

वह तो नियम 51 में दूसरा दें । विश्वविद्यालय को अपने में स्वतंत्र रहने का, स्वायत्तशासी जिसे कहते हैं, अधिकार, शासन ने दिया है तो शासन क्यों दखल दें बार बार ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

कम से कम वक्तव्य के लिये तो भेज दें ।

श्री अध्यक्ष––

वह ठीक है । कार्य-स्थगन का अस्वीकृत है । वक्तव्य का देंगे, तो देखूंगा ।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरा है माननीय, श्री श्रीनारायण जी का। यह कहते हैं कि ग्राम पूरन छपरा, विकास खंड नोरंगिया, जिला देवरिया में भीषण अग्निकांड से उत्पन्न संकट। उससे नुकसान हो सकता है लेकिन यह कार्य स्थगन का विषय नहीं है। इस पर भी ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

कार्यवाही के लिये भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

हां, यह ठीक है।

माननीय धर्म सिंह (कार्य सूची की संख्या 10)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आप पिछड़ गये।

श्री त्रिवेणी सहाय---

उनके खड़े होने से पहले मैंने शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष---

खड़े होने से मतलब नहीं होता। वह पहले रख दें तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:---

"यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 22 मार्च, 1976 को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है।"

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल और हम तीन सदस्यों ने मिलकर एक संशोधन रखा था।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल का आज आया है। उसको मैंने स्वीकार किया है। बात यह है कि यह शब्द का फेर है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

संशोधन तो हम लोग दे सकते हैं। अब उसमें शब्द भेद है या क्या है यह आपका अधिकार है। इधर का अधिकार तो है एड करने का। हमनें एक संशोधन दिया वह आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

हमको आप संतुष्ट कर दीजिये, हम स्वीकार कर लेंगे। कोई चीज जो उत्तर प्रदेश विधान सभा से सम्बन्ध रखती है, अब मैं कैसे सुझाव दूं, उस शब्दावली को रख दिया होता तो वह स्वीकार हो गया होता।

श्री त्रिवेणी सहाय--

उसे पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

राज्यपाल के अभिभाषण में बात आयी कि आपात् स्थिति से अनुशासन आया है। तब आपको यह हक हो जाता है कि आप यह कहें कि नहीं आया या आया। लेकिन जो शब्द आयेगा उसी से तो हम उसको स्वीकार करेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं जानना चाहूंगा कि वह कौन सा शब्द है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप मिल होते . . . .

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं तो इस विचार में था कि हमारा आयेगा।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन उसका जो रूप है उस रूप में हमें स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। आप हमारे हाथ को बांधे नहीं, नियमानुसार ही हमें काम करने दें। माननीय नेता विरोधी दल का अब जो संशोधन आया है वह इस प्रकार है--"राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदेश की वर्तमान स्थिति का पूरा-पूरा चित्रण नहीं किया गया है।"

इसको मैंने स्वीकार किया है। नियमों में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनको स्वीकार करने में हमारी अक्षमता है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

क्या अक्षमता है, वही बतला दीजिये ?

श्री अध्यक्ष --

खानगी तौर पर मैं बतला सकता हूं कि इस तरह से लिखना चाहिये। यह लिखने के ढंग पर निर्भर है। जब अभिभाषण में आया है कि आपात् स्थिति से अनुशासन आया है तो आपके लिये पूरा रास्ता खुला था लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

एक लफ्ज मैंने लिख दिया, उसको आपने पसन्द कर लिया ?

श्री अध्यक्ष--

आपका तो सभी मुझे पसन्द है।

श्री रामस्मृति (जिला बरेली)---

प्रक्रिया नियमावली के अन्दर उसका कोई प्रोफार्मा है ?

श्री अध्यक्ष---

अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मैं बतला सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा है और उत्तर प्रदेश से संबंधित हालात के बारे में ही यहां कह सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधान सभा और लोक सभा में कुछ अन्तर तो करना ही पड़ेगा। यहां पर आप मुझसे सलाह लेते हैं लेकिन हम सलाह देने लायक नहीं है।

श्री राम मूर्ति---

उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के भीतर ही है। अगर भारतवर्ष के अन्दर कोई चीज घटित होती है तो उत्तर प्रदेश पर भी उसका प्रभाव व असर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष---

इससे सहमत होते हुये भी, मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, जो प्रस्ताव यहां पर पढ़ा गया है, आप भी हिन्दी के बड़े विद्वान हैं और इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जिस रूप में यह धन्यवाद का प्रस्ताव एजेंडे में आया है, इससे हिन्दी भाषा के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। इसमें एक वाक्य लिखा गया है--"कृतज्ञता पूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है।" जब कि होना यह चाहिये कि यह सदन कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित करता है। इसलिये कृपा करके आप इस वाक्य को ठीक करा दें।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप भाषा की शुद्धि और अशुद्धि की बात उठाते हैं, तो आप सही नहीं हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हिन्दी भाषा और आपकी गरिमा के अनुरूप यह होना चाहिये ....

श्री अध्यक्ष--

अपनी गरिमा और इस सदन की परम्परा को कायम रखना ही मेरा काम है और परम्परा से यही रूप इस प्रस्ताव का रहा है।

श्री धर्म सिंह---

कल शान्तिपूर्वक सदन में बैठने वाले सभी विधायकों ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण को सुना। मान्यवर, मैं 1952 के समय से इस सदन का सदस्य रहा हूं और मैंने देखा है कि 52 में, 57 मे, 62 में, 67 में, 69 में, 74 में जब-जब भी राज्यपाल महोदय ने इस सदन में भाषण दिया है, इस प्रकार का अच्छा भाषण कभी नहीं दिया गया। मान्यवर, जितनी सादगी, जितना अच्छापन, जितनी सरल भाषा और जितने छोटे समय का जिक्र है, उसको देखते हुये जिस प्रकार का अभिभाषण श्री राज्यपाल जी ने दिया है, वह मान्यवर, 1952 से लेकर आज तक मैंने उसको किसी भी सदन में नहीं देखा और इस सदन में खास तौर से नहीं देखा। जहां तक भाषा का संबंध है, वह उस प्रदेश के रहने वाले है जहां पर हिन्दी से नफरत होती है, उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी होगी जहां तक इस प्रदेश का संबंध है जो उन्होंने अपने भाषण को पढ़ा है वह इस बात को जाहिर करता है कि उनको कितना प्रेम है हिन्दी भाषा से और वह हिन्दी भाषा को कितना महत्व देते हैं।

मान्यवर, प्रत्येक सरकार जब संगठित होती है, हालांकि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार प्रेसीडेंट रूल समाप्त होने के बाद आई केवल 2 ही महीने का समय समाप्त हुआ है और किसी कार्य को करने के लिये 2 महीने का समय थोड़ा समय होता है लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री जी और उनके सहयोगी किस प्रकार से इस प्रदेश को आगे ले जायेंगे

किस प्रकार से यहां पर कार्य होगा, क्या सरकार की नीतियां होंगी किस प्रकार गरीबी दूर होगी, किस प्रकार से हमारा जो विधान है और उसके द्वारा जो हमको अधिकार होगा आदि सब बातों का इस अभिभाषण मे जिक्र किया गया है ।

मान्यवर, प्रत्येक सरकार की एक नीति हुआ करती है और उस नीति को कार्यान्वित करने के लिये यहां जो सरकार संगठित की गयी है जैसा मैंने निवेदन किया कि केवल 2 महीने का समय हुआ है, इस 2 महीने में बहुत सी नीति निर्धारित नहीं की जा सकता, इस 2 महीने के दौरान में बहुत से कार्य नहीं किये जा सकते लेकिन आगे हम क्या करना चाहते हैं यह सब जहां तक इस अभिभाषण का संबंध है, इसमें सभी बातों का समावेश है मैं मुख्य मंत्री जी को अपनी ओर से उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत से इस प्रकार के निर्णय लिये हैं ।

जहां तक भारतवर्ष का संबंध है इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी जानते हैं कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुई थी सारा देश जानता है सारी दुनिया जानती है कि हम चौराहे पर खड़े हुये थे, चारों तरफ हाहाकार था, हर तरफ परेशानियां थी, देश में अन्धकार था सोचते थे कि क्या होगा । लेकिन माननीया प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व ने और मान्यवर, हो सकता है कि इधर के बैठने वालों और उधर के बैठने वालों ने यह महसूस किया हो कि साहब इमरजेंसी लागू होने से हमारा नुकसान हो गया, लेकिन मान्यवर, 99 फीसदी देश की जनता ने 99 फीसदी इस प्रदेश की जनता ने जहां तक इमरजेंसी का संबंध है, इमरजेंसी का वेलकम किया है और वेलकम करने के साथ-साथ इस बात की दुनियां गवाही है, कोई मुल्क चाहे हमारे खिलाफ हो या हमारा उससे संबंध हो इस बात का गवाह है कि इस इमरजेंसी का वेलकम पूरे देश तथा प्रदेशों में हुआ ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ? आपने हमें तो खुद के प्रस्ताव की इजाजत नहीं दी । यह पूरा आलाप कर रहे हैं । इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी । यह सब कुछ कह सकते हैं । क्या यह 20 सूत्री कार्यक्रम में है, क्या यह जिक्र कर सकते हैं ?

श्री धर्म सिंह---

जी हां ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपका नामंजूर किया है यह बात सही नहीं है । आपकी बातों को मैंने नामंजूर नहीं किया, सिर्फ लिखने के ढंग को, उत्तर प्रदेश के बारे में आप कह सकते हैं और वह उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं था, इसलिये और जो बातें हैं, स्थितियों के बारे में, पक्ष विपक्ष में, तो आप बोल सकते हैं । ऐसा न समझें कि इसकी इजाजत दी है और आपको मैंने काट दिया है । वह अपनी जगह पर सही होते हुये भी जो रूप है, मुख्य रूप है उसमें हमारे सामने आया नहीं ।

श्री धर्म सिंह---

मान्यवर, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस प्रदेश के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने इमरजेंसी का वेलकम किया है । मान्यवर, जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है इसमें दो राय नहीं है कि कुछ दिन पहले यहां बड़ी कीमतें बढ़ी थीं, मुनाफाखोरी बहुत थी, चारों तरफ परेशानियां थीं और चीजें नहीं मिलती थीं । तो क्या सरकार का जहां तक सम्बन्ध है यदि मैं थोड़े आंकड़े प्रस्तुत करूं तो ताज्जुब अवश्य करेंगे कि जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है थोड़े से ही समय में चीजों के दामों में 5 से लेकर 25 प्रतिशत तक गिरावट आई है जैसे गोश्त, मछली, अंडे, अनाज और मिठाई आदि इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिनमें गिरावट हुई है । इसके साथ ही साथ फेयर प्राइस शाप्स जो थीं उनमें लोग डी० आई० आर० में बन्द किये

[श्री धर्म सिंह]

गये हैं और बहुत सी दुकानों का चालान किया गया है और इस प्रकार बहुत सी चीजों के दाम गिराने में काम हुआ है। मैं सरकार की ओर खासतौर से राज्यपाल जी को धन्यवाद देता हूं।

जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है उसमें 16 लाख एकड़ से अधिक जमीन छोटे किसानों और भूमिहीनों को एलाट की गयी है। यदि आंकड़ों को देखें तो मान्यवर, 1 अगस्त, 1975 से फरवरी, 1976 के अन्त तक गांव समाज की 6,25,722 हेक्टेयर भूमि तथा सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि 24,226 हेक्टेयर। (कुल 6,49,948 हेक्टेयर) भूमि निम्नलिखित लाभकारियों के बीच वितरित की गयी--

		हेक्टेयर
(क)	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषक मजदूर।	10,05,972
(ख)	अन्य भूमिहीन कृषक मजदूर	5,15,463
(ग)	अन्य वर्ग	1,98,315
	योग ..	17,19,750

इस प्रकार लोगों को जमीन देने की कार्यवाही की गयी। थोड़ी देर के लिए मुझे माफ करेंगे सरकार पक्ष के लोग और खासतौर से मुख्य मन्त्री जी। हम लोग बहुत सुनते हैं कि जमीन का इतना एलाटमेंट हो गया और अखबारों में भी फीगर्स निकलती हैं। लेकिन आज तक हमको पढ़ने और देखने का मौका नहीं मिला। आंकड़े भी पेश किये गये कि इतनी भूमि खाली है और इतने लोगों को एलाट कर दी गयी लेकिन कितने लोगों को कब्जा मिला है इसका जिक्र इस भाषण में नहीं है और मैं चाहूंगा कि सरकार स्पष्टीकरण इस बात का यहां पर दे कि कितने लोगों को जमीन दी गयी और कितनों को एलाटमेंट दिया गया मैं कुछ ऐसा महसूस करता हूं। यह गरीबों का सवाल है इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको कागज पर न देते चले जायं। मैं नहीं कहता कि सरकार की नीयत खराब है। सरकार की नीयत ठीक है। सब चाहते हैं कि इस तरह का प्रबन्ध हो लेकिन मान्यवर, मुझे माफ करेंगे जैसा कि मैंने निवेदन किया है। जिस मशीनरी के द्वारा काम लिया जा रहा है, जितने सरकारी कर्मचारियों के द्वारा काम लिया जा रहा है, मुझे शक है इस बात के लिए और मैं लांछन लगाता हूं कि जहां तक आपकी नीति का सम्बन्ध है और कब्जा दिलाने की बात है सरकार के जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, वह सब सन्तुष्ट हो जायं और इस सदन के लोग स्वयं सन्तुष्ट हो जायेंगे कि एलाटमेंट के बाद वास्तव में कितने लोगों को कब्जे मिल गये। अगर, इसके आंकड़े प्रस्तुत करें तो इस देश और प्रदेश के लोगों को सन्तोष होगा।

मान्यवर, बहुत से निर्णय लिये गये हैं और कानून बनाने जा रहे हैं। तीन साल तक उनसे लगान नहीं लिया जायगा। जैसा कि मैंने कहा आपकी नीयत खराब नहीं है। लेकिन जिन लोगों से, ब्युरोक्रेसी से आप यह कराना चाहते हैं यह काम पहाड़ के समान है और एक बार में ही पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होगा और इसका निवारण बहुत आसानी से होने वाला नहीं है, जब तक कि सभी लोग अपने दिल और दिमाग और विचारधारा को न बदलें। चाहे, इधर के लोग हों या उधर के लोग हों या सरकारी कर्मचारी हों, जब तक सभी लोग इस गठरी को मिलकर नहीं उठायेंगे तब तक यह काम पूरा नहीं होगा।

मान्यवर, हमारी नीयत है कि हम गरीबों की सहायता करना चाहते हैं। अरबन सीलिंग ऐक्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा प्राप्त हुआ। यहां भी दस स्थानों पर लागू किया गया है और इस के लिए भारत सरकार को रिकमेंडेशन की गयी है। लेकिन हम जरा अपनी नजर बौड़ायें। एक तरफ तो गरीबी है और दूसरी तरफ अमीरी है। हम तो उन गरीबों में से आते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जरा आप उन महलों और अट्टालिकाओं में रहने वालों को देखें।

इस सरकार का जहां तक सम्बन्ध है उसकी नीयत पर हमें भरोसा है। लेकिन मान्यवर, सामाजिक और आर्थिक विषमता बहुत है। यदि उसको ठीक नहीं किया गया तो समय इन्तजार नहीं करेगा। इस देश में बहुत बड़ी क्रांति हो जायगी। एक तरफ इन्सान स्वयं को खाने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ बड़े महलों में रहने वाले नहीं सोचते कि इन इन्सानों का क्या होगा। इस आर्थिक और सामाजिक चली आ रही विषमता का राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। यदि यह दूर नहीं हुई और इस खाई को पाटा नहीं गया तो हमारी नीति नगण्य रह जायगी और कोई लाभ नहीं होगा। मान्यवर, राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत बहादुरी का काम किया है। रूरल बैंक्स खोले गये हैं। मनी लैंडिंग बिल भी आया है। दस रुपए में दादा, परदादा, बाप, बेटा कमाते रहते थे, जेनरेशन टु जेनरेशन उनका खून चसा जाता था। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कानून लाकर इस प्रथा को दूर किया है। जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है आज से नहीं सदियों से न्यूनतम खेतिहर मजदूरी का प्रश्न रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसको न कहा जा सके। हमारे प्रदेश के पूर्वी जिलों में कितनी मजदूरी है, पश्चिम में कितनी मजदूरी है और चारों ओर ही विषमता है। तो मान्यवर, कानून लाने के बाद मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिये। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही साथ सिंचाई के बारे में भी बहुत विशेष कार्य करने का निर्णय लिया गया है। गूलों का प्रबन्ध किया जायगा, नालियां बनाई जायेंगी और सिंचाई के बहुत से साधनों का प्रबन्ध किया जायगा। इसके लिए एक निश्चित तिथि भी नियत कर दी गई है। इस प्रकार से हमारे प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा, यहां पर खुशहाली आयेगी, लोगों को राहत मिलेगी और जो आपकी बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं, उनको पूरा करके हमारे प्रदेश का उत्पादन बहुत बढ़ जायगा।

मान्यवर, जहां तक कि बिजली के विकास का सम्बन्ध है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब प्रथम बार 1952 में मैं चुनकर यहां आया था यहां पर माननीय पन्त जी की सरकार थी। एक वाट बिजली भी हमको आसानी के साथ उपलब्ध नहीं होती थी। लाइट और फैन के लिए भी हमको बिजली नहीं मिल पाती थी। मैंने स्वयं अपने डामेस्टिक यूज की बिजली के लिए माननीय हाफिज जी से कहा था। परन्तु मान्यवर, अब इन 22, 23 सालों में इतना काम हुआ है जो हम स्वयं देख सकते हैं। बिजली के मुहकमे में जो प्रगति हुई है उसको हम सभी महसूस करते हैं और हमारी जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन उसको महसूस करेगी। यह हो सकता है कि उस काम के लिए हमको सेंटर से पैसा न मिलने पाया हो या हमारी डिजाइन्स न ठीक रही हों और भी बहुत सी कमियां हो सकती हैं लेकिन यहां पर बिजली की बढ़ोत्तरी इसके बावजूद भी हुई है और उसके लिए सरकार सराहना की पात्र है।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हथकरघा का जहां तक सम्बन्ध है उसकी हालत इस प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब थी। इस सम्बन्ध में सरकार ने बहुत से निर्णय लिये हैं और उस दिशा में काफी कार्य भी हुआ है। लाखों करोड़ों इन्सानों का इस निर्णय से लाभ हुआ है।

[श्री धर्म सिंह]

इसके साथ ही साथ दहेज प्रथा का अन्त करने का भी निर्णय किया गया है। हमारे प्रदेश की कैबिनेट तथा सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। जो लोग बेटी वाले हैं वे इसका महत्व जानते हैं। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इसका सख्ती के साथ पालन किया जाय वह कोई भी व्यक्ति हो। इस प्रकार से हम इस सामाजिक बुराई पर नियन्त्रण पा सकते हैं चाहे इसके लिये हमको किसी प्रकार की कुरबानी भी देनी पड़े। मैं तो यह समझता हूं वे चाहे इधर के बैठने वाले हों अथवा उधर के वे सभी इस निर्णय का स्वागत करेंगे।

हमारे बहुत से साथी इस बात को जानते हैं कि जहां तक कि विद्यार्थियों की बात है कि पहले हिन्दुस्तान का विद्यार्थी पढ़ता एक दम नहीं था। हम जानते थे कि हमारे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं। परीक्षा के समय उन्होंने एक छुरा सामने रख लिया और नकल करने लगे। हमारी कोई मां बेटी एक जंजीर पहन कर निकल नहीं सकती थी। ला ऐंड आर्डर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जो सुधार हुआ है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

चौधरी चरण सिंह---

आपने यह फरमाया है कि गरीबों को जमीन नहीं मिली और ला ऐंड आर्डर का यह सवाल है, लिहाजा मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देने का कहां सवाल उठता है मेरे दोस्त ?

श्री धर्म सिंह---

मैं कम से कम यह महसूस करता हूं कि बहुत से उत्थान के कार्यों का सम्बन्ध है इस प्रदेश की सरकार ने उनको करने के निर्णय लिये हैं और उनमें तरक्की भी हुई है। यह सही है कि हरिजनों का जहां तक सम्बन्ध है, 18 प्रतिशत रिजर्वेशन उनको इस प्रदेश की सरकार ने दिया है और उसी अनुपात में प्रोमोशंस में भी रिजर्वेशन उनको दिये जायेंगे लेकिन मुख्य मन्त्री जी तथा उनके सहयोगी अपने अपने विभागों के आंकड़ों को जरा देखें कि इसका पालन हो रहा है या नहीं ? अगर पालन नहीं हो रहा है तो यह आपका काम है कि आप देखें और सन्तुष्ट हों कि जो सरकारी अधिकारी आपके निर्णयों का पालन नहीं करते हैं उनको दण्ड दिया जाय और इस प्रकार की कार्यवाही की जाय जिससे नियमों का पालन हो सके।

250 बसों को राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में परमिट दिये गये हैं। यह सराहनीय कार्य है। आपका डी0 टी0 यु0 से समझौता हुआ है जिसके अन्तर्गत उनकी बसें बुलन्दशहर, मेरठ, हरिद्वार तथा अन्य पश्चिमी जिलों में जाती हैं। लेकिन उनकी गड़बड़ी की वजह से आपकी सरकार को 1 लाख रुपए रोजाना का नुकसान होता है। इसे आपको देखना चाहियें। मैं यह नहीं कहता कि समझौता गलत हुआ है लेकिन समझौते की शर्तों का पालन ठीक से नहीं हो रहा है इसे आपको देखना चाहिये। 10 बसें एक रूट पर चलनी चाहिये लेकिन 50 बसों को वे ले जाते हैं। इस तरह से कोई नियम व कायदा नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

मैं, मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इतिहास में जितने संघर्ष हुए हैं वे सब धरती व धन को ही लेकर हुए हैं और विश्व के सभी देशों में जब-जब धरती को लेकर भूमि सुधार किये गये हैं वे उस देश के इतिहास में स्वर्णिम दिन कहे गये हैं। हमारे देश में भी ऐसे अवसर आये हैं। सर्वप्रथम यहां पर भूमि सुधार बन्दोबस्त पठान बादशाह शेरशाह के समय में कबूलियत और पट्टे के नाम से

बन्दोबस्त किया गया और इस तरह का कदम उस समय में एक क्रांतिकारी कदम माना गया था। उसी प्रकार 1570 में अकबर के समय में टोडरमल जी द्वारा भूमि व्यवस्था बन्दोबस्त पुनः लागू किया गया जो यहां के इतिहास में अभी तक स्वर्णिम माना जाता रहा है। 1653 में जब औरंगजेब दक्षिण का गवर्नर बना, तब मुर्शीद अली खां की मदद से भूमि सुधार हुआ और उसके उपरान्त लार्ड कार्नवालिस द्वारा 1790 में यहां पर इस्तेमुरारी बन्दोबस्त हुआ। उसके बाद भूमि व्यवस्था के बारे में पन्त जी द्वारा 1952 में कदम उठाये गये जो कि इस क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम थे। सदियों से यहां यही प्रथा चली आ रही थी जो कि अलग-अलग देशों में अलग-अलग ढंग से प्रचलित थी। कहीं इसे जमींदारी प्रथा कहते थे तो कहीं इसे फ्यूडल सिस्टम के नाम से जाना जाता था। उसका अन्त हुआ। उसके उपरान्त भूमि व्यवस्था के बारे में आन्दोलन चलते रहे। तब से मान्यवर, देश में इंदिरा जी द्वारा तथा माननीय नारायण दत्त तिवारीके नेतृत्व में इस दिशा में जो ऐतिहासिक कदम उठाये गये, वे सराहनीय हैं। जो लोग दर-असल में भूमि को जोतते थे, जिनको प्राकृतिक ढंग से उस भूमि का मालिक होना चाहिये था उनको स्वामित्व दे दिया गया। आज तक जितने भी इतिहास में भूमि सुधार हुए थे, वे राजस्व के लिए और राजा अपने लाभ के लिए ही किया करते थे, जनता के लाभ के लिए वे कम सोचते थे। विदेशी राज्यों में भी जितने बन्दोबस्त भूमि सुधार के लिए हुये थे, वे भी राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से ही हुये। परन्तु, असली बन्दोबस्त जिसके लिए प्रकृति ने भूमि को सौंपा है इस प्रकार बन्दोबस्त प्रथम इस युग में ही हुआ है। जो खेत को जोतने वाला है, वह उसका मालिक बनाया गया है। आज वह केवल उस भूमि का मालिक नहीं बनाया गया बल्कि उसे उस भूमि पर कब्जा भी दिलाया गया है। उसे खेती के साधन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। हम अपने विरोधी भाइयों से कहेंगे कि वे जाकर देखें कि आज जन साधारण में इस बात को लेकर कितना उत्साह है। वे समझने लगे हैं कि वे अब पृथ्वी और जमीन के राजा हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे विरोधी भाई महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो दर्शाया है, शासन की नीतियों को रखा है, उसको देखेंगे। अब तक 16 हजार एकड़ भूमि भूमिहीनों को बांटी जा चुकी है और उनके रहने के लिए मकान की भूमि आवंटित की जा चुकी है। साथ ही वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी कर दी गई है। आप जानते हैं कि बहुत दिन तक गुलाम रहने के उपरान्त जब हमारा देश आजाद हुआ, हम प्रगति की दिशा में चले, तब हमारा वह देश कहां था जहां कि एक सुई भी नहीं बनती थी।

जवाहरलाल जी के नेतृत्व में चलकर हम पैटर्न टैंकों को तोड़ने वाले हथियार भी बनाने लगे हैं और अमरीकी प्रक्षेपणास्त्रों को नष्ट करने के शस्त्र बना रहे हैं। हमारी बड़ी-बड़ी सेना को पुर्त्तगाली एलबूकर्क के बन्दूकों के सामने पीछे हट जाना पड़ता था। किन्तु हम आज ऐसे हथियारों को बनाकर अमरीकी क्षेप्यास्त्रों का मुंह बन्द करने में सक्षम हैं। हमारे उस तरफ के भाई सर्वदा से कहते आये हैं कि इस देश में कुछ नहीं हुआ है। मैं निश्चित मत का हूं कि जो कार्य आज हो रहे हैं उनके बारे में आप अभिभाषण के जवाब में यही कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, महात्मा गांधी ने जो क्रांति की ज्वाला जलाई थी जिसमें कि चौधरी साहब भी एक सिपाही के रूप में लड़ रहे थे और लड़कर आजादी हासिल भी किया। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय भी जो इसे पसन्द नहीं करते थे, उस महान लड़ाई के लड़ने वालों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि चरखा और नमक बना कर क्या आजादी ली जा सकती है। उसी तरह आज भी दुर्भाग्य से ऐसे कहने वालों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि क्या जमीन बांट कर और विद्यार्थियों को पुस्तकें बांटकर गरीबी हटाई जा सकती है।

मैं निवेदन करूंगा कि उस लड़ाई में हम सफल हुये और जो कार्य अब हमने प्रारम्भ किये हैं, उनमें भी हम सफल होंगे। मैं यह कहना आवश्यक नहीं समझता हूं कि

[श्री रुद्र प्रसाद]

किसी देश के औद्योगिक उत्थान के लिए सबसे बड़ी शक्ति जो है, वह विद्युत है। यदि आंकड़ों को उठाकर देखा जाय तो उसमें भी हमने प्रगति की है। जिस देश में 1966 में 910 मेगावाट बिजली पैदा होती थी वहां आज 2210 मेगावाट 1975 में पैदा हुई है और महामहिम राज्यपाल के भाषण में भी कहा गया है कि 660 मेगावाट बिजली शीघ्र ही तैयार होने लग जायेगी। तो मान्यवर, इसका प्रतिफल क्या होगा? इससे औद्योगिक दिशा में प्रगति होगी। आप देखें कि हमारे यहां सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण उन्नति हुई है और शासन की जो नीति है, इसके बारे में महामहिम राज्यपाल के भाषण से पता चलता है वह निश्चित रूप से देश को आगे ले जाने वाली है।

युवकों में जो अशांति व्याप्त थी जिसको व्याप्त कराया गया था उसका समाधान निकालने में यह सरकार सक्षम हो रही है और आगे भी होगी। 20 सूत्री कार्यक्रम जो हमारी महान प्रधान मन्त्री ने दिया है, जिसका परिपालन हमारे माननीय मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार तेजी से कर रही है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारी जो कठिनाइयां हैं वह दूर होंगी। हमारे जो गरीब लोग हैं उनको राहत मिलेगी और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में हम सफल होंगे।

आपसे मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में हरिजनों के लिए अभी तक कोटा निश्चित किया गया था और गैर सरकारी क्षेत्र में कोटा निश्चित नहीं किया गया था। हमारा शासन इस पर भी उन्हें निश्चित स्थान दिलाने का प्रयत्न कर रहा है, इससे निश्चित रूप से हरिजनों का कल्याण होगा।

इसके अलावा हथकरघा उद्योग में भी प्रगति हो रही है तथा अरबन एरिया में सीलिंग का कानून लाकर सुधार हो रहा है जिससे निश्चित रूप से शहरों में जो असन्तोष है वह दूर होगा। इसके लिए माननीय नारायण दत्त जी की सरकार सजग है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के नियम और कानून बनाने से शहर वालों को राहत देने में सरकार सफल होगी। इन शब्दों के साथ मैं, जो हमारे भाई श्री धर्मसिंह जी ने प्रस्ताव रखा है, का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सारा सदन एक मत होकर प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

*चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, आज जो यह विवाद होने जा रहा है यह ऐतिहासिक होगा।

श्री अध्यक्ष---

पहले आप अपना संशोधन मूव कर दें।

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसमें निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदेश की वर्तमान स्थिति का पूरा चित्रण नहीं किया गया है।"

(व्यवधान)

ठीक है वह (श्री भीखालाल से) मेरे पुराने साथी हैं। इधर मेरे साथी यह महसूस कर रहे हैं कि वह कोई व्यंग कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं ।

चौधरी चरण सिंह---

मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई प्रकार की खबरें आ रही थीं । जेल में मुझे कोई बीमारी नहीं हुई और न कोई रोग लगा । जैसा स्वास्थ्य पहले था, उसी प्रकार का रहा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज जिस समय यह वाद-विवाद होने जा रहा है वह वक्त बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता है । यह दूसरी बात है कि इसमें भाग लेने वाले लोग इस प्रसंग के साथ जस्टिस कर सके या न कर सकें, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि हिन्दुस्तान के भविष्य के सिलसिले में इससे ज्यादा क्रिटिकल टाईम संकट का समय गालिबन कभी नहीं आया और न आयेगा ही । अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं आगे चलूं और अपनी बात कहना शुरू करूं, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी से और दूसरे सभी साथियों से जो ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए हैं, एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी कोशिश होगी कि मैं ठंडे दिल से बात करूं लेकिन मसला, ऐसा है कि हो सकता है कि मुझे कहीं आवेश आ जाए और कठोर शब्द मेरी जबान से निकल जाए जिसको यद्यपि मैं एवाईड करने की कोशिश करूंगा, उनको कहने के लिये वह मुझको माफ करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय, आज देश की क्या स्थिति है ? स्थिति यह है कि लाखों आदमी जेल के के अंदर हैं । सन् 42 का मूवमेन्ट गांधी जी के जमाने का आन्दोलन गालिबन सबसे ज्यादा इतिहास में महत्व का माना जाता है । लेकिन उसमें 60 से 61 हजार आदमी कुल जेल में गये थे । उस वक्त के होम मिनिस्टर के अनुसार जो उन्होंने स्टेटमेन्ट सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट में दिया था केवल इतने आदमी जेल में बन्द किये गये थे । जबकि आज श्री ओम मेहता स्वयं मानते हैं कि 1 लाख 30 हजार आदमी इस बार गिरफ्तार हुए हैं । आप उसको एक लाख 20 हजार मान लीजिये या घटाकर एक लाख ही कर दीजिए लेकिन पहले से कहीं ज्यादा, अंग्रेजों के गुलामी के जमाने से कहीं ज्यादा आदमी इस बार जेल में गये हैं । आप बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से भी निकाल लीजिये शायद आपको तसल्ली हो जाए । यह इस देश की बदकिस्मती है कि ऐसा हिसाब लगाने वाले यहां बैठे हुए हैं । ये लाखों आदमी या एक लाख आदमी फ्री कन्ट्री जेल में पड़े हुए हैं । पहले तो प्रधानमंत्री जी जनतंत्र को सोशल डेमोक्रेसी कह दिया करती थीं और कहती थीं कि संविधान में बड़े भारी अमेंन्डमेंन्ट की जरूरत है लेकिन अब केवल डेमोक्रेसी कह रही हैं और कह रही है कि हम डेमोक्रेसी के अन्तर्गत काय कर रहे हैं और किसी बहुत ज्यादा अमेंन्डमेंन्ट की संविधान में जरूरत नहीं है। किन कारणों से यह उनके कथनों में तबदीली आ गयी है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन डेमोक्रेसी का दम तो आज भरा जा रहा है । एक लाख से ज्यादा आदमी जेल में हैं और किस तरह जेल मे डाले गये हैं ? महीनों उनके परिवार वालों को यह नहीं मालूम होने पाया कि कहां उनके परिवार के लोग बन्द किये गये हैं । 26 जून को सबेरे मैं और मेरे सहयोगी, मुझ को छोड़िये, देश के बड़े-बड़े आदमी को छोड़िये, क्योंकि शायद केवल प्रधानमंत्री जी बड़ी हैं, चूंकि वह बहुत बड़े पद पर है, लेकिन ऐसे आदमी जिन पर देश गर्व कर सकता है, वे गिरफ्तार हुए और उनके घर-वालों को यह नहीं बताया गया कि कहां वह कैद किये गये हैं । 3-4 मर्तबे मैं अंग्रेजों के जमाने में जेल गया हूं और उस जमाने की सारी बातें मुझे याद हैं, कभी अंग्रेजों के जमाने मे ऐसा नही हुआ है ।

यही नहीं, दो महीना तक गिरफ्तार शुदा लोगों के अजीजों से उनके वालदैनों से, उनके बराबर वालों से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया । यही नहीं, उनको यह भी नहीं बतलाया गया कि क्या जुर्म उनसे हुआ है ।

[चौधरी चरण सिंह–]

माननीय जयप्रकाश नारायण जी, माननीय मोरारजी देसाई और लोकसभा के डिबेट में एक बार माननीय राजन रायण जी का जिक्र आया कि उन्होंने यह पाप किया है। मैं रोज पढ़ता रहा कि मेरे पाप का भी जिक्र शायद इसमें आयेगा। नहीं, कम से कम मैंने नही पढ़ा। दोस्तों ने पढ़ा होगा। मुझे खुशी होनी चाहिये एक जरूर मेरा पाप था कि इंदिरा जी से हम लोग इस्तीफा मांग रहे थे क्योंकि हाइकोर्ट से आप हार गई हैं, इसलिये शोभा यह देता है कि इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर को, कि वह इस्तीफा दें। मेरे जून के बयान दिल्ली के कुछ प्रेस में प्रकाशित हुए। मै बहुत प्रयास करता हू, तो मै अपना जुर्म यह पाता हूं खैर, मेरा यह जुर्म हो सकता है, लेकिन, और भी हैं सैकड़ों हजारों जिन बेचारों के बयान भी नहीं निकले, लेकिन जेल में डाल दिया गया। नजरबंदी के कारण क्या है, गिरफ्तारी के कारण क्या हैं, यह उनको कम्युनिकेट ही नहीं किये गये। कम से कम हाईकोर्ट में ही कोई जाय, जानने की कोशिश करे कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ क्या अभियोग है। नहीं, हाईकोर्ट से भी नहीं बतलाया गया। यही नहीं, अमेंडमेन्ट कर दिया गया, मैटीनेंस आफ इन्टरनल सिक्योरिटी ऐक्ट, जिसको भी कहते हैं। मुमकिन है कंस्टीट्युशन में किया हो लेकिन अमेंडमेन्ट ला में हुआ कि हाईकोर्ट स्वयं अगर वह चाहे, तब भी उसको यह अख्तियार नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के गिरफ्तार होने के कारण गवर्नमेन्ट की नजरों में क्या है। इससे ज्यादा तानाशाही, स्वेच्छा और निरंकुशता इतिहास में कहीं मिलेगी ? और फिर मुझे अफसोस होता है कि बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, और डेमोक्रेसी का दम भरकर और आंखमीच कर हाथ उठा रहे हैं। खैर, इस सिलसिले में और अधिक कहना है ज्यादा, इसलिये इस बात को यहीं छोड़ देता हूं।

दूसरी बात है कि जो हर आदमी को खटकेगी, सारे बुनियादी राइट्स, बुनियादी हकूक, मौलिक अधिकार जो कि एक नागरिक के होते हैं, सब सस्पेंडेड हैं, सब निलम्बित हैं। मान लो मैं आज जाना चाहूं पंजाब, यहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर्डर दे सकता है कि आप पंजाब नहीं जायेंगे। जब पंजाब जाने का अधिकार या बंगाल जाने का मेरा अधिकार था जिस तरह का व्यापार करने का अधिकार, सेवा करने का अधिकार, बोलने का अधिकार और गालिबन उसके अन्दर आता है ये 7 फ्रीडम्स जो हैं, सभी ले ली गई हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि मुझको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं पंजाब ? कोई बताने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, पंजाब जाने की बात छोड़ें, अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति शूट कर दें, सब-इंस्पेक्टर कर दे, बदला निकालने के लिए या उसका दिमाग पागल हो जाय और सब-इस्पेक्टर पुलिस कोई आदमी, किसी को भी शूट करे, तो अगर वह बच जाय तो उसको हक हासिल नहीं है कि कचहरी में जाकर मालूम कर सकें कि इसने हम पर गोली क्यों चलाई। और वह मर जाय तो उसके परिवार वालों को यह हक हासिल नहीं है कि वह यह जान सकें कि ऐसा क्यों हुआ। लिबर्टी नहीं है। यह आपके जो अटारनी जनरल हैं, श्री डे, वह स्वयं तस्लीम करते हैं कि आज जो ला है हैबियस कारपस को एप्लीकेशन पर बहस हुई। एक बार नहीं, उन्होंने अनेक बार कहा कि किसी आदमी के खिलाफ क्यों प्रहार किया गया, बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इतिहास में कोई और मिसाल है ऐसी ?

अध्यक्ष महोदय, पुलिस को कितने अधिकार हैं, जो चाहे कर दे ऐसे हक हैं। सारे अधिकार उन पर छोड़कर बैठ गये हैं। अगर आपको सारे अधिकार लेने थे, इंडीविजुअल फ्रीडम को जब्त करना ही था तो अपने हाथ में पावर रखनी थी। लेकिन नहीं है। आप बड़े से बड़ा संगीन मामला होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्राइममिनिस्टर से कह लीजिये लेकिन कोई दादरसी नहीं है। किसी भी सब इंसपेक्टर को या पुलिस वाले को सजा नहीं मिलती, सजा कैसे मिलेगी, आपकी गवर्नमेंट उन्हीं के बल पर चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम मेरे साथी योगदान करेंगे या नहीं। लेकिन मैं तिलहार जेल में जब दिल्ली की पुलिस के अत्याचार की कहानी सुनता था तो मैं बराबर उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ करता था। मैंने वाराणसी जेल में अपनी पार्टी के एक सज्जन को उनके खत के जवाब में लिखा है कि पुलिस दिल्ली बेलगाम है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा घोल नहीं है जैसा मैंने उनको 61 में 67 में, और 70 में देखा। मुझे कोई शिकायत उनसे नहीं थी। देश की बरबादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह ब्युरोक्रेसी है, लेकिन इतना नहीं जितना कि पोलीटीकल लीडर्स हैं। और मुहकमों में मिनिस्टर के काम करने के ढंग का इतनी जल्दी असर नहीं पड़ता है जितनी जल्दी होम मिनिस्टर के एटीट्यूड का असर पुलिस वालों पर पड़ता है। क्या हुआ इस पुलिस को? अब मैं बाहर आया हूं, मुझे किस्से सुनाये गये।

अन्त में जिम्मेदार नारायण दत्त जी, आप और आपसे पहले हमारे एक दोस्त जी बड़े-बड़े अच्छे व्याख्यान देने वाले थे, वे जिम्मेदार हैं। जेल में राजनीतिक बंदियों के साथ जो बर्ताव हो रहा था वह अच्छा नहीं था बमुकाबले, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के, जैसी इत्तिला मेरे कान तक आई थी। मैं समझता हूं कि यह सब दया है बहुगुणा जी की। मुझें माफ करेंगे वे। आज उन्हे हाउस में होना चाहिये था लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वे उसकी तरदीद कर सकेंगे या नहीं।

बरेली जिलाधीश, सेशन्स जिला परिषद् की एक मीटिंग में गये। तो उन्होंने इन राजनीतिक बंदियों के बारे में उन लोगों को कहा जो उनसे मुहब्बत रखते हैं कि जेल में जो ऐसे लोग पड़े हुए हैं, कम्बख्त और क्या-क्या कहा, उनसे मैं पत्थर तुड़वाता और गंगा और यमुना का रेत छनवाता।

(शेम-शेम की आवाजें)

हम दुश्मन हैं उनके, क्योंकि हम आपसे डिफर करते हैं। इसका अन्त कैसे होगा? क्या नीतियां बरतनी पड़ेंगी, लीडरशिप में मतभेद हो सकते हैं। मतभेद होना कोई पाप नहीं है। आपके और हमारे दृष्टिकोण में अन्तर हो सकता है लेकिन यह क्या कि हम देश भक्त नहीं हो सकते हैं। आज कांग्रेस में भी मतभेद रखते हैं, वे राष्ट्र भक्त नहीं हो सकते हैं व देश के दुश्मन से मिले हुये हैं? मैं यह कह रहा था कि आपका दृष्टिकोण पुलिस पर और सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर असर डालेगा। बरेली में, आगरे में और अलीगढ़ में जो अत्याचार हुए हैं, वह मैं थोड़े से आपको सुनाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बरेली की बात सुनाता हूं। वहां पर एक रमेश आनन्द नाम का छात्र था जो एम0एस0सी0 फर्स्ट इयर (मैथमेटिक्स) का विद्यार्थी था, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, उसे 28 अक्तूबर, 1975 को घर से सर्किल इंसपेक्टर कोतवाली ने बुलाकर सायं 6 बजे से रात्रि 2 बजे तक उसके साथ उत्पीड़न किया। दोपहर 2 बजे तक बन्दी बनाया गया। 4 बजे वीरेन्द्र अटल को घर से लाया गया और शाम 4 बजे से ही दोनों से एक साथ पूछताछ की गई। स्कूलों, मशीनों और साइक्लोस्टाइल्ड मशीनों के बारे में गालियों की बौछार करते हुए उनसे पूछा गया और बताने से इनकार करने पर उनको पीटना शुरू हुआ। बाद में जिलाधीश श्री माता प्रसाद जी भी आ गये। उनको देखकर पीटने वालों की हिम्मत और बढ़ गयी। बजाय कम होने के और एपालोजिटिक एटीट्यूट अख्तियार करने के डी0एम0 की आंखें बतला रही थीं कि ठीक कर रहे हो। रस्सी से हाथ बांध कर पीटना शुरू कर दिया। पीटते-पीटते 4 बेंत तोड़ डाले गये परन्तु दोनों में से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। यह देखकर लहीम शहीम हाकिम राय का क्रोध और भड़क गया। डी0एम0 को खुश करने का उसे अच्छा मौका नजर आया। अतएव उसने बिजली के पिलास से रमेश आनन्द के हाथ का अंगूठा बड़ी क्रूरता से दबाया।

[चौधरी चरण सिंह---]

खून की धार बह चली। इसके बाद उसने अंगुली दबायी और बहुत ही बेजा-बेजा गालियां दीं। इसके बाद उसने वीरेन्द्र अटल के हाथ की एक-एक करके चार अंगुलियों को लहू-लहान कर दिया और कहा, "सब नाखून खींच लूंगा नहीं तो बताओ कहां रहता है प्रचार, कहां होता है साइक्लोस्टाइल आदि" जब नाखूनों के पिलास से दबाने पर वे कुछ भी नहीं कर पाये तो दोनों को जमीन पर (क्रिमिनल्स थे, मौजूदा गवर्नमेंट से डिफर करने की हिम्मत) पटक दिया गया और पैर ऊपर कर के बेंतों से इतनी पिटाई लगायी कि तीन बेंत टूट गये। दोपहर से लेकर अगली दोपहर तक चाय भी नहीं पिलायी गयी, भोजन तो बहुत दूर रहा। 29-30 अक्तूबर को दोपहर पैदल-पैदल चला कर और हथकड़ी डालकर जेल भेज दिया गया। जेल में सब कैदियों की मांग पर 29 अक्तूबर, 1975 की रात्रि में ही दोनों की डाक्टरी जांच हुई जिसमें प्रत्येक के शरीर पर 11 चोटें दर्ज की गयीं। इतना घोर अमानुषिक अत्याचार किया गया।

दूसरा (वीरेन्द्र अटल) छात्र बी0ए0 फर्स्ट इयर (उम्र 20 वर्ष) कटरा जान खां, बरेली। 28 अक्तूबर को सर्किल इंसपेक्टर हाकिम राय द्वारा रमेश आनन्द के साथ हुई, घटना ऊपर लिख दी गयी है।

चेतराम की मृत्यु भी हो गयी पिटते-पिटते। इनकी फोटो भी मौजूद है। इनकी कहानी सुन लीजिये। व्यवसायी। उम्र 40 वर्ष। कालीबाड़ी, बरेली। 23 नवम्बर, 1975 को सत्याग्रह। थाना किला इंस्पेक्टर रणविजय सिंह द्वारा पिटाई और मृत्यु। 23 नवम्बर, 1975 को चेतराम ने अपने एक साथी शिव नारायण के साथ सत्याग्रह किया। थाना किला के इंस्पेक्टर रणविजय सिंह ने थाने ले जाकर लात घूंसा और डंडों से बहुत पिटाई की जिससे चेतराम के शरीर में मार्मिक चोटें आयीं। बाद में जिला जेल, बरेली भेज दिया गया जहां चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। इस प्रकार अपनी चोटों की असहनीय पीड़ा के कारण 12 दिसम्बर को उन्होंने शरीर छोड़ दिया और शहीदों में अपना नाम लिखा लिया। तानाशाही के नंगे नाच का यह एक नमूना है।

ज्ञानेंद्र देव, छात्र बी0ए0 फर्स्ट इयर, बरेली कालेज, उम्र 19 वर्ष, उसका एक दूसरा साथी था जिसकी उम्र 22 वर्ष थी और एक अध्यापक इन तीन लोगों ने बरेली कालेज में एक साथ सत्याग्रह किया। थाना बारादरी के इंसपेक्टर, श्री शैलेंद्र नाथ घोषाल ने थाने में ले जाकर उनकी बहुत पिटाई की और उनसे तरह-तरह की पूछत छ की। पर इन लोगों ने कुछ नहीं बतलाया। झक मार कर उनको जेल भेज दिया गया। विश्व बन्धु नाम के दूसरे साथी थे उनको मैं छोड़े देता हूं।

अब जिला पीलीभीत के उत्पीड़न की बात सुनिये। पीलीभीत में पुलिस शासन ने अपना आन्तक फैला रखा था। वहां के पुलिस इंसपेक्टर, श्री गौड़ और तिवारी ने घोषणा कर रखी थी कि पीलीभीत में सत्याग्रह नहीं होगा। इसको साबित करना था कि सत्याग्रह नहीं हुआ। परन्तु सत्याग्रह हुआ और सत्याग्रहियों की बेहिसाब पिटाई की गयी। पिटाई की और घटनाओं को मैं छोड़ देता हूं।

आगरा डिवीजन की पिटाई सम्बन्धी बहुत सी घटनायें हैं लेकिन उन सब को छोड़कर केवल दो को सुनाता हूं। एक डाक्टर हैं अलीगढ़ के श्री निवासपाला, उनको अपने घर पर पकड़ा गया और पुलिस स्टेशन पर ले जाकर वहां एक दरख्त पर पैर उनका ऊपर करके लटका दिया गया। पैर ऊपर और सर नीचे और इस तरह से उनको दो दिन तक पीटा गया। एक लड़के को तो लोहे की सलाख से पीटा गया। 28 नवम्बर को श्री तेज सिंह को 9 आदमियों के साथ जो अतरौला के रहने वाले हैं, उनको पुलिस लाइन, अलीगढ़ में ले जाकर पीटा गया और उनको पीने के लिए पानी के बजाय पेशाब दिया गया। एक

बूढ़ा किसान ज्ञान सिंह था, उसे इतना पीटा गया कि उसके दो दांत टूट गये और इन सब लोगों से यह भी कहा गया कि तुम अपने जूतों से खुद अपने आप को पीटो या एक दूसरे के जूते से एक दूसरे को पीटो। बाली सिंह नाम के एक व्यक्ति को इतना पीटा गया कि 26 दिसम्बर, 1975 को जेल में जाकर उसका इन्तकाल हो गया। 18–19 को वहां सत्याग्रह हुआ था। इसी तरह से मथुरा में सिरोही और डी0 बी0 चौधरी को पीटा गया। पहली दिसम्बर को राम प्रसाद और उसके दूसरे साथी जो बनारसी पुल के रहने वाले हैं उनको बल्देव पुलिस स्टेशन के तोमर और त्यागी नाम के पुलिस आफिसर ने खूब पीटा। टिल व्लीडिंग विगिन फ्राम द माउथ एण्ड नोंज, इतनी पिटाई की कि जब तक उनके मुंह से और नाक से खून निकलना शुरू हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसे छोड़ देता हूं।

एक जर्नलिस्ट हैं। फेमस है। सीनियर जर्नलिस्ट है, नाम है, देव नंदन कुमेशिया, काफी लोग नाम जानते हैं। इतना उनको पीटा गया कि वे अन-कांसियस हो गये, बेहोश हो गये। एक प्वाइंट है, इतना पीटा जाता है कि बेहोश हो जाते है। यह क्या है? अध्यक्ष महोदय, और बुलन्दशहर के कई केसेज है लेकिन मैं उनको छोड़ देता हूं। यह सब क्या हो रहा है? यह कैसे उन्होंने हिम्मत की? तिवारी जी! आपके और आपके प्रोडीसेसर्स के बल पर, हो नहीं सकता था ऐसा अगर आपकी निगाह नहीं थी। इमरजेन्सी रहती है। लेकिन कानून अलग है, कानून के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। इमरजेन्सी के माने यह नहीं है कि नाखून खींच लिये जायेंगे और उनको पेशाब पिलाया जायगा। और इतनी पिटाई की जायगी कि उनकी डेथ हो जायगी। यह बात नहीं है कि इसकी नोटिस अफसरों को नहीं है।

मेरे साथियों ने मुझे तफसील से बताया कि डी0 एम0 को लिखा, एस0 पी0 को लिखा लेकिन नो ऐक्शन, कुछ नहीं हुआ। कल ही मेरे पास देवरिया के कुछ लोग आये। मैं उनको नहीं जानता। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिला वजह जेल में बंद कर दिया था। डी0आई0जी0 के पास गये सब कुछ किया। कह रहे थे अब मीसा में बंद करने का इरादा है। मैंने कहा कि लिखकर दे दो, नारायणदत्त जी मेरे साथी रहे है, लाये शाम को लिखकर मैंने कहा कि मेरी तबीयत कुछ बहुत अच्छी नहीं है, कल दे भी नहीं सकता, मैं मशगूल रहूंगा, 24–25 को मिलना। यह पुलिस वालों की हिम्मत है, क्यों है? क्या पुलिस इस देश की मालिक है या आप लोग है? यह पुलिस का हाल है। मैं तो नहीं कहता कि उनका दोष है। वह तो एक मशीन है किसी तरह इस्तेमाल कर लो, किसी तरह इस्तेमाल कर लीजिये। उसी तरीके से रिएक्ट करेगी जैसा आपका दृष्टिकोण है। कांग्रेस पार्टी पावर में हमेशा रहना चाहती है। अगर कोई कुछ कहता है, या कहने की हिम्मत करे तो देश का दुश्मन कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। दुनियां में देशद्रोहियों के साथ डेमोक्रेसीज में नहीं बल्कि जैसा डिक्टेटरशिप में बर्ताव किया गया है वैसा ही बर्ताव किया जा रहा है। यह हिम्मत है। अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस को छोड़ देता हूं।

मैजिस्ट्रेटों की सुनिये। मैजिस्ट्रेटों, पुलिस के घेरे में हैं, पुलिस कहेगी बिल्कुल वैसा ही करेंगें। नहीं है। इंडिपेडेंट खुद कोई डिस्क्रिशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो सुपरिन्टेंडेंट कहेगा वही मैजिस्ट्रेट करेगा। एक आधे मैजिस्ट्रेट जो सुपरिटेंडेंट क्या कहता उसको परवाह नहीं करते अगर आप इनाम दे सकें। मैं आपको नाम बताऊं लेकिन वास्ट मेजोरिटी ऐसी है पुलिस कहती है उसके मुताबिक करते है। फिर जरूरत क्या है मैजिस्ट्रेटों की? केस में पुलिस वाले ही मुकदमा चलायें और जो चाहें करें।

एक सब-इन्सपेक्टर लड़का एक प्रोफेसर को गिरफ्तार करने गया। वह लड़का उनसे पढ़ चुका था। प्रोफेसर का नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं लेकिन वह इतने ईमानदार कि मिलना मुश्किल है। वह युनिवार्सिटी में प्रोफेसर हैं। सब-इन्सपेक्टर ने उनके पैर छुआ और कहा कि गुरुजी हम आपको गिरफ्तार करने आये है। वह बोले क्यों? उसने कहा कि हुकुम है। उन्होंने कहा कि क्या कसूर है? उसने कहा मैं यह नहीं जानता

[चौधरी चरण सिंह]

हूं। प्रोफेसर तिहार जेल में गये। मुकदमा पेश हुआ। धीरे-धीरे लड़के को दया आयी कह दिया कि मामला झूठा है। रोजाना क्या किस्सा होता था कि जेल से लोग छूटते थे और जेल के फाटक पर गिरफ्तार कर लिये जाते और दूसरे या तीसरे दिन मैजिस्ट्रेट के यहां मुकदमा पेश हो जाता कि फलां कोने पर 30 आदमी इकटठा थे और यह कह रहे थे कि गवर्नमेंन्ट निकम्मी है। इस तरह फिर वह गिरफ्तार कर लिये गये और 3 महीने के बाद फिर छूटे। पुलिस कहती है कि वह जाते ही व्याख्यान देते थे। सेशन जज आर्डर करता तो उनको रिलीज करना पड़ता। फिर आया केस बना दिया। 3 दिन हवालात में पुलिस ने रखा चूंकि पुलिस आफिसर के वहां शादी थी। फिर वह मैजिस्टेट के यहां हाजिर हुआ और मैजिस्ट्रट ने उसके लिये वह शब्द स्तेमाल किया जिसको मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं। अंग्रेजों के जमाने में मैजिस्ट्रेसी डिमोरलाइज्ड थी लेकिन अब मैजिस्ट्रेसी क्या है। सुप्रीमकोर्ट के जज के साथ क्या बर्ताव नहीं किया? उसमें जिस तरह से कन्फरमेशन और प्रोमोशन होते है वह भी मिसाल है। 1973 की बात है जजमेन्ट गवर्मेन्ट के खिलाफ होता है। जो जज उस जजमेन्ट को देने में शामिल होता है उन दोनों को सुपरसीड कर दिया जाता है कैसे वह नाकाबिल थे यह नहीं बताया जाता है। एक जूनियर आदमी को चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाता है। मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सुपरसीड किया गया जो हर प्रकार से सीनियर था और जिस प्रकार एप्वाइन्ट किया गया उसका असर किसी पर न पड़े यह मुश्किल है। फिर पजाब हाईकोर्ट में यह हुआ कि एक सीनियर आदमी जिसकी सारा बार इज्जत करता है उसको सुपरसीड किया एक जज ने जिसका फैसला गर्वमेन्ट के माफिक हुआ था। मैं जजों की शान के खिलाफ नहीं कहूंगा लेकिन फैसला गवर्नमेन्ट के माफिक होता था इसलिये उनका प्रामोशन हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के रंगनाथन अग्रवाल है।

ऐसा इत्तफाक है कि उनके तीन चार जजमेंट गवर्नमेन्ट के खिलाफ हो जाते हैं कुलदीप नेयर जो कि स्टेट्समैन के एडीटर रह चुके है वेल नोन जरनलिस्ट है. कई किताबें लिखी है जिनमें एसी बातें लिखी हैं जिनसे इंदिरा जी खुश नहीं हो सकती इसलिये उनको जेल भेज दिया। 26 को मैं पहुंचा 28 को कुलदीप नैय्यर आ गये। फाटक पर इतफाक से मुलाकात हो गयी। नहीं, अगस्त में मुलाकात खुल गयी थी। मैं भी फाटक पर गया तो उनसे मुलाकत हो गयी। उनका कसूर यह था कि गोपीचन्द भार्गव के पहले सच्चर साहब जो कि कांग्रेस लीडर थे उनके वह दामाद है। सच्चर साहब नें यह लिखने की जुर्रत की कि आपने इमरजेन्सी लगायी है और जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वह मुनासिब नहीं है, इस पर पुन-विचार करें। सच्चर साहब शायद उड़ीसा के गवर्नर भी रह चुके है। उनके खिलाफ लिखनें से इंदिरा जी नाराज हो गयी। उनको भी जेल भेज दिया। ससुर को भी जेल और दामाद को भी जेल जिस दिन मैं फाटक पर गया उस दिन उनकी बहू मुलाकात करने आयी थी। मजाक भी अच्छा रहा। मैंने यह उनसे कहा कि घबराना नहीं, सच्चर साहब को तकलीफ नहीं होगी उन्होंने कहा कि मैं कहां घबराती हूं। ससुर और दामाद साथ साथ रहेगें। ससुराल में आ गये है। बाद में सच्चर साहब को छोड़ दिया गया। उन्होंने रिट फाइल कर दी थी हाईकोर्ट में। वह उस बेंच के सामने आ गयी। उन्हें एटीटूयड मालूम था। पेशतर इसके कि आर्डर दे सके गवर्नमेन्ट को रिलीज करने का आर्डर देना पड़ा। इसलिये कि बदनामी होगी।

एक आधा केस और हो चुके है। आर0 एन0 अग्रवाल को प्रोमोशन ड्यू था। लेकिन उनके दो जूनियर का प्रोमोशन हो गया और सुपरसीड कर दिया गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोट की बार ने एक रिजोलूशन पास किया। इनको किस बात की सजा मिली। जूनियर आदमी कन्फर्म्ड और सीनियर आदमी नाट कन्फर्म्ड यानी सुपरसीडेड। मुझको एक एडवोकेट ने बतलाया। मैंने एडवोकेट साहब को बुलाया था। मैं रिट पेटीशन फाइल करना चाहता

था ताकि एम0 एल0 ऐज0 जो जेल में हैं उनको पूरी सहूलियत दी जा सके । इसके लिये दिल्ली हाई कोर्ट के एक एडवोकेट को बुलाया । उन्होंने बतलाया कि आज एक रेजोलूशन पास किया है और एक डेपुटेशन लेकर इन्दिरा जी के पास जा रहे है । फिर मेरी उनसे बात नहीं हुई । मुझे नहीं मालूम क्या हुआ । लेकिन मैंने सुना यह है कि कोई नतीजा नहीं निकला। कई जजेज के साथ यह बर्ताव है । जो जज खिलाफ फैसला दे देता तो उसका जलूस निकलेगा नारायण दत्त की कोठी के सामने और उसका पुतला जलाया जायगा और कहा जायगा कि सी0 आई0 ए0 से मिला हुआ है। कितनें आदमी हैं जिनकी हिम्मत हो कि इतने एक्यूजेशन के बाद चुप बैठ जायेंगे । जजेज की क्या हिम्मत है कि आपकी निगाह न देखकर आपके खिलाफ फैसला दे सकें । लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि कुछ लोग अभी बचे हुए हैं । बंगाल हाईकोर्ट, भोपाल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जो फैसले हुए हैं उनसे कुछ आशा बंधती है ।

अब लीजिये आल इंडिया टेलीवीजन का । ये तो गवर्नमेन्ट में प्रोपेगेंडा के इन्सट्रूमेन्ट हो गये हैं । रेडियो से सिर्फ गवर्नमेंट का ही प्रोपगंडा होता रहता है ।

एक सदस्य--

ये तो यहां की बातें नहीं हैं बल्कि पार्लियामेंन्ट में कहने वाली बातें हैं ।

चौधरी चरण सिंह--

क्या रेडियो को आप यहां उत्तर प्रदेश में नहीं सुनते हैं ? क्या आप टेलिविजन यहां नहीं देखतें हैं ? यह फेडरल स्टेट है, युनिटरी बना दी गई है। लेकिन इन सभी बातों का प्रभाव आप पर पड़ता है और इसका पूरा असर आप पर आता है । इमरजेन्सी का जिक्र हमारे राज्यपाल ने भी किया है । एक्चुली आप देखें कि यह बात सही है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम बोलना बन्द कर दें तो बन्द कर सकते हैं।

मैं यह कह रहा था कि रेडियो जो कि गवर्नमेन्ट की तरफ से है वह गवर्नमेन्ट का माउथपीस बन गया है। जब कि वह गवर्नमेंन्ट का माउथपीस नहीं है। वह केवल कांग्रेस पार्टी के लिये नहीं है बल्कि यह सारे पब्लिक के लिये है अपोजीशन के सभी लीडर्स कहते-कहते थक गये हैं कि इसका कारपोरेशन बना दिया जाये लेकिन यह नहीं हो पाया है । गवर्नमेन्ट के अपने प्रचार का यह साधन बन जाये क्या यह उपयुक्त है ? डेमोक्रेसी का यह कन्सेप्ट नहीं है, हां सोशियो डेमोक्रेसी में यह हो सकता है । जितने चार्जेज गुजरात गवर्नमेन्ट पर लगाये गये क्या वे सब आये ? बाबूभाई पटेल का कुछ नहीं आया । हितेन्द्र देसाई ने जो चार्जेज लगाये वे आये । वे कांग्रेस लीडर हैं। लेकिन जो गवर्नमेन्ट की हैसियत से, उसका प्रतिनिधि मुख्यमंत्री की हैसियत से जवाब दे वह न आये। आचार्य भावे ने कभी कोई बात कही जिसको उन्होंने इन्कार किया कि ये लफ्ज मैंने नहीं कहे कि इमरजेन्सी में अनुशासन रखना जरूरी है। आल इंडिया रेडियो ने उसका खूब प्रोपोगंडा किया और कहा कि आचार्य भावे यह कह रहे थे कि इमरजेन्सी अनुशासन पर्व है । हमारे एक साथी ट्रान्जिस्टर सुना करते थे वे कहा करते कि एक नौजवान जिसका नाम संजय गांधी है उनका प्रोग्राम आ रहा है रेडियो पर । हमारी बहन इन्दिरा जी का युवराज, सुपुत्र संजय गांधी का रेडियो पर प्रोग्राम आ रहा है इसका क्या औचित्य है ? अगर मेरी बात गलत है तो आप मुझको माफ करेंगे । किस नाम, किस उसूल से ऐसा किया जाता है ? क्या कभी उन्होंने कांग्रेस में रह कर कोई काम किया है ?

तो आपकी कांशस फिक्र करती है या नहीं करती है । प्रेस सेन्सर्ड है । सन 42 में 60,70 हजार आदमी गिरफ्तार हुये और उसका असर आज तक हमारे दिमाग पर है कि कितना बड़ा मवमेंट था । आज दूने आदमी गिरफ्तार हुये लेकिन लोगों को लगता है कि कोई मूवमेंट

[चौधरी चरण सिंह]

ही नहीं है क्योंकि कोई अखबार कुछ छाप ही नहीं सकता है । अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा सैंसर नहीं था, जैसा आज है । राजनारायण का बेल जेरे समात था । संजय गांधी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको सुनने के लिये और पुलिस वकीलों का जाना रोक देती है एक जगह से दूसरी जगह उनको जाने से, क्योंकि संजय आये हुये हैं । उनको खतरा हो सकता है । सुप्रीम कोर्ट के बार एसोशियेशन की मीटिंग होती है, पुलिस के एटीट्यूड को कंडम किया जाता है चीफ जस्टिस के पास उनका एक डेपुटेशन जाता है कि पुलिस किस तरह से लाइयर्स को रोकती है । चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर को लिखता है । क्या यह ऐसी चीज है जिसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं होना चाहिये ? क्या आप समझते हैं कि दल के दोस्त इतनी बड़ी इस चीज को छोड़ सकते थे, लेकिन यह न्यूज अखबार में नहीं छपी क्योंकि सैंसर था । कौन से नार्म्स हैं यह आपका आईना पंजा क्या जाहिर करता है आपके इस एटीट्यूड के सम्बन्ध में कुलदीप मेजर का जजमेंट हुआ । एक दो पेपर में आखिरी पृष्ठ पर अथवा आखिरी कालम में कुछ छपा लेकिन आम तौर पर नहीं छापा गया ।

इसी तरह से प्रेसीडेन्सी जेल कलकत्ते की टूट जाती है । लगभग 67 नक्सलाइट कैदी दिन के दो बजे जेल को तोड़ कर आजाद हो जाते हैं । पटना जेल इसी तरह से टूट जाती है । लेकिन यह सब प्रेस में नहीं आता । इसी तरह से दिल्ली में तिहार जेल टूट जाती है, पोलिटिकल कैदी कोई नहीं निकला था । नान पोलिटिकल कैदी 9 अथवा 12 निकल गये । एक भी कैदी दिल्ली की जेल से अगर 26 जनवरी से पहले निकल जाता है तो इम्पार्टेंट न्यूज हो जाती है लेकिन इतनी जेलें टूटीं उनकी न्यूज अखबारों में नहीं आई । कितनी ऐसी चीजें हैं जो इम्पार्टेन्ट नही थीं उनकी बाबत बतलाया जाता है लेकिन जो इम्पार्टेन्ट थीं उनकी बाबत नही बतलाया गया । कौन सा सेंसर है ? कौन सी बात है जो गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ रही थी ?

किन अपोजिशन के लोगों की यह साजिश है गवर्नमेंट को गिराने की, जिसके लिये आपने सैंसर लगाया । फन्डामेंटल राइट्स में उतना ही महत्व फीडम आफ दि प्रेस भी रखती है। 4 अंग माने जाते हैं जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और प्रेस । जुडिशियरी के बारे में मैं बता चुका हूं, एक्जीक्यूटिव के बारे में बता चुका हूं । लेजिस्लेचर का यह हाल है कि 336 एम0 पीज0 ने वहां पर हाथ उठाया, कुछ नहीं हुआ। चौथा जो है, वह यह है प्रेस। यह चीज है और वह बड़े अफसोस की बात है हमारी प्रधान मंत्री कभी सच नहीं बोलेंगी। कभी नहीं बोलेंगी । लिख लीजिये, इसका जवाब दे दीजियेगा । जो-जो बयान उन्होंने दिये हैं उसमें गलत बयानी हो गयी अधिक । कहती हैं कहां सैंसर है। प्रेस वाले या इन्टरव्यू वाले जब पूछते हैं तो कहती हैं कि सैंसर कहां है ? नारायण दत्त जी यहां सैंसर है ? हिन्दुस्तान में है या नहीं ? गाइड-लाइन्स जो हैं वे सधी हुई हैं । उनके खिलाफ अगर आप कुछ करें तो फौरन ऐक्शन ।

गाइड-लाइन्स के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सैंसर का अफसर बैठा है, उसके खिलाफ कर सकते तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट दिया जायेगा और कोई अपील नहा होगी। यह है आपका हाल यहां गाइड लाइन्स ऐसी हैं और मैंने सुना है कि आपको इस बीच कुछ गाइड-लान्इस जारी हुई हैं 22 मार्च को । उसमें किसी के दस्तखत नहीं हैं कि किसकी तरफ से जारी हुई है । अगर कोई प्रेस वाला न माने और यह कहे कि किसी के दस्तखत नहं थे तो इन्फारमेशन डिपार्टमेंट, सैंसर डिपार्टमेंट, डी0 एम0, चीफ मिनिस्टर बच जायगा। हाई कोर्ट में बच जायगा । आपके हाथ में जितनी पावर है उसको रगड़कर रख दोगे । क्या आपने प्रेस को बना दिया है ? आज मैंने सुबह पाइनियर देखा । उसमें कुछ न्यूज नहीं । ऐसे ही और पेपर्स हैं, ए टू जेड । दो ही नाम उसमें है एक हमारी बहन जी है और एक हमारा भानजा है.... (श्रीमती गायत्री देवी की ओर इंगित करते हुये) आपको कोई एतराज तो नही है ? (हंसी)....

मैं अभी 19–20 तारीख को बम्बई गया था । 4–5 पार्टीज के नुमाइन्दों ने इकट्ठा होकर यह तय किया है कि एक जबरदस्त अपोजिशन पार्टी बनायी जाय । फैसला हो गया । 20 तारीख के दोपहर की मीटिंग में मैं मौजूद था लेकिन 21 तारीख को मुझे यहां आना था इसलिये मैं इजाजत लेकर यहां आ गया । उस रोज एक रिजोल्यूशन एक सज्जन लिखकर लाये । जय प्रकाश नारायण जी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिये वे नहीं आ पाये इसलिये उस सज्जन ने कहा कि 21 को हम वह रिजोल्यूशन रिलीज कर देंगे, वह 22 को आना चाहिये था । वह 20 तारीख की बात है । आज 23 तारीख है, न कल आया और न आज ही । रिलीज हुआ तो जरूर कर दिया होगा किन्तु आज तक प्रेस में नहीं आया । वह खबर आज भी नहीं आई यानी 23 तारीख को भी नहीं आई । उस पर उनकी कृप दृष्टि हो गई होगी क्योंकि 4 पार्टियों का एक होना उनके हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है । वह चाहते हैं कि ये आपस में लड़ते रहे ताकि आपकी गद्दी हमेशा-हमेशा के लिये सुरक्षित रहे । आपकी ही नहीं आपकी औलाद के लिये भी, क्योंकि दो पीढ़ी तो बीत गई । तो यह है आपका सेंसरशिप ।

इसी तरह से अग्रवाल और जेल कांड के बारे में भी कुछ नहीं आया । अग्रवाल के केस में मीटिंग हुई वह भी नहीं आया । यह जो हमारे अखबार वाले हैं इनसे मेरी मुलाकात हुई कुछ नये-नये नौजवान आ गये हैं मैं उनको नहीं जानता । उनकी आखों से, उनके लहजे से मालूम होता है कि वे आपके मेहरबानी के शिकार हैं । जब उनसे कुछ पूछते हैं तो वह बोल नहीं पाते हैं ।

अब और एक मजे की बात है अभी एक फारेन न्यूज एजेन्सी से इन्टरव्यू हुआ हमारी बहन जी का । तो उन्होंने कहा कि प्रेस सेंसर क्यों लगा रखा है तो उन्होंने कहा कि यह गवर्नमेंट के खिलाफ अनर्गल प्रोपेगन्डा करते थे क्योंकि यह बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेज के हैं और प्रापर्टी वाले हैं इसलिये वह हमारे खिलाफ हैं क्योंकि इंदिरा जी गरीबों की हामी हैं लिहाजा यह प्रेस वाले मालदार आदमी हैं उनके खिलाफ हैं इसलिये यह खिलाफ प्रोपोगन्डा करते हैं । तो पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नारायण दत्त जी प्रोपोगन्डा करने का सब को हक होता है राइटली और रांगली भी अगर वह करना चाहे । कहीं संविधान में लिखा है कि प्रोपोगंडा नहीं होगा । क्योंकि यह प्रोपेगन्डा मेरे खिलाफ होता है इसलिये वह नहीं चाहती हैं और इसी लिये वह डिमोक्रेसी के भी खिलाफ हैं । तो इसके पीछे रीजन्स हैं । नारायण दत्त जी भी मेरे नवजवान दोस्त हैं उनसे यह बात कहना चाहता हूं मालदार लोग आपके खिलाफ नहीं है और आप भी उनके खिलाफ नहीं हैं । अगर उनसे पूछा जाय तो आपसे बेहतर कोई और गवर्नमेंट नहीं मिलेगी ।

सन् 1947 में बिड़ला जी की जो संपत्ति थी वह 30 करोड़ थी और 1951 में वह 65 करोड़ हो गई और 1964 में वह 4 सौ करोड़ हो गई और आज बहिन जी के राज्य में 10 वर्ष के शासन के बाद 10 अरब की हो गई है पन्डित जी के इतकाल के बाद । ही हाल सबका है । 95 इस तरह के बिजनेस हाउसेंज हैं जब से आपका राज्य आया तब से उनकी संपत्ति गुनी, चौगुनी और पंचगुनी हो गई है । और आप दुनिया को जाहिर कराना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ हैं । जिस वक्त इमरजेन्सी लागू की गई तो उस बक्त फेक आर्गनाइजेसंस कायम किये टीचर्स के या औरों के और वह दिल्ली में आये डैपुटेशन लेकर उसमें आपके आई 0सी 0सी 0 या एफ 0सी 0 आई 0 पता नहीं क्या नाम है तो उसमें बिड़ला जी जाते हैं और कहते हैं कि जो आपने इमरजेन्सी लागू की है उसको ह सपोर्ट करते हैं । तो फिर आप बताना चाहते है दुनियां को कि आप उनके खिलाफ हैं इसलिये आपके खिलाफ खबर छापते हैं जो शिकायत हमारी होनी चाहिये थी कि अखबार वाले हमारी खबरों को छापते नहीं हैं वह आप करते हैं दुनियां को दिखाने के लिये । आपके हाथ में एडवरटाइजमेंट है, न्यूजपेपर, कोटा रिलीज करना आपके हाथ में है, इलैक्ट्रिसिटी आपके हाथ में है, लाइसेंस देना आपके हाथ में है, फैक्ट्रीज लगाना आपके हाथ में है । तो क्या आपके खिलाफ हो सकते है ? इसका मतलब

[चौधरी चरण सिंह]

है ऐसी ऐसी झूठ, वैसे झूठ शब्द मैं नहीं कहूंगा । जानबूझ कर ऐसी नंगी और गलत बयानी करेंगे । इस तरह से गलत बयानी करना आपकी ही हिम्मत है । किस हिम्मत के साथ रोज गलत बयानी कर रहे हैं और उसके जस्टिफिकेशन के लिये झूठ बोलेंगे ।

यह गलतबयानी और झूठ शब्द वापस ले लिया है अब मैंने । तो यह उनकी हिम्मत है, यह कोई पुरुष नहीं कर सकता है इस तरह से। कोई पुरुष 60 करोड़ आदमियों को एमरजेन्सी के नाम पर इस तरह से नहीं हांक सकता है, जैसे यह राजेन्द्र कुमारी जी कर सकती हैं या इंदिरा गांधी जी कर रही हैं ।

श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

चौधरी साहब ने स्वीकार किया, इसलिये उनको धन्यवाद देती हूं ।

चौधरी चरण सिंह---

गाय बिगड़ जाये तो आदमी को छोड़ेगी नहीं, भले ही बैल किसी को छोड भी दे । बहनों में यह बात है ही। रोजाना रोजाना गलतबयानी, मेरी समझ में नहीं आता वह कैसे कर रही हैं। पार्लियामेन्ट्री एसोसियेशन की मीटिंग हुई, जिसमें के समाचार सेंसर्ड होकर आते थे, उसी से हम बहुत कुछ समझ लेते थे । आपकी तरफ से जो गवर्नमेंट के आदमी पैरवी करने वाले थे, उनकी तकरीर आधे कालम में और जवाब केवल दो फिक्रों में । यह आपने उनके साथ बर्ताव किया । सच्चाई को जितना आपने घूटा है, उतना इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। कितनी न्यूज एजेन्सी थीं, सब 'समाचार' हो गईं। अब ऐसे आया करेगा जैसे चायना की न्यूज एजेन्सी । जैसे "तास" है मास्को का वैसा आपका "समाचार" है दिल्ली का । दिल्ली का "समाचार" और मास्को का "तास" बराबर लेवेल पर हैं । जो वैल्यूज आप कायम करेंगे, उसका जो नये साहबान हैं उन पर असर होगा । पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त की वैल्यूज का असर हम पर हुआ है, वैसे ही आपकी वैल्यूज का असर नई पीढ़ी पर होगा । इसी तरह से जो इन्दिरा गांधी कहेंगी, जो उनका तरीका होगा जो उनके मूल्य होंगे, जो उनका दृष्टिकोण होगा । जिस चश्मे से वह दुनिया को देखेगी जिनको कांग्रेस में रहना है उनको उसी तरीके से रहना होगा ।

एक अपोजीशन के सदस्य ने पार्लियामेंट में मंत्री जी से सवाल पूछा कि क्या आप 3-4 अंग्रेजी के यू 0एन 0आई 0 व पी 0टी 0आई 0 आदि जो पुरानी व इम्पार्टेन्ट न्यूज एजेन्सी हैं और जो कई और धीरे-धीरे हिन्दी की नई डेवलप कर रही हैं, उनको काटपीट कर एक जगह लाना चाहते हैं, तो उस पर तत्सम्बन्धी मंत्री श्री वी 0सी 0 शुक्ल ने कहा कि बिलकुल आजादी है, बिलकुल वालेन्टेरली है । इस पर मुझे हिटलर की याद आती है, जिसने कहा था कि सबने वालेन्टेरली कन्फेश किया है कि हमने जुर्म किया है । हिटलर के जमाने में जो राजनैतिक कार्यकर्ता जेल ले जाये गये थे उनके साथ वह बर्ताव हुआ, जो बरेली में हुआ है कि अंगूठा निकालो और उन्होंने सबको कन्फेशन करते पाया। तो वैसे ही इन्होंने प्रेस वालों के साथ किया कि वालेन्टेरीली अपनी हस्ती मिटाने के लिये वे तैयार हो गये ।

नारायण दत्त जी, मैं तो अपनी सारी तकरीर वापस ले लूंगा अगर आप यह इन अखबार वालों से पूंछ लें । लिहाजा आपकी क्या पोजीशन, जो जरा कान फड़फड़ायेगा, जेल के अन्दर । हाई कोर्ट के अन्दर भी यह जानने की हिम्मत नहीं । सब-इन्सपेक्टर से नाराजगी हो गयी जेल के अन्दर । दूकानदार से जितना रुपया मांगा था नहीं दिया, मीसा के अन्दर और अगर आप बुरा न माने, मुझे लगता है कि आप सब लोग चिपक जायेंगे मुझसे । मुझे वैसे भी मालूम हुआ कि आमतौर पर वे पुलिस वालों का अब यह डेवलपमेंट हुआ । अभी यह तरक्की हुई कि पुलिस वाले यह अकलमंदी कर रहे हैं । बड़ी होशियारी का काम है कि जो लोकल लोग हैं, उनसे मशविरा करके काम करते हैं । तो यह हो रहा है । यह इस तरह से बढ़ रही है । तो मैं आप से यह कह रहा था कि यह पोजीशन है कि जेल के अन्दर जिसको चाहे जेल भेज दिया । जूडिशियरी की हालत खराब, मजिस्ट्रेटों की हिम्मत नहीं और

प्रस रेडियो आपके हाथ में है । न्यूज एजेन्सी आपके कब्जे में और पब्लिक मीटिंग हम कर नहीं सकते । जो मैं तकरीर यहां कर रहा हूं वह अखबार में छप नहीं सकती । क्यों ? आप सोचिये ? क्यों डरते हैं आप ? अखबारों में क्यों नही छपने देते, कोई कारण है ? पब्लिक मीटिंग नही करने देंगे अखबार में नहीं छपने देंगे । जिसको मन चाहे गिरफ्तार कर लेंगे । डिमोक्रेसी है ? तो यह तरीका है डिक्टेटरशिप का । न्यूज अखबार सब खत्म । नंगा राज्य आपका हो रहा है । बेशर्मी के साथ हो रहा है । मैं वक्त लेना ही नहीं चाहता था ।

महात्मा जी ने क्या कहा था हिन्दुस्तान के लिये ? नेशनल हेराल्ड का जिक्र मुझे करना है । तो अब और झूठ प्रोपोगंडा दिनो रात । आवाज विरोधी पक्ष की कुचल दी गई । गला उनका घोट दिया गया । लिख नहीं सकते । बोल नही सकते, रोज गलत बात कहते हैं । ब्रेजनेव आया था दो वर्ष हुये, मधुलिमये से यह पूछ बैठा कि भाई दूसरी पार्टी की नीड क्या है यहां पर ? उन्होंने तो बहुत अच्छा जवाब दिया होगा । मुझे नहीं मालूम है । इससे ज्यादा एक दफा उन्होंने कमेटी में जिक्र किया था । मुझे नहीं मालूम । जब हम चुनकर आ जायें, तो हम प्राइम मिनिस्टर हो गये, चीफ मिनिस्टर हो गये । तो अब कहां अपोजीशन की जरूरत ? तो ब्रेजनेव आपको पसन्द हैं जिसके यहां 80 हजार मुकदमें

(इस समय 2 बजकर 4 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये)

पड़े हैं, जिसको 20 साल हो गये, 28 साल हो गये अगर यह कि कर्तव्य विमूढ़ बैठे रहे, तो आप भी उसी की नकल कर रहे हैं । आपकी निगाह सोशल डेमोक्रेसी की तरफ है । आप बराबर कहते रहे हैं कि इलैक्शन करायेंगे । हमने आपके नेताओं के व्याख्यान पढ़े हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन्स इन टाइम होंगे । ड्यू टाइम पर होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नही हुये ? चन्डीगढ़ में तय किया कि इलेक्शन्स नहीं होंगे । बहन राजेन्द्र कुमारी जी, मुझे अफसोस होता है । सिद्धार्थ शंकर राय ने इलेक्शन की बात कही । इलेक्शन इज माइनर मैटर, मुझे मुल्क को मजबूत करना है । मुल्क की मजबूती का इलेक्शन से क्या ताल्लुक ? इलेक्शन नहीं करा रहे हैं कि मुल्क बढ़े । एक्चुअल वर्ड हैं सिद्धार्थशंकर जी के वोटिंग आफ इलेक्शन इज माईनर मोर इम्पारटेन्ट, वी हैव टु ले फाउन्डेशन फार दि कन्ट्रीज प्रोग्रेस । अगर आपकी योजना है और मुल्क का इन्ट्रेस्ट केवल कांग्रेस ही सर्व कर सकती है तो इलेक्शन जीत जायेंगे । क्या दिक्कत है इलेक्शन की ?

(श्री शिव कुमार पान्डेय के बीच में खड़े होने पर)

मैं आज चैलेन्ज करता हूं कि आप कराइये इलेक्शन । कराइये, अगर जीत जायेंगे जिन साहेब ने जवाब दिया उन्हीं से मैं कहता हूं । अगर जीत जायेंगे, वेल एन्ड गुड । आप जानते हैं कि हार जायेंगे । गुजरात में आप हारे थे । क्या बात कर रहे हैं । जब इलेक्शन हुआ, 12 जून को आप हारे । बताऊंगा कि क्या कारण है इमरजेन्सी का । यह सूरत जब थी जब हमारी पार्टी लूज मोर्चे पर थी । मगर मेरी बात जे0 पी0 ने नहीं मानी थी । आपके 40 परसेंट वोट पड़े, वह भी नहीं देते । गुजरात को आप छोड़िये । क्या आपकी बड़ी भारी सपोर्ट है ? एक सीधी सी बात है, एक ही जवाब है क्यों नहीं इलेक्शन कराते हो ? क्यों मुलतबी किया ? फिजूल की बात है । यह इन्दिरा जी की शान के खिलाफ है कि वह गलत-बयानी करें । इलेक्शन का जब वक्त आयेगा, लड़ाई करा लो ताकि एक साल के लिये फिर इलेक्शन मुलतवी हो जाय । जो तरकीबें होती हैं डिक्टेटर्स की, वे करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं संविधान के बारे में निवेदन करता हूं । जिस प्रकार से वह एमेंड किया जाता है, वह भी दुनिया में एक मिसाल है । प्रधान मंत्री अपना पेटीशन हार जाती हैं या उनके खिलाफ जो पेटीशन है, उसमें वे हार जाती हैं । अपील करना पड़ता है तो देश के कानून को ही अपने इन्टरेस्ट में बदलवा लेती हैं और वह भी रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट से ।

[चौधरी चरण सिंह]

जो हाई कोर्ट के जजमेंट के लफ्ज है, ठीक वे ही लपज रिप्रिजेन्टेशन आफ पीपिल्स ऐक्ट में रखे जाते हैं । बिल्डिंग आउट के बारे में आपने बयान दिया जब उनसे पूछा गया कि आप कहां से खड़ी होंगी तो कहा कि रायबरेली से । दैट एम उन्टेड टु होल्डिंग आउट । उसके बाद एक सरकारी अधिकारी का बयान होता है जिसे कहते हैं करप्शन । फर्स्ट फरवरी को होल्डिंग आउट होता है । लेकिन कानून बदला गया । ठीक 3 इश्यूज इनके खिलाफ हुये ।

किसी देश का प्रधान मंत्री अपने इन्टरेस्ट में हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हो जाने पर अपने फेथफुल फालोअर्स के बल पर पार्लियामेंट में एमेन्डमेन्ट करा लें और उसके बल पर जी लें तो संसार में ऐसी मिसाल नहीं है । अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई चारा नहीं था, अगर्चे उसमें भी दो रायें हो सकती हैं, अपने ही बल पर अपने हक में कानून बदलवाया जो अगेन्स्ट दि स्पिरिट आफ दि कान्सटीट्यूशन था लेकिन उन्होंने (सुप्रीम कोर्ट) ने जो उस दिन ला था उसको ध्यान में रखते हुये इंदिरा जी की अपील मन्जूर कर दी जिसकी मुझे तकलीफ है। आप भले ही बहस में मुझसे जीत जायें लेकिन देशों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा कायम रहेंगी जिनसे मुल्क बनता बिगड़ता है । इंदिरा जी के जजमेंट में जो हुआ वह तकलीफ की चीज है । एमेन्डमेंट लाने के लिये स्टैबिलिटी का बहाना लाया गया । न मालूम स्टैबिलिटी को कहां खतरा हो गया था । ये 7 नवम्बर को अपील जीत चुकी थी । उसी रोज मीटिंग हुई । 7 नवम्बर के टाइम्स आफ इंडिया में खबर छपी कि:—

"Before Mrs. Indira Gandhi reaches the A.I.C.C. Office, the meeting passed a resolution in which said that the unanimous verdict of the Supreme Court had justified the will of the people."

आगे है 'इट जस्टिफाइड दि विल आफ दि पीपुल ऐन्ड दि डेमोक्रैटिक आइडियल्स आफ अवर नोबिल लैंड हैव असेर्टेड देयर सुप्रीमैसी' । दिस इज नो लांगर ए नोबिल लैंड । जहां के मिनिस्टरों की तलाशी लेते हों दूसरे देशों के लोग और सौ देशों के मिनिस्टरों की तलाशी न लेते हों । जूनियर मिनिस्टर जिसका सामान खुलवा कर देख लें और जूनियर मिनिस्टर से जब पूछा जाता है कि आपने इंडिया के फाइनेन्स मिनिस्टर की तलाशी क्यों ली, तो जवाब मिलता है कि हमको यह अन्देशा था कि हमारे मुल्क का सिक्का चुरा कर तो नहीं लिये जा रहे हैं हिन्दुस्तान के फाइनेन्स मिनिस्टर । छोटे से छोटे मुल्क के मिनिस्टरों की तलाशी नहीं ली । क्यों यह इम्प्रेशन था राइट आर रांग ? मैं तो राइट मानता हूं । यह नोबिल लैंड थे गांधी जी के जमाने में । गुलामी के जमाने में भी दूसरे देशों के लोगों के घरों में इस गुलाम देश के लीडर की तस्वीर लगी रहती थीं ? इसके बाद हम लोग तरह-तरह के स्वप्न देखते थे । अब ह नोबिल लैंड रह गया है । मोस्ट इग्नोबिल । हम जैसे लोगों के लिये कहीं दूसरी जगह जाने का कोई रास्ता नहीं है । आगे क्या फरमाते हैं :

"Moving the resolution Mr. Barooah said that Mrs. Indira Gandhi had saved the nation from anarchy and chaos. The Indian people have shown that they were not slaves of some hooligans."

हूलिगन्स लाइक माइसेल्फ ऐंड मि0 जय प्रकाश नारायण । अगर आप हमको हूलिगन कहें और हम बदमाश कहें तब ? और आपने हमको कुछ और कहा और हमने लाठी निकाल ली तब आप गोली निकाल लेंगे । हूलिगन कहा जाता है डेमोक्रेसी में ? दिन रात आपके प्रेसीडेन्ट कहते हैं । अगर हम हूलिगन हों भी तब भी आप हूलिगन नहीं कहेंगे । आप कहिये कि आप गलत काम करते हैं । आपने हमको हूलिगन कहा लेकिन हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया । आगे कहते है:—

"They knew that the Centre would be weakened if Mrs. Gandhi was removed from the summit. The country would be ruled by thugs and Pindaries."

330 एम0 पी0 ने हाथ उठा कर कॉस्टीट्यूशन बदल दिया । तो यह तो रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट आपने बदला ।

मीसा बनाया था क्रिमिनल के लिये जो बाकई स्मगलिंग करते हों । एश्योरेन्स दिया गया लोक सभा के फ्लोर पर कि पोलिटिकल लीडर्स के खिलाफ मीसा इस्तेमाल नहीं होगा । माननीय देसाई साहब ने जब फास्ट किया था उस समय एक डिमांड उनकी यह भी थी । उस समय इन्दिराजी ने उनको लिखा था कि मीसा को पोलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपने हमको मीसा में बन्द किया । आप बयान देते हैं, प्राइम मिनिस्टर कमिटमेंट करती हैं, मोरारजी देसाई को लेटर लिखती हैं । व्हाई दैट एश्योरेन्स हैज बीन डिसरिगार्डेड ।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 37 में जब कि मेरी उम्र 34 वर्ष थी और मैं पहले यहां एम0 एल0 ए0 होकर आया, तो मेरे साथ एक प्रोफेसर कृष्णचन्द जी भी आये थे । वे पुराने आदमी थे। मैं और वे एक तथा और सज्जन एक ही कमरे में रहते थे और साथ ही आते-जाते थे जूनियर लड़का था मैं । बड़े-बड़े हमारे लीडर्स मिनिस्टर्स थे और उन दिनों अपोजीशन में भी क बुजुर्ग लोग थे—जैसे राजा महाराज सिंह वगैरह, कितने लोग थे । मुझे अब तक अच्छी तरह से याद है कि प्रोफेसर कृष्णचन्द्र जी कहा करते थे कि देखो चरण सिंह, जब कोई मिनिस्टर कहीं कोई बयान देता है, मान लो, वह दौरे पर जाय और बयान दे—"देन इट विल बी रिगार्डेड ऐज ए पालिसी स्टेटमेंट" वह गवर्नमेंट का स्टेटमेंट माना जायेगा। आज इस मामले में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फार्मल कमिटमेंट कर दिया । इन्दिरा जी चाहे जो कहें लेकिन यह प्राइम मिनिस्टर के पद को गिराने की बात है ।

नारायण दत्त जी, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर दो साल रहे, चाहे 10 साल रहे हमें ऐसा ट्रेडिशन नहीं कायम करना है कि हिन्दुस्तान में आने वाली हमारी औलादें प्राइम मिनिस्टर में यकीन न करें । यकीन के ऊपर ही सारी सोसाइटी चलती है । प्राइम मिनिस्टर के बयानों पर मुल्क चलता है, मुल्क उठता है लड़ाई लड़ता है, सन्धि करता है, नुकसान उठाता है और लाभ उठाता है। क्यों? पूछ लें। अध्यक्ष महोदय, फिर न मालूम कितनी बार अमेंडमेंट्स हुये मीसा में, न मालूम कितनी बार आर्डिनेंस निकले। दूसरे मुल्कों में इस तरह की कोई परम्परा नहीं है और बात-बात पर वहां आर्डिनेन्स नहीं निकलते । यहां तक कि 1935 के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अन्तर्गत भी आर्डिनेंस जैसी कोई बात नहीं थी लेकिन आपने रिप्रेजेन्टेशन आफ पिपुल्स ऐक्ट में अपने लिये अमेंडमेंट कर लिया कि उनके पेटीशन के खिलाफ कोई अदालत में नहीं जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्यों ? यह कौन सी डेमोक्रेसी है । डेमोक्रेसी के अन्दर तो सब लोग बराबर होते हैं । डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता । इसी एश्योरेन्स को लेकर आपने रेप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के नाइन्थ शिड्यूल में भी अमेंडमेंट करा लिया ।

मुझे अभी तक याद है कि जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर बना था सन्, 56 में मुजफ्फरनगर में एक दिन बहुत जबरदस्त बारिश हुई और थोड़े समय में ही इतना पानी भर गया कि गांव डूबने लगा। जहां पानी बह रहा था वहां नाला था जिसको गांव वाले काटना चाहते थे जिससे पानी निकल जाय । जब पानी भरने लगा और गांव डूबने लगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गांव वाले गये । फ्लड रिलीफ की बात भी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के पास थी। वह डिपार्टमेंट मेरे ही पास था । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आर्डर दिया कि वह जगह काट कर नाली खोद कर पानी को बहने दिया जाय ताकि गांव डूबने से बच जाय। एक किसान साहब थे जो हाई कोर्ट में चले गये और वहां से इनजंक्शन ले आये कि नहीं कटेगा, गांव डूबे या रहे। माननीय तिवारी जी, मेरी उम्र भी उस समय 54 की थी लेकिन मुझे उस वक्त तक उतना तजुर्बा नहीं था जितना कि आज है। मेरी समझ में बात नहीं आयी कि हाईकोर्ट बात-बात में क्यों हर बार दखल देता है और गवर्नमेंट को चलने ही नहीं देता है। इसी तरह से गाजीपुर

[चौधरी चरण सिंह]

जिले के एक लेखपाल का ट्रांसफर हो गया। वह हाई कोर्ट में जाकर ट्रांसफर के खिलाफ इंजेक्शन ले आया। इसका मतलब यह है कि वह गवर्नमेंट को और सबको बेईमान समझता है और इसीलिये बार बार इंजेक्शन जारी करता रहता है। लेकिन आज मैं सोचता हूं कि मेरी कितनी बेवकूफी थी, मेरी कितनी नासमझी थी। मैं नहीं समझता था कि देश की क्या अवस्था होगी आगे चल कर। मैं नहीं समझता था कि पंडित जी या मेरे साथी जानबूझ कर कोई ऐसा गलत काम भी करेंगे बेईमानी का। लेकिन आज मेरी समझ में आता है कि अगर जुडिशियरी को अख्तियार न हो दखल देने का

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

बहुत दिनों के बाद।

चौधरी चरण सिंह---

मैंने तो मान लिया।

श्री ऊदल---

इसलिये मुझे खुशी हो रही है।

चौधरी चरण सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके लिये अपने दिल में बहुत ज्यादा जगह रखता हूं। इसलिय नहीं कि उनकी बात मान लिया लेकिन एक पुराना बहुत सा उपकार है। जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, एक मीटिंग में मुझे ले गये। मैंने कहा कि मैं कम्यूनिज्म को अच्छा नहीं समझता, किसानों की आजादी चाहता हूं। तुम मुझे न ले जाओ। मैं कट्टर नान-कम्युनिस्ट हूं। लेकिन ले गये। गल्ती से वहां बैठे हैं। अगली वर्ष लोक दल का टिकट लेंगे ?

तो मैं कह रहा था कि अध्यक्ष महोदय, कानून बदल दिया। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, स्पीकर भी उसमें शामिल हैं। क्या बात हुयी ? जैसे मुगलों के जमाने में उमरा होते थे, रईस होते थे, कोई 30 हजार कोई, 50 हजार होता था ऐसे ही इंदिरा जी ने कहा कि यह लोग उमरा है। प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, स्पीकर और मैं। लीजिये, इलेक्शन पेटीशन जो होगा वह अदालतों में नहीं जायगा। क्यों नहीं जायगा अदालत में ? एक अलग से आर्गनाइजेशन ही बनेगा, वगैरह, क्यों ? मुझको मेरे एक साथी यहां दिखायी दे रहे हैं, मेरी नजर उन पर पड़ रही है, बल्देव सिंह जी पर। मैं संजीदगी से कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों ? आप सब इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। यही नहीं कोई सिविल केस नहीं चलेगा। कोई क्रिमिनल केस प्राइम मिनिस्टर पर चलेगा नहीं, न आज न कल। प्राइम मिनिस्टर न रहें तब भी नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों ? मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर एक आदमी के साथ ज्यादती करता है, गुस्से में आकर शूट कर देता है। अगर मैं सामने जाऊं तो मार ही डालें।

(हंसी)

कोई रेमेडी है। बताइये यह कैसी डेमोक्रेसी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

आपको तो उन्होंने जेल से छोड़ दिया।

चौधरी चरण सिंह---

छोड़ तो दिया है और उसके साथ-साथ तरह-तरह की अफवाहें भी जारी कर दीं।

(हंसी)

मुझे तो फिर अरेस्ट करेंगे। मैंने तो सुपरिंटेंडेंट जेल से कह दिया है कि अगर फिर आना पड़ेगा तो आई विल प्रेफर योर जेल। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे वहीं भिजवा दीजिये तिहार जेल ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह यह रहा था कि कहीं दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा दुनिया में किया हो। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों दिल्लगी, हंसी होनी चाहिये। ठंडे दिमाग से होनी चाहिये और हो क्या रहा है ? यह मुल्क किसी के बाप दादों का नहीं है, किसी के परिवार का नहीं है। हमारा सबका है, 60 करोड़ लोगों का है। यह जो हो रहा है आप सबको क्यों नहीं अखरता है। आखिर क्या होगा ? काशीनाथ मिश्रा जी कहां हैं, रोज ही झगड़ते हैं भले ही काम के लिये, कहां गये, उनकी आवाज क्या हुयी आप सबको क्या हो गया है ? इन्डीविजुअल लिबर्टी के लिये गांधी जी ने कितना कहा है। लेकिन आप लोग कोई आवाज नहीं उठा सकते है। क्या चीज आड़े आ रही है इसको मैं बाद में बताऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके संविधान का हाल है। इसको अब मैं छोड़ देता हूं। इन्दिरा गांधी जी से कोई नहीं पूछ सकता है चाहे वह कत्ल ही किसी का कर दें, चाहे वह अपील बेईमानी करके जीत जायं। अब अदालत में पिटीशन के लिये कोई नहीं जायेगा क्योंकि साबित होने की बात तो है नहीं। लेकिन मान लों कि अन्तःकरण से पीड़ित जो नया पीटिशियन सुनने के लिये बने वह कहे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नें और पुलिस आफिसर ने इन्दिरा गांधी को जिताया है तो वह इस्तीफा दे दें और तारीख पता डाल दें और वह मंजूर फलां तारीख को हो। इस प्रकार उन्होंने खुलकर काम किया है। जो कानून बना है वह इल्लीगल है और वह उसको कह देंगी कि हम तुमको डाइरेक्टर या एम्बैसडर फलां देश का बना कर भेज देंगें। यह डेमोक्रेसी है।

आप लोग कभी सोचेगें कि नहीं गांव का आदमी जानता ही नहीं है। इन्टेलेक्चुअल जानते हैं या शहर वाले तो वह कहती है कि शहर वालों की मैं परवाह नहीं करती हूं। मुझे तो गांव वाले और गरीब चाहिये। लेकिन मैं इसके लिये भी तैयार हूं। और चाहे तो गांव वालों से ही इलेक्शन करवा लें। बड़ी आयी है वह गरीब और गांव वालों को जानने वाली। जवाहरलाल नेहरू तक तो उनको जानते नहीं थे मैं कह सकता हूं। क्या वह गांव के झोपड़ी में रही है या उनकी कठिनाइयों को वह जानती हैं ? वह हमेशा बड़े-बड़े शहरों में रहीं है, इसलिये उनको कहां मालूम है। गांव वालों का तो केवल प्रोपोगन्डा है। मैं तो यह चैलेंज करता हूं। गांव वालों में ही इलेक्शन करवा ले। प्रेजेंट सिचुएशन यह है। इस सिचुएशन का कारण क्या है। मैं उसको भी जानता हूं। और वह यह है कि जून 1975 को हाईकोर्ट का खिलाफ हो जाना। इंदिरा जी का उस तारीख को गुजरात में हार जाना। बस यही कारण हुआ हमारे जेल में जाने का। जिस स्वराज्य को लाने के लिये हमनें जिस काबिलियत से काम किया था। हमको कभी स्वप्न में ख्याल नहीं था कानून भी हम नहीं तोड़ेगें। कोई हमें बतला भी नहीं सकेगा कि कौन सा कानून तोड़ा। यह तो कोई हमें बताता नहीं कि कौन सा जुर्म किया। डाक्टर चेन्ना रेड्डी हमारे गर्वनर है। यह आन्ध्रा हाईकोर्ट से पेटीशन हार गयें और वहां सेन्टर में मिनिस्टर हो गये थे। उन्होंने अपील फाइल कर दी थी या करने वाले थे। डिवार हो गये। मिस कंडक्ट पाया गया। इन्दिरा जी ने कहा कि तुम्हे इस्तीफा देना चाहिये। उन्होंने कहा कि एम0 एल0 ए0 / एम0 एल0 ए0 का सवाल नहीं होता, मिनिस्टर का सवाल है। मिनिस्टर को शोभा नहीं देता कि हाईकोर्ट से हार जाय और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मिनिस्टर बना रहे। इस्तीफा देना चाहिये। मेरी उनसे बात नहीं हुई। अखबारों में पढ़ा। इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जब आपका केस वैसे ही हुआ तो क्यों नहीं दिया ? मैं यह कहता हूं कि हमारा प्राइम मिनिस्टिर ऐसा होना चाहिये था और आगे ऐसा होना चाहिये कि फैसला होते ही इस्तीफा दे दे। उसमें शान होती है कोई मनुष्य तो अनिवार्य नहीं है, देश के लिये। लेकिन बहिन जी के स्वय के बयान क्या निकले। व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, देश का प्रश्न है। क्यों नहीं है व्यक्ति का प्रश्न। डाकू को सजा हो जाय और पंचायत से रिजोल्यूशन पास करा

[चौधरी चरण सिंह]

दें कि यह डाकू हो या नहीं, यह सारे गांव का मामला है, सजा उसको नहीं मिलना चाहिये। जब प्राइम मिनिस्टर ह कानून नहीं मानेगा तो गाँव का सभापति या कोई और क्या मानेगा ? जरा देखिये। मैं कहता हूं कि जरा देखिये हिम्मत ? नीयत ही खराब है हंसते हैं आप लोग। कुछ लोग मुस्कराते हैं।

मैं जानना चाहता हूं, आपका प्रेसीडेन्ट कहता है इन्दिरा इज इंडिया एन्ड इन्डिया इज इन्दिरा। शरम आनी चाहिये आपको। जो और भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां भी ऐसा नहीं कहते। लेकिन वाह रे आपकी हिम्मत। वह आपकी कमजोरी है, आपकी गलती है। आपने आवाज उठायी है। नहीं आनी चाहिये यह आवाज बट इट कन्टीन्यूज। आज आपकी 25 परसेन्ट से ज्यादा सपोर्ट नहीं है। मान लीजिये 33 सही, 42 सही लेकिन 100 फीसदी राय भी मिल जाय तो भी शी कैन नाट बी इक्वेटेड विद दि कंट्री। लज्जा नहीं आती यह कहते हुए। वह शख्स जो दूसरो को ठग कहता है अपने आप कहे किसी मस हत से कहे इन्दिरा इज इंडिया एन्ड इन्डिया इज इन्दिरा। सारी पोलीटिकल पार्टी उसको एडमिट करती है आप इसको रिअलाइज नहीं करते हैं। आप नाम लिखना चाहते है, लिखिये। लेकिन इससे ज्यादा अफसोस और शर्म की बात किसी इंडियन पैट्रीआट के लिये, नही हो सकती। उसका नतीजा है। इसलिये इमरजेन्सी आपको करनी पड़ी। हम पर चार्ज क्या ? हम देश का इंटीग्रिटी को पैट्रन कर रहे थे। इन्टीग्रिटी का मतलब होता है लेकिन वह लफ्ज तो सावरेन्टी से आता है। इमरजेन्सी मजाक हो गई है। न किसी को बोलने दें और न चलने दें। कान्सटीट्यूशन के आर्टिकिल 352 में इमरजेन्सी इस तरह से दी हुई है

"If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory there of is threatened, whethter by war or external aggression or internal disturbances, he may, by Proclamation, make a declaration to that effect."

अगर राष्ट्रपति सन्तुष्ट है कि हिन्दुस्तान या हिन्दुस्तान के किसी भाग की इन्टीग्रिटी थ्रेटेन्ड है किसी युद्ध से, एग्रेशन से या आन्तरिक डिस्टरबेन्सेज से और वहां पर अव्यवस्था पैदा हो गई है तब वह इमरजेन्सी डिक्लेयर कर सकता है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि 8, 9 महीने हो गये है और क्या औचित्य है आपके पास कि देश की इन्टीग्रिटी थ्रेटेन्ड हो रही है, क्या हम पंजाब को लेकर पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कर रहे है, क्या हम बंगाल को बंगला देश के साथ मिलाना चाहते है या और क्या है ? क्या यू0 पी0 के हिस्से गोरखपुर या बहराइच में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है। प्रेसीडेट सैटिसफाइड है यह भी चैलेन्ज नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। उसको बस सैटिसफाइड होना चाहिये। प्रेसीडेंट तो हमारा चुनवाया हुआ है। वह कुछ कह नहीं सकता है। एक अखबार वाले ने एक मर्तबा एक कार्टून बनवा दिया कि राष्ट्रपति महोदय गुसलखाने में हैं। एक मैन्सिजर पहुंचता है दस्तखत करवाने के लिये, कलम मंगवा कर वहीं दस्तखत कर दिये।

एक सदस्य—

बोलते-बोलते आपकी बोली बन्द हो जाती है जो सुनाई नहीं देती है। यह एक व्यवस्था का सवाल है।

चौधरी चरण सिंह—

आप तीन माइक यहां पर लगवा दें। बन्द नहीं होगी। प्रेसीडेंट साहब ने दस्तखत कर दिय और चार्जेज हम पर क्या-क्या कि इमरजेंसी जारी रहगी क्योंकि इन्टरनल डिस्टरबेन्सेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जेल तोड़ डाली हमने तिहाड़ में, 9 आदमियों को छुड़वा दिया। हां, हम तैयारी कर रहे थे 25 तारीख की मीटिंग को जून मे जो यू0 पी0 निवास में होने जा रही थी। मेरी कमर में चिलका था और साइटिका नर्व से बायें पैर में तकलीफ होती थी।

यहां सारे बुजुर्ग इकट्ठा हुए और एक रिजोल्यूशन पास किया जिसे मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं और आप बतायें इसमें कहां डिस्टरबेंसेज, इंटरनरल सेक्योरिटी तथा इंटेग्रिटी का सवाल है?

"The national executives of the Congress (O), Jan Sangh, Bhartiya Lok Dal, Socialist Party and the Akali Dal met this morning to finalize the week long programme of agitation to be launched through out the country to focus attention on 'Mrs. Gandhi's refusal to resign even after she failed to get unconditionl stay of the operation of the Allahabad Judgment that set aside her election."

यह जजमेंट था। इस्तीफा मांगना चाहिये था या नहीं मांगना चाहिये था यह आपकी राय हो सकती है। हमको डिमांस्ट्रेट करने का हक था, इस्तीफा माँगने का हक था, एजिटेशन करने का हक था। हां वायलेन्स करने का हक नहीं था। यह हमारा रिजोल्यूशन था। आगे चल कर उसमें यह भी था कि स्टेट कैपिटल के अलावा तहसील स्तर पर भी डिमाँस्ट्रेशन होगा कि इन्दिरा जी को इस्तीफा देना चाहिए। यह हमारा कसूर है। बतलाइये इसमें देश की इंटेग्रिटी को कहां खतरा है? वाकया यह है कि पहले से सारा मामला तैयार था। आज की तैयारी नहीं थी, पहले से थी। एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाय तो हमेशा के लिये डिक्टेटरशिप हो जायगी। डिक्टेटरशिप ही नहीं होगी एक फेमिली का रूल मानकी हो जायगी। अतः 26 तारीख के सवेरे सारे देश में एमरजेंसी की निफाज कर दिया और उसके लिये चार्जेज क्या लगाये गये हैं। मेरे नौजवान दोस्त सोचते है देखे क्या जबाव में देंगे मेरा खयाल है कि यह उनको हक हासिल था। जो उन्होंने कहा वह हक आपको भी और उनको भी हासिल है। आर्मी और पुलिस में हम कह सकते हैं अगर कोई आर्डर उनको दिया जाये जो कानून और देश के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो तो दे शुड रिफियूज इट। उसे उनको नहीं मानना है। यह दलील नहीं मानी जायगी किसी सोल्जर अथवा पुलिस मैन की कि उसके आफिसर ने उसको यह हुक्म दिया था। आर्मी ऐक्ट में इस आशय का सेक्शन मौजूद है। लेटेस्ट घटना आपको याद होगी माई लाई वियतनाम में एक जगह है अमेरिका के मिलिटरी पर्सोनल नेइनोसेन्ट विलेजर्स को शूट कर दिया। काफी बड़ी तादाद में लोगों का मर्डर कर दिया फिर अमरीका ने शोर मचाया कि यह तो बुरा हुआ। मुकदमा चला। सोल्जर्स ने यह प्ली ली कि वी हैड दि आर्डर्स आफ अवर सुपीरियर्स टु दैट इफेक्ट। हमारे आफीसरों का हुक्म था। वहां के कोर्ट ने होल्ड किया कि नो, नो आर्डर कैन जस्टीफाई। वह जुर्म है। जो कानून आर्डर देता है ऐसे वह आपको नहीं मानना चाहिये। अगर आपने माना है, तो सजा दो। तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई थी, जे0 पी0 ने यह कह दिया था। आगे हम लोग कहेंगे।

फिर आगे है--अपोजिशनल एटेम्प्ट टु औब्सट्रक्ट दि प्रोसीडिंग्स आफ दि हाउस, इग्जाम्पिल मोरार जी देसाई। वह मिनिस्टर रह चुके हैं, लोक सभा की प्रोसीडिंग्स नहीं चलने देंगे? उन्होंने यह कहा था कि मैं सत्याग्रह करूंगा। किस मौके पर कहा था, किस बात पर कहा था--इस बात पर कहा था कि एल0 एन0 मिश्रा के खिलाफ करप्शन के चार्जेज थे। सारा आपोजीशन यह कह रहा था कि जुडिशियल इन्क्वायरी कराओ। जैसे आप नहीं माने आपके दो प्रैडिसिर्स नहीं माने, इस पर आपोजीशन की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि हाउस की एक कमेटी बैठ जाय लेकिन वह भी रिफ्यूज कर दिया गया। बहुत मुश्किल से यह तय हुआ कि सी० बी० आई० की इन्क्वायरी करा ली जाय। उसमें यह तय हुआ था कि सी० बी० आई० जो रिपोर्ट देगी वह हाउस की टेबुल पर रखी जायेगी। उसके बाद हाउस एडजोर्न हो गया। अगले दिन जब हाउस को मीट करना था ठीक उसी दिन 10 बजे कोर्ट में दावा दायर कर दिया गया उन स्मगलर्स के खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से। जब हाउस मीट किया तो अपोजीशन ने कहा कि सुना है कि सी0 बी0 आई0 की रिपोर्ट आ गयी है, उसे हाउस की टेबुल पर रखिये तो उसका जबाव मिलता है कि वह सब्जुडिस है--जेरे तजवीज है। क्यों किया? आपने तो वादा किया था। आपको मिनिस्टर होने का मौका मिलेगा तो क्या ऐसे ही करोगे। अगर ऐसा करोगें तो वह आपको मुबारक। मेरी तो हिम्मत नहीं है। मामूली डिसेन्सीज, मामूली मान्यताओं पर भी आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। इस पर मोरारजी ने कहा कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे, एन्ड ही डिड वेल।

[चौधरी चरण सिंह]

आपोजिशन पोलिटिकल लोगों की है। इस्तीफा देने को कह रहे है, यह उनकी डिमान्ड थी कि करेप्ट पोलिटिकल लोगों के खिलाफ ऐक्शन लो। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप ठीक हो जायेगा। इन्क्वायरी कराओ। जबाव मिलता है कि हमने देख लिया है, कुछ नहीं है। एल० एन० मिश्रा के खिलाफ कुछ नहीं है बंशीलाल के खिलाफ। मोटी सी बात थी कि एक जुडिशियल आदमी द्वारा इन्क्वायरी करा देते। क्या ईमानदारी है? एक बात मैं पहले ही सुना चुका हूं उसे फिर रिपीट करता हूं। 1960 में पार्लियामेंट में मिनिस्टरी के खिलाफ बात आई थी तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई शिकायत आती है चाहे वह छोटी हो या बड़ी हमारा फर्ज हो जाता है कि उसकी तहकीकात करायें। अगर बात गलत पाई गई तो गवर्नमेंट को उससे शान बढ़ेगी और अगर इनोसेंट पाया गया तो भी गवर्नमेंट की प्रेस्टिज बढ़ेगी और लोग कहेंगे कि गलत चार्जेज लगाये गये। (व्यवधान) हजार चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली वाली बात इनके साथ है। एक करेस्पान्डेन्ट नें उनसे पूरा पूछा कि लोग आपके साथियों के खिलाफ करेप्शन की बात करते है तो उन्होंने कहा कोई करेप्ट नहीं है। आपके यहां किसी जगह के लिये अगर दो कन्डीडेट हैं, किसी जाब के लिये एक लेस करेप्ट है तो बमुकाबले ईमानदार के लैस करप्ट को ले लिया जायेगा क्योंकि आप जानते हैं कि वह तीन पांच नहीं करेगा। हम कहते हैं कि आप इन्क्वायरी क्यों नहीं कराते हैं फिर आपकी हिम्मत की बात कहता हूं आप एल० एन० मिश्रा को शहीद बताते है मर्टायर बनाते है हमारी बहिन जानबूझ कर यह गलती से भी सही बात नहीं कहती है। रोज ही गलत प्रोपेगंडा करेंगी जैसे ब्रेन वाश होता है एक गलत काम का तो उसको छिपाने के लिये हजार गलत बातें की जाती है। फिर आपने एक चार्ज लगाया वायोलैन्स का तो वह कहां है कहीं पर आज तक ईट भी फैकी हो तो वह बतायें। इतना भारी हमपर जुल्म हुआ इस बात का कि हमने कहा इन्क्वायरी करायें। तो आप कहते है वायोलेन्स के लिये प्रिप्रेशन हो रही है। कहीं कोई केस हुआ अगर किया था तो केस चलाती। क्यों सारे मुल्क में इमरजेन्सी लगा दी और हम लोगों को जेल में बंदकर दिया बिना तहकीकात किये हुए और आपको प्रेसीडेंट मिल गया दस्तखत करने वाला। मैं केवल इंदिरा जी को दोष नहीं देता। ये 336 एम० पीज जो है आंख मूंद कर हाथ उठाते हैं दो लाख को एक एम० एल० ए० रिप्रजेंट करता है और 10लाख को एक एम० पी० रिप्रेजेन्ट करता है। हम वायोलैन्स करने जा रहे थे तो क्यों नहीं सबूत दिया हमें दिखा देते अलेहदा बुलाकर, या कोर्ट में दिखा देते जिसे आज तक नहीं दिखाया गया।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)--

यह तो हाउस की प्रोसीडिंग में मौजूद है।

चौधरी चरण सिंह :--

मैं फिर चाहता हूं कि वह वायोलेंस है तो उसे दोहराता हूं आप जरा पढ़िये। महात्मा गांधी का बयान पढ़िये। गांधीजी ने कहा था कि मैं अहिंसा से स्वाराज चाहता हूं तभी मेरे स्वप्नों का हिन्दुस्तान बनेगा लेकिन अगर अहिंसा से स्वराज्य नहीं मिला तो मैं हिंसा इस्तेमाल करने में नहीं हिचकूंगा क्योंकि मैं गुलामी से बेहतर हिंसा को मानता हूं। हिंसा से बदतर गुलामी है (व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं सभी कांग्रेसजनों का और पंडित जी का भी यही ख्याल था। इट इजनाट लाईक रिलीजियस लीव। धर्म के तौर पर नहीं मसलहत और पालिसी के तौर पर। किन्हीं सरकम्सटान्सेज में नहीं होगा यह किसी ने नहीं कहा था। उसके लिये सरकम्सटासेंज है मजबूरी है, आवश्यकता है, जिनमें वह होगा। यह श्रीकृष्ण ने कहा था पंडित जवाहर लाल ने कहा था, महात्मा गांधी

ने कहा था कि और यही मेरा कहना है। आप 60 करोड़ लोगों को गुलाम बनाकर रख दें उनकी लिबर्टी समाप्त कर दें और आप चाहते हैं कि यह सब कुछ मुल्क बरदाश्त करता रहेगा। मैं लोगों से वायलेन्स करने के लिये कहूं तो यह मुमकिन नहीं है और चाहूंगा तो कर नहीं सकता हूं लेकिन आप चाहते हैं कि स्टीम इकट्ठी होती रहे ब्वायलर में और कहीं कुछ नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा, एक विस्फोट होगा एण्ड कन्ट्री विल गो टु डाग्स। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं। अपने हित में और देश के हित में वार्न करना चाहता हूं कि आप किसी को ऐसा मौका न दें। कोई नौजवान और कोई पार्टी जो ऐसी है यह बहुत दिनों तक यह बरदाश्त नहीं कर पाएगी कि आप उनकी आजादी छीनकर रखें इमरजेंसी किसी मुल्क में आई वह एक महीने से ज्यादा नहीं रही और अपने यहां 10 महीने से है और 18 महीने तक चलने की उम्मीद है, जैसा कि आचार्य जी को जवाब दिया है कि यह नवम्बर, दिसम्बर तक रहने की है यदि आप किसी तरह से पावर में आ गये तो आप देश के मालिक और सर्वेसर्वा नहीं बन गये आप ही सब कुछ नहीं है कि आप सबको मन चाहे ढंग से मिटाकर रख दें।

गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लिया लेकिन कार्डिडस के लिये नहीं, अगर उसकी बात भी आती है तो हिंसा भी हो सकती है। उन्होंने कहा मैं कहूंगा लोगों से कि तलवार उठायें स्वराज्य के लिये। मैं उसे मानूंगा और मानता हूं। यदि वह इल्लीगल है तो मैं यहां कहता हूं और बाहर भी कह चुका हूं आई इन्वाइट ए क्रिमिनल प्रोसिडिंग अगेंस्ट मी मेरी पार्टी के लोग मुझसे नाराज थे जब मैं कहता था कि सत्याग्रह के लिये किसी डेमोक्रेसी में स्थान नहीं है। मैं कांग्रेस में था तब भी मेरा ऐसा ही विचार था कि सत्याग्रह एक रेबीलियन है। सत्याग्रह की राय इसलिये दी गई थी कि हम सत्याग्रह नहीं कर सकते थे। आजकल हर मुल्क की गवर्मेन्ट इससे वाकिफ है दियर इज नो सेफ स्केप डेमोक्रेसी आई, यह डेमोक्रेसी सच्ची तरह से चलती तो सत्याग्रह को किसी की जरूरत नहीं थी। क्योंकि हर व्यक्ति को एक पांच साल बाद गवर्मेन्ट बदलने का मौका मिलता है। यही हमारा मेनिफिस्टो है, यहीं उसमे लिखा हुआ है यही हमने माना है। हिन्सा की बात किस सन्दर्भ में कही है, यह आप सोचें। एलेक्शन में आप ईमानदारी न करें हिम्मत के साथ बेईमानी करें, उसकी शिकायत करें तो यह कहें कि एलेक्शन पिटीशन में जहां निर्णय पांच साल में होता है। हिम्मत होती तो तहकीकात कराते। गांव में घुस नहीं पाते 215 की मजारिटी ले आए कुछ अफसरों की कृपा से तो दूसरे आदमी क्या करें। यदि आप येन केन प्रकारेण सत्ता में रहना चाहते है, चाहे बेईमानी हो चाहे करोड़ों रुपये इस्तेमाल करके हो, चाहे गवर्मेन्ट के साधनों का इस्तेमाल करके हो या फिर कम्बल और धोती बंटकर हो या फिर कुछ न हो तो एमरजेन्सी घोषित करके हो, तो मैं कहता हूं कि अपोजीशन को हक हासिल है कि वह भी येन केन प्रकारेण, जिस तरह से हो आपको सत्ता से निकाल बाहर करे। यह मैं डेलिबेटली कहता हूं।

अगर आप नाजायज करेंगे डिमोक्रेसी को नहीं मानेंगे और आप हमेशा अगर पावर में रहना चाहेंगे तो अपोजीशन को भी पावर है इसी तरह के हथकण्डे इस्तेमाल करने का रोज ही कहतीं हैं इंदिरा गांधी जी कि अपोजिशन वाले मिले हुए हैं अमेरिका से हम देश द्रोही हैं रोज कही है। माननीय नारायणदत्त तिवारी और सभी से जानना चाहता हूं कि आपसे राय अलग रखना था यह कहना कि अमेरिका यूरोप या रसा या चीन सबसे अपने, दूसरे के इन्टरेस्ट में तालुकात रखना है। न कोई हमारा दुश्मन है, न दोस्त है। हमारे जो सोशलिस्ट के दोस्त हैं वह शायद कुछ और सुने हैं। मेरा कुछ और ही हो सकता लेकिन सवाल यह है कि हमने अमेरिका से साजिश की है अपने देश के खिलाफ कोई सबूत है? आपको भी यह नहीं कहना चाहिए अगर आपके पास सबूत नहीं है। इंदिरा जी रोज कहती है। बोलो कहां चले जायं? क्या करें क्या न करें अपोजिशन आपकी प्राइम मिनिस्टर की रोज की तकरीर है कि बाहर की कन्ट्रीज से मिले हुए हैं। अगर आपको यह बात अच्छी लगती है तो लगे। इंदिरा जी ने रोज इस बात को कहा कि अपोजिशन लीडर्स एन मी कन्ट्रीज से मिले हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या कहना है?

(श्री धर्मवीर गृह) राज्य मंत्री--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26 जून को आपात, स्थिति की घोषणा की पहले क्या स्थिति इस देश की थी ? चौधरी साहब आपको अच्छी तरह से मालूम है। इस देश का बच्चा-बच्चा जानता है। जो समाजवादी नेता कहलाता है उनकी चिट्ठी पकड़ी गयी, उन्होनें माओ और भुट्टो को लिखा है। देश की जनता जिस पर विश्वास करती थी, उन्होंने इंदिरा जी की नाराजगी से विदेशों के साथ हाथ मिलाया और देश को खतरे में डाला।

चौधरी चरण सिंह--

यह जो चिट्ठी की बात आप कहते हैं गवर्नमेन्ट के बहुत से आर्गेनइजेसन्स गवर्मेन्ट सपोर्टेड दूसरे देशों से फण्डस पाते हैं, इससे नारायण दत्त तिवारी जी इन्कार नहीं करेंगें । एक दूसरी यह है कि यह जो आपने उन पर चार्ज लगाये हमने भी अखबार में पढ़ा जब दिल्ली में थे। बात यह तब लगाया जब आपने इमरजेंसी लगा दी और रेलवे मास के स्ट्राइक के सिलसिले में लगाया जो कि 1970 में थी क्यों नहीं उस समय ?

श्री धर्मवीर--

स्थिति तो तब समाने आयी जब यह मालूम हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठने की कृपा करें। माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें।

चौधरी चरण सिंह--

यह बेकार की बात है।

श्री धर्मवीर--

यह पत्र पकड़ा गया ।

चौधरी चरण सिंह--

तो उसको पब्लिश कराने में क्या बात है ?

श्री धर्मवीर--

मैं आपको उसकी प्रतियां दे दूंगा और आप के उस दल को भी दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो विवाद है वह राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में है । चाहूंगा कि अपने विचारों को सीमित रखे राजनैतिक विवाद को लेकर विवाद किया जायगा तो स्थिति मेरे लिये कठिन हो जायगी ।

चौधरी चरण सिंह--

मैं समझा नहीं कि मेरी ही गलती है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न और उत्तर जो हो रहें है उससे मुझे दिक्कत होगी विचार राज्यपाल के अभिभाषण तक ही सीमित रहें। राजनैतिक व राष्ट्रीय स्तर पर न चले जाय और जो विचार माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर करने को है उससे दूर बाहर चले जायेंग तो मेर लिए कठिन हो जायगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (गोरखपुर)--

जो विवाद उत्पन्न करे उसी को तो मना करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठ जायं ।

श्री राम नारायण पाठक (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप हमारी बात को सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा कर बैठ जाइए ।

चौधरी चरण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतला रहा था कि इमरजेन्सी क्यों लागू की गई। प्राइम मिनिस्टर ने अनेक बार यह कहा है कि अपोजिशन लीडर्स का दूसरे देशों से सम्बन्ध है जिसका मतलब यह है कि हम देश के दुश्मन हैं । मैं यह कह रहा हूं कि इंदिरा जी अनेक बार कह चुकी हैं हजारों बार कह चुकी है कि अपोजिशन लीडर्स का दूसरे देशों से सम्बन्ध है । यह चार्ज है । इससे बड़ा चार्ज नहीं है एक पोलिटिकल आदमी के लिए ।

श्री राम नारायण पाठक--

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका जवाब दे दिया जाय ।

चौधरी चरण सिंह--

आपका रुख है कि मैं गलत कह रहा हूं आप जिस ढ़ंग से कह रहे कि राजनीतिक विवाद में फंस जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठ जाये, बीच में न बोलें ।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने पूछा कि पहले क्यों नहीं पेश किया। अच्छी बात है खुद देखा जायगा । वह लेटर उन्होंने किस रूप में लिखा था । आप उनके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए, साबित हो जाय तो हम कन्डम करेंगे । अगर आप से कहा जाय कि फलां सज्जन रुपया लेकर काम चलाते हैं दूसरे देश से लेकर लेकिन दुश्मन है जे0पी0 और मोरार जी। दैट इज ए ला। जिनके पास कोई जवाब नहीं होता है वेही यह कहते हैं कि हम सब लोग दुश्मनों से मिले हुए है। आज आप उन पर न्यायालय में मुकदमा क्यों नही चलाते हैं ?

इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में कि वह स्लो है, मेरा निवेदन है कि अपनी नाकाबिलियत से जो सारी गड़बडियां पैदा हुई हैं, उसके लिए भी क्या हमारी ही जिम्मेदारी है। टी0 यू0 सी0 गालिवन वर्कर्स की सबसे बड़ी आर्गेनाइजेशन है जो आपके दोस्त सी0 पी0 आई0 के हाथ में है। अगर स्ट्राइक हुई होगी तो आपके दोस्तो ने करायी होगी । एक दूसरी आर्गेनाइजेशन है आई0 एन0 टी0 यू0 सी0.....।

श्री भीखा लाल --

इन आठ, नौ महीनों में देश में प्रोडक्शन बढ़ गया है ।

चौधरी चरण सिंह--

आप जब चाहते है तो बढ़ जाती है और जब आप चाहते हैं तो घट जाती है इन्डस्ट्रियल वर्कर्स की लो मोस्ट इम्पार्टेन्ट आर्गेनाइजेशनस है, वे आपके हाथ में है, विरोधी दलों के के हाथ में नहीं है लेकिन नाकाबिलयत अपनी और जिम्मेदारी अपोजीशन की।

अब जो आपके 20 प्वाइन्ट्स है उनके बारे में कहता हूं कि कहा गया है कि "अटैम्ट-ट क्रिएट इंनडिसिप्लन एगंगस्ट दि स्टूडेन्स। स्टूडेन्टस कैम्पस में अपोजिशन वाले अनुशासन हीनता फैलाते है। मुमिकन है कि कुछ लोग फैलाते हों लेकिन कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। हमने यहां पर सन् 1970 में कहा था कि कम्पलसरी स्टूडेन्टस यूनियन नहीं होगी। नतीजा यह हुआ कि हालांकि कांग्रेस वालों ने और अपोजीशन वालों ने भी जो लड़कों को भड़-काया लेकिन न कोई गोली चली, न कहीं पर बायलन्स हुआ, मुमिकन है 10-12 लड़के गिरफ्तार हुए हों और सबसे अधिक पढ़ाई हुई। जिस तरह की पढ़ाई हुई उसके बारे में मेरे पास लेटर्स आये जिनमें कहा गया था कि इतनी पढ़ाई गुजस्ता 25 सालों में भी नहीं हुई। आपके लीडर, त्रिपाठी जी आये 15 तारीख को पावर में और आते ही उन्होंने वह आर्डिनेन्स वापस ले लिया और फिर यूनियन बनी। नतीजा क्या हुआ? यूनिवर्सिटी जली। आज तक कहीं इतना बड़ा कांड नहीं हुआ लेकिन फिर भी तरक्की हो गयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर यहां पर लड़कों के झगड़े हुए हैं तो कौन है इसका जिम्मेदार? जब गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हुई कि यूनियन्स न हों तो आपकी ओर से कोशिश हुई कि हों। जब मैं जेल में (दिल्ली में) था तो वहां पर एक पुलिस अधिकारी थे (एस0एच0ओ0)। उन्होंने मुझे बताया कि जब कभी बस जलवाने में या युनिवर्सिटी कैम्पस में बदमाशी करने की वजह से लड़कों को गिरफ्तार किया गया तो हमेशा कांग्रेस के लीडरों की ओर से कहा गया कि उनके ऊपर केस न चलाओ, शिकायत दर्ज कर लो और कुछ दिन बाद उन्हें छोड़ दो। लेकिन अनुशासनहीनता कराने का दोष हमें दिया जाता है।

दूसरा कारण दिया गया है कि "ट्रबिंग ओफिस आफ दि प्राइम मिनिस्टर इन्टू डिसरिप्युट" कहा गया है कि हम उनकी शान नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि उनकी शान बढ़े लेकिन डैमोक्रेसी में हमेशा यह होता है कि अपने काम से ही अपनी शान बढ़ती हैं। क्या हमने विल्सन साहब की शान बढ़ा दी है? उन्होंने अपने आप कहा कि मैं आठ साल तक प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूं लेकिन हमारी बहिन जी ने टेलीविजन पर इन्टरव्यू देते हुए कहा है कि अभी तो मेरा काम बाकी है क्योंकि गवर्नमेंट का काम बाकी है। देश है, सरकार है, हमेशा प्रौब्लम्स बनी रहेंगी लिहाजा हमेशा ही इस देश को इंदिरा जी चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे उनकी शान बढ़ेगी या घटेगी? मैं कहता हूं कि किसी के कहने से मेरी शान नहीं घटेगी, मेरे कुकर्मों से ही घटेगी। आप मुल्क को किधर ले जा रही हैं। आप चाहते हैं कि देश में वन पार्टी रूल हो, सिवाय कांग्रेस के कोई दूसरी पार्टी न रहे।

अभी तामिलनाडु में क्या हुआ। मार्च के महीने में वहां की सरकार का टर्म खत्म होने वाला था। केवल डेढ़ महीने पूर्व वहां की सरकार को और एसेम्बली को डिजाल्व करके अपने कब्जे में वहां का शासन ले लिया, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों ले लिया? वे तो कहते थे कि आप दोनों इलेक्शन्स साथ-साथ करा दें। और अगर पार्लियामेन्ट का नहीं कराते हैं तो इसका भी मुल्तवी करा दें। लेकिन 1 1/2 महीने पूर्व ही डिजाल्व करके शासन को अपने हाथ में ले लिया। कहा गया कि उनके खिलाफ चार्जेज थे सन् 1972 के। लकिन देखने में आया है कि गवर्नर ने हर एड्रेस में उनकी तारीफ की है लेकिन अबकी बार उन्होंने खिलाफ लिख कर भेज दिया। कर्नाटक को आप देखें वहां की कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी इसका कैसे जवाब दे सकते हैं ?

चौधरी चरण सिंह--

छोड़िए अन्य प्रदेशों को, लेकिन यह सही है कि वहां पर रेजोल्यूशन पास होता है चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है । जो गल्ती पाई गई, इन्एफिशिएंसी पाई गई वह केवल 2 सरकारों में पाई गई, एक गुजरात और दूसरी तामिलनाडु । न. यू0पी0 में, न पंजाब में, न हरियाणा में। न बिहार में । तो इससे क्या मतलब निकला ? इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि टेंडेंसी यह है कि देश में वन पार्टी रूल हो लिहाजा दूसरी पार्टी के लोगों को लालच देकर, फुसला कर, बहका कर उनसे कहो कि वे आपकी पार्टी में शामिल हो जायं । अभी हुआ क्या कि प्रोपेगेन्डा किया गया कि गुजरात की सरकार गिरेगी और आखिर में गिरा ही दी । पार्लियामेंट के सामने एब्नोहिलेट करना है। रिटायर्ड, वाइस-चांसलर्स, जर्नालिस्ट्स और लिट्रेट्योर हैं और किसी का कोई पोलीटिकल एफिलियेशन नहीं है, उन सब ने जो रेजोल्यूशन पास कर के भेजा, आपने पढ़ा होगा हर चीज में जो हमने बात कही है वह अन्त में उन्होंने अपोजीशन को सपोर्ट किया । यूनानिमस रेजोल्यूशन सब के मश्विरे से गया । उन्होंने उसमें यह कहा कि आप जल्दी इस मसले को सुधारें लेस्ट देयर माइट बी अनटुवर्ड हैपेनिंग, जिसका मतलब है लेस्ट देयर माइट बी वायलेन्स, क्योंकि जब हर तरीके से किसी कौम को, किसी देश को दबायाजाता है तो वायलेन्स होती है । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आचार्य लोगों के यूनानिमस रेज्योल्यूशन को उनके पास भेजा जाता है श्री मन्नारायण जी जाते हैं जो गवर्नर रह चुके हैं, प्लानिंग कमीशन के मेम्बर रह चुके हैं और काठमांडू में एम्बेसडर रह चुके हैं । दस दिन तक वक्त मांगते हैं । टेलीफोन आप खुद नहीं उठाते हैं, हमेशा आदमी जवाब देता है कि बाद में जवाब दे दिया जायगा ।

दस रोज इंतजार करके लौट गये। पहले कहा कि क्रश दि अपोजीशन, "अगले रोज जब लोगों ने कहा कि अपोजीशन से कुछ बात कीजिये तो कहा कि" "नो आई विल नाट डू इट ।" जब लोगों ने बहुत कहा तो कहा कि ठीक है मैं तैयार हूं, उसके लिये एटमास-फियर तैयार कीजिये । लेकिन अपोजीशन की तरफ से जो लेटर लिखा गया उसको एक नोलेज तक न किया गया । जे0पी0 ने जो लिखा था उसका जवाब तो दे देते । जिस बाबा की बड़ी तारीफ रही और तारीफ है उनसे मशविरा करके लोगों ने यूनेनिमम रेज्योल्यूशन पास किया वे सब नान-पोलिटिकल थे और उसको लेकर एक आदमी गया लेकिन उससे दस दिन तक बात तक नहीं की गयी । इतना भी सौजन्य नहीं, यह जो नशा है वह "नशा विल नाट लास्ट लांग ।" अगर इस तरह से होगा तो देश कैसे तरक्की करेगा ? जो कुछ भी करो, इंसाफ के साथ करो । हम इलक्शन कराने को तैयार हैं लेकिन आज तो आप एलेक्शन के लिये भी तैयार नहीं हैं फिर हमारा ही दोष क्या है ?

अब इंदिरा जी का 20 सूत्री प्रोग्राम लीजिये । यह कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, हर जगह यही पढ़ने को मिलता है कि इंदिरा के हाथ मजबूत करो। अगर आपको हाथ मजबूत करना था तो या तो लिखते कि कांग्रेस के हाथ मजबूत करो, गवर्नमेंट का हाथ मजबूत करो । अगर आप कहीं डेवलपमेंट ब्लाक में जाइये जहां कोई छोटी सड़क बनी या ट्यूबवेल बना है तो वहां यही लिखा मिलेगा कि इंदिरा जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह बनाया गया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य सदन में शांति रखें।

चौधरी चरण सिंह--

दौरे में एक जिले में ही नहीं, मैंने अनेक स्थानों पर यह सब लिखा हुआ देखा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह कौन सा तरीका है, इस तरह से आपस में बातचीत करने का ? यह नहीं होना चाहिये ।

चौधरी चरण सिंह--

इंदिरा जी के 20 सूत्री प्रोग्राम के सिलसिले में तथा उनकी हुकूमत के 10 साल पूरे होने पर एक सेलिब्रेशन मनाया गया । किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आज तक ऐसा हुआ है? डिवेलरा 16 वर्ष तक आयरलैन्ड के प्रधान मंत्री रहे, ग्लेडसन भी 10 साल तक लीडर रहे लेकिन कभी भी इस तरह की कोई बात हुई ? नौजवान धर्मवीर जी या कौन हैं, व नाराज न हों, वे इस बात को सोंचें । अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या पार्टी की तरफ से वह दिन मनाया जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं था लेकिन आपने पब्लिक सेक्टर अन्डर-टेकिंग को, गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को एक समान कर दिया। क्यों ? आखिर आप किधर को जा रहे हैं ?

एक सदस्य--

इसमें हर्ज ही क्या है ?

चौधरी चरण सिंह --

हर्ज है। यह कोई डेमोक्रेसी नहीं है । राजा की वर्षी मनायी जाती है और रानियों की वर्षी मनायी जाती है कि उन्होंने 10 साल राज्य किया। आप उसको 7 वर्ष ही रख सकते हैं कि इस बीच गर्वमेंन्ट ने यह काम किया है। यह 10 वर्ष ही क्यों ? किसी डमोक्रेटिक कंट्री में आज तक यह सुनने को नहीं मिला है कि इस तरह से कोई दिन मनाया गया हो। इस बारे में आप माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से पूछ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने स्टेट और पार्टी को इक्वेट कर दिया इन्दिरा जी से। इसको आप सोचें। जेल में मुझे पढ़ने को मिला । 'मिल्क प्राइस कट आन अकेजन आफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज बर्थ डे, इसका मतलब यह हुआ कि किसी राज्य में राजा को लड़का पैदा हो गया तो इसलिये छुट्टी होगी या रहेगी । मैं पूछता हूं कि इसमें हर्ज नहीं है और फिर आप मुझसे बहस करते है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री धर्मवीर जी आप तो एक जिम्मेदार सदस्य है, सदन की मर्यादा कायम रखें और बैठने की कृपा करें । आप लोग बैठने की कृपा करें । आप बोलेगें तो कैसे काम चलेगा ।

चौधरी चरण सिंह --

मैं मिल्क प्राइस के बारे में कह रहा था ।

Milk price cut on P. Ms. birthday

Bangalore, November, 18, the state-owned Banglore dairy to day further reduced the price of miik from Rs. 1.90 to Rs.1.80 a litre to mark the birthday of Mrs. Indira Gandhi tomorrow.

यह टाइम्स आफ इंडिया में निकला है सुन लीजिये ।

इस तरह की टेडेंसीज को इन्करेज नहीं होना चाहिये। लेकिन की जा रही है। किया यह जा रहा है कि एक ही आदमी है जो हिन्दुस्तान के साथ है दिस इज नाट डेमोक्रेसी। इसी सिलसिले में मेजर जनरल हबीबुल्ला खां उनकी धर्मपत्नी यहां मेम्बर भी थी, एक लेटर उस सिलसिले में पढ़ना चाहता हूं। सुन लीजियें।

श्री ऊदल---

अब लगता है कि वह समय नहीं आने वाला है।

चौधरी चरण सिंह---

यही मुझको भी लगता है। लेकिन आखिरी बात अपनी कहे देता हूं।

श्री ऊदल---

आप कहिये।

चौधरी चरण सिंह---

मै यह बता दूं कि जो इसका मजमून है।

एक सदस्य---

ऐसे बता दीजिये, मान लेंगें।

चौधरी चरण सिंह :---

मान लेगें तो बड़ी भलमनसाहत है आपकी।

मै यह कह रहा था कि लेटर लिखा है मेजर रंजीत सिंह जो कि बस्ती क है। हमारी पार्टी के मेम्बर हैं। उन्होंने वह ओरीजनल लेटर दिया हुआ है। मैने उसको साइक्लोस्टाइल्ड कराया था। 2 कापी मैं लाया था पर कहीं रह गयी है। उसमें जो लिखा था वह यह है कि एक सेल बनायी गयी है, नाम है एक्स सर्विसेज यू0 पी0 कांग्रेस कमेटी सेल। मैं इसका कन्वैनर मुकरर्र हुआ हूं, स्टेट भर के लिये। मै चाहता हूं कि आप गोरखपुर के डिवीजन के कन्वैनर हो जाय और इस सिलसिले में मुझसे बात कर ले। इसमें जो पैटर्न्स लिखे हुये है वह है जी0 ओ0 सी0 इन-सी सेन्ट्रल कमाडे और फिर है ए0 ओ0 सी0-इन-सी सेन्ट्रल एयर कमांड। सर्विग आफिसर और रिटायर्ड सोल्जर्स को आप अपने इलेक्शन के ख्याल से उनका आर्गनाइजेशन बना रहे है। नाम है एक्स सर्विसेज यू0 पी0 कांग्रेस कमेंटी सेल एक सेल बनाकर इन्वाइट कर रहे है। अगर सेल में किसी पालीटिकल पार्टी को रखते तो कोई उसमें हर्ज नहीं है।

लेकिन नहीं वह सेल है कांग्रेस पार्टी सेल। मेजर हबीबुल्ला खुद कांग्रेसी है। यह कैसे मुमकिन हुआ। आप एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी से फायदा उठाना चाहते है पोलेटिकल पावर में आने का जो गल्त है। आप स्टेट और पार्टी को आइडेन्टिफाई करना चाहते हैं और एक पार्टी रूल देश में चाहते हैं।

अब यहां प्रेसीडेन्ट की कोई इज्जत आपने नहीं छोड़ी है। प्रेसीडेन्ट ऐसा बनायेंगे जो कान्ट्रेवरसल आदमी हो। बड़े बड़े आदमी ऐसे होनें चाहिये जिन पर कन्ट्रोवर्सी कम हो या जिन पर पर्सनल कोई बात कम कह सके। लेकिन नहीं आप बनायेगे, कमीशन की रिपोर्ट रखी है लेकिन बनायेंगे और जो चाहेंगे उस पर दस्तखत करा लेंगे। दुनियां में किसी हेड आफ स्टेट के जरिये एमरजेंन्सी स्वीकृत नहीं हो सकती थी। इसके पहले पार्लियामेंन्ट से एक ला प्रपोजल गवर्नमेंन्ट से रेजेक्ट हुआ और उस समय एक आर्डर भेज दिया जाता है प्लेन से चूंकि प्रेसीडेन्ट यहां नहीं थे। इस तरह जो शान प्रेसीडेन्ट की है वह आप गिराते है। यह हाल गवर्नमेंन्ट का है। गवर्ननर एक बार कुछ आर्डर देगा और दूसरी बार कुछ और आर्डर देता है। तामिलनाडु की बात उससे जिसको मैंने उस समय नही कहा था, और इससे ताल्लुक रखती है उस समय बहस होते हुए एसेम्बली में आर्टिकिल 357 जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में

[चौधरी चरण सिंह]

लेने का है, लजिस्लेचर को डिजाल्व करनें का है, को लागू किया। पहले तो इमरजेन्सी का बड़ा अपोजीशन हुआ कान्स्टुएन्ट एसेम्बली में। डाक्टर अम्बेदकर ने जवाब दिया, उनके यह बर्ड्स है "Dr. Ambedkar said in the Constituent Assembly, 'Emergency provision will be a dead letter in practice." इस सिलसिले में बहस हो रही थी कि स्टेट गवर्नमेंन्ट को गिरा दो। इस प्रकार जब कैबिनेट चाहे और जैसा चाहे वैसी रिपोर्ट मांग ले।

इस पर डाक्टर अम्बेदकर कहते हैं

If they at all are brought into operation, I hope the president, who is endowed with these powers, will take proper precautions before actually suspeding the administration of the province,

यह मंशा थी कि फाउंडर्स आफ दी कांस्टीट्युशन की या जो भी कहें। जो आदमी सबसे जिम्मेवार था डाक्टर अम्बेदकर यह उनकी फीलिंग थी। लेकिन नहीं आपकी पोलिटिकल फीलिंग्स का तकाजा है कि तामिलनाडु शुडनो वह चाहते थे कि इलेक्शन करवायें लेकिन नहीं। इसमें है कि इलेक्शन होना चाहिये लेकिन नहीं टेक ओवर होना चाहिये। तो यह डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं है।

इलेक्शन कमीशन का यही हाल है। दो साल तक किसी कांस्टीट्यन्सी में इलेक्शन नहीं करायेंगे। हमारे बिजनौर में डेढ़ साल नहीं हुआ है। लेकिन जहां चाहेंगे वहां दो महीने में करवा देंगे। जहां सूट करेगा रूलिंग पार्टी को वहां करा देंगे। सालीसीटर एण्ड एटार्नी जनरल भी ऐसे ही हैं। जो चाहे ओपीनियन ले लें चाहे फैक्टी नेशनलाइजेशन की बात हो या और कोई बात हो। वाईस चान्सलर से भी यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस का लड़का डिस्टर्ब करे तो रेस्टीकेट नहीं होगा लेकिन जनसंघ का लड़का डिस्टर्ब करेगा तो रेस्टीकेट होगा। बहुत डिटेल में दिल्ली की बात बता सकता हूं लेकिन नहीं। आपकी क्या इज्जत है? धर्मवीर जी और मुख्यमंत्री की क्या इज्जत है? क्या पार्टी इलेक्ट करती है लीडर, चीफ मिनिस्टर और मेंड अनमेंड नाट वाई यू चीफ मिनस्टर, बनाये या बिगाड़े जाते हैं दिल्ली में। हमारे माननीय बहुगुणा जी गये दिल्ली में। एक दिन कह रहे थे कि हमनें आपका इंतजाम कर दिया कि आप वहीं बैठे रहेंगे। कोई हर्ज नहीं। जो पद्धति है जैसी है उसमें अगर यहां बैठे रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं। अगले दिन मलिक साहब बोले बहुगुणा जी, आप नौकर हैं जिस दिन मालिक चाहेंगें निकाल देंगे। मुझे उनके साथ हमदर्दी है। नहीं था प्राइम मिनिस्टर को अधिकार कि दबाव डालकर उनसे इस्तीफा ले लें। नहीं है अधिकार कि पोलिटिकल पार्टी का इस तरह से चलाये हरियाणा में बनारसीदास हो गया और वहां नारायण दत्त तिवारी हो गये चीफ मिनिस्टर। तो आप नामिनेटेड हैं। इस तरह से सूबेदार हुए। उपाध्यक्ष महोदय, दो और बातें। नेशनल हेराल्ड अखबार हम सभी जानते हैं। इनका ही कायम किया हुआ है कांग्रेस वालों से जिलों से पैसा इकठ्ठा करके उसको बनाया। उसमें कैप्शन थी फीडमइज इन पैरिल, डिफेन्डइट विद आल योर माइट। आजादी खतरे में है, इसकी शक्ति भर रक्षा करो। आज यह कैप्शन नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वह जवाहर लाल जी का था।

चौधरी चरण सिंह—

वही कह रहा हूं आपके लीडर ने उसको निकलवा दिया। क्यों निकलवा दिया। आज क्या मौका था इस कैप्शन को निकलवानें का। यही कि पढ़े लिखे लोग यह अर्थ न लगा लें कि ओनिंग टु दिस इमरजेन्सी फीडम इज इन पैरिल डिफेन्ड इट विद आल माइट जो ब्रेन वाशिंग की जा रही है, किताबों में लिखा जायेगा। जो दो दिन तक अखबार कोई नहीं निकालेगा उसका एलेक्ट्रिक कनेक्शन काट दिया जायेगा। इसलिये इकानामिस्ट मशहूर अखबार है, वह एक जर्नल है। उसने एक महात्मा

की तसवीर निकाली। वह महात्मा जी के नोआखाली के टुवर की तस्वीर है। वह सैंसर हो गई। सैंसर बोर्ड ने उसको निकाल दिया और यह कहा गया कि "इट इज लाइकली टु बी मिसइन्टरप्रीटेड" अब गांधी जी का अपने देश में कोई भी स्थान नहीं रह गया और वह तो अब तो विदेश चले गये नतीजा यह हुआ कि एडीटर ने प्रोटेस्ट किया और वह सुनते हैं कि उसने इस्तीफा दे दिया इस प्रकार से देश का माइंड बनाया जा रहा है।

अभी पाइनियर में एक खबर निकली है। वह भी कोई पर्सनल बात नहीं है और मैं तो केवल देश के हित में कह रहा हूं। इंदिरा जी की माता जी पर केस चला 1921 में और वह जजमेन्ट अब निकालकर इक्जिबिट किया जा रहा है। स्टेट इक्जीबिशन में। वही फेमिली जो रूल करती आई है वही अब रूल करेगी। देश के लिये कितने मेम्बर्स की सेक्रीफाइसेज हैं, त्याग है? सन् 1921 की बात है। कितने लोग जेल गये होंगे, गरीब औरतें, गरीब आदमी और कितने देश भक्त लेकिन नहीं जो इक्जिबिट किया जायगा वह केवल एक लेडी का जो कि उन्होंने कुर्बानी की। और चीजों को स्टेट इक्जीबीशन में क्यों नहीं इक्जीबिट किया गया वे नहीं रखी जायगी। यह है हमारी स्थिति। अगर हमारी गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई इक्जीबीशन आर्गनाइज की जाये तो उस इक्जीबिशन में इंदिरा जी की माता जी के खिलाफ जो जजमेन्ट शायद 1931 में हुआ था वह रखा जाता है। उस जजमेंट को 12-3-76 के पायनियर में सारा हो दे दिया गया है। जो इसके आखिरी सेन्टेन्सेज हैं वे ही रिलेवेन्ट है आप देखें उसमें नेहरू जी का मैसेज था और नेहरू जी के मैसेज के पहले पं0 मोतीलाल नेहरू का भी मैसेज है ठीक उसके नीचे और वे सब एग्जीबीशन में रखे गये हैं जो इस प्रकार हैं:—

"Right below this and embracing Kamla Nehru is another small item conveying Pt. Motilal Nehru's case for the development and arrangement and looking fa our for his young daughter Indra.' दादा को इतनी फिक्र की और आप लोगों को भी फिक्र करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार्ज लगाता हूं, क्यों चीफ मिनिस्टर संजय गांधी को रिलीव करने जा रहे हैं, संजय गांधी हमारी बहन जी के लड़के हैं। 24, 25 वर्ष की उम्र होगी। मैंने फोटो देखी उससे वह ऐसे लगते हैं। मालूम नहीं कैसे एक दम वह शूट अप कर गये एज लीडर नेक्स्ट टु अवर प्राइम मिनिस्टर। कितनी खबरें उनके बारे में निकलती हैं। उनकी कोई सीमा नहीं है। क्या यह सच्ची डेमोक्रेसी है कि प्रेस पर जबरदस्त कंट्रोल है। प्रेस खुश होकर यह खबरें देता है ऐसा नहीं है। उसे छापना पड़ता है। आर्डर उसे दिया जाता है। संजय हो गये यूथ कांग्रेस के लीडर। उनको नामिनेट कर दिया गया। यूथ कांग्रेस की मेम्बरशिप का कोई बाकायदा रजिस्टर नहीं होगा। रोज वह ब्यानबाजी देते फिरते हैं। एल्डर कांग्रेसमैन को डांटते-फिरते हैं। यू0पी0 कांग्रेस लेजिस्लेचर्स को चंडीगढ़ के कांग्रेस की मीटिंग में बुरी तरह से डांटा। क्यों फिरते हैं इधर उधर? गांवों में जा कर काम करो। गांव के बड़े एक्सपर्ट हो गये हैं ओवरनाइट। सबको उपदेश देते फिरते हैं भले ही खुद गांव में न गये हों। जो आदमी मिलता है उससे कहा जाता कि गांव जाइये, गांव जाइये और यह फटकार भी लगाते हैं कि बातें कम करो, काम ज्यादा करो। यू0पी0 वालों से कहा कि मिनिस्ट्री बनती रहेगी, गांव में आकर काम करो। उस समय तक नारायण दत्त जी का एप्वाइंटमेंट नहीं हुआ था। स्वतंत्र भारत में सेकिंड पेज पर खबर छपा मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा संजय आगमन तथा स्वागत के बारे में वह खबर छपी थी। संजय जी आ रहे हैं और 28 तारीख को फलां-फलां प्रोग्राम होगा। अब मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने यह स्टेटमेंट दिया। अब यह काम चीफ मिनिस्टर का नहीं है। आप किसी से कह देते, किसी नान आफिशियल से कह देते अथवा किसी कांग्रेसमैन से कह देते। लेकिन हमारे यू0पी0 के चीफ मिनिस्टर एक नौजवान के लिये जिसका कोई ओफीशियल स्टेट्स नहीं है उसका एडवर्टीजमेंट उसका भोंपू बजाना फिरे कि वह आ रहा है तो यह कहां तक उचित है। क्या मतलब है इसका? एक 25-30 वर्ष का आदमी बजट पर

[चौधरी चरण सिंह]

व्याख्यान दे जो कि इतनी सीक्रेट चीज है, ओल्ड और न्यू कांग्रेस मैन को दे बल्कि मैंने यहां तक सुना है कि यह कहा गया कि पहले संजय गांधी से बात कर कर लो फिर चीफ मिनिस्टर से बात करना। इट कन्सर्न्स टु इन्टायर पब्लिक लाइफ। उपाध्यक्ष महोदय, नाराज होते है कि यह बहुत समय लगा रहा है कि किन्तु ये बातें आयेंगी, क्या आपनें प्रोटेस्ट किया है ? संजय और आपका क्या मुकाबिला। यह क्या बात हुई, कोई गैरत है या नहीं ?

मुझे मालूम हुआ कि मिनिस्टर नारों के ऊपर नारे लगाते रहते है। यह भी मैंने सुना है कि यह नारा लगाया जाता है आज की नेता इंदिरा गांधी, युवकों का नेता संजय गांधी और कल का नेता राहुल गांधी। मैंने सुना है कि गवर्नमेन्ट की ओर से एक आर्डर दिया गया है कि 28 तारीख को जब संजय गांधी आ रहे है तो उस दिन ऐरोड्रोम से गवर्नमेंन्ट हांउस तक स्कूल के बच्चों और उनकी अध्यापिकाओं की 15 किलोमीटर तक एक लाइन उनके स्वागत के लियें बनाई जावेगी और बच्चे खड़े कर दिये जायेगें। क्यों आपने आर्डर दिया ? अगर किसी आफिसर ने आर्डर दिया है तो उनसे पूछिये कि क्यों दिया ? क्या सीखेंगे बच्चे, मैं कुछ नही कहना चाहता। संजय से आप क्या सीखेंगे। मीलों तक बच्चों को खड़ा किया जाय, वे क्या सीखेंगे उनसे, बच्चों को वहां खड़ा किया जाता है जिनसे कुछ सीख मिले। ट्रांसपोर्ट अफसर को हुकुम हुआ कि वह 5--5 आदमियों को लायें फिर पब्लिसिटी हो गई कि लाखों आदमियों को लायेंगे। आर0टी0 ओज0 को आर्डर हुआ कि पैसे का इन्तजाम उन्हें करना है। इन्तजाम करके दे देंगे। बहुगुणा जी ने भी यही रिवाज चलाया था। इम्परर अकबर जैसा। आपने भी दिल्ली में रहने पर वैसी ही कोशिश की और जब संजय का जुलूस आ रहा है। आर0 टी0 ओ0 5--5 हजार रुपया लायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह सब गवर्नमेंन्ट की तरफ से खर्च हो रहा है।

20 प्वाइंट प्रोग्राम की उपलब्धियां लपज निकाला है। यह कौन सी उपलब्धि है साहब ? दुनिया में जो एक काम्पिटेंट गवर्नमेन्ट के मातहत कार्य होने चाहिये उसे आप इमरजेंसी में एक्जीक्यूट करते है। आज आप कहते है इरिगेशन ज्यादा हो गई है जिसे हम भी करने को कहते थे और लोग भी कहते।

अब एक बात मीसा में आप कहते है कि स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी तो यह इंदिरा जी ने कौन सी नई बात कर दी जिसका आप ढोल पीट रहे है। यह बहुत पहले से होता आया है। सन् 1971 में एक आपके कोई आफिसर थे जिन्होंने स्मगलिंग के बारे में रिपोर्ट दी थी कि बहुत जोरों से स्मगलिग हो रही है तो उस वक्त क्यों नहीं ऐक्शन लिया ? उस वक्त एलेक्शन होने वाले थे इसलिये कुछ नहीं कहा और जब देखा जनता नाराज हो गई है तो आपने कहना शुरू किया। यह 20 प्वाइंट प्रोग्राम क्या हो गया है कोई जैसे नई गीता लिख दी हो। तो क्या इन सब बातों के लिये इमरजेंसी की जरूरत थी ? अखबारों में निकलता है कि जबसे इमरजेंसी लागू हुई तो रेलों में टिकट-लेस ट्रवेल कम हो गया। टिकट जो है पहले लोग लेकर नहीं चलते थे और जब से इमर जेंसी लागू हुई, लेने लगे हैं। तो साहब जैसे पहले संवत चलते थे वैसे ही आप 26 जून से इंदिरा संवत चलाइये। टिकट लैस ट्रवेल के लिये लिखते हैं--

PTI-2 August More than 7 thousand persons have been apprehended for travelling without ticket in Ratlam Division of western Railway, since the promulgation of emergency."

रतलाम डिवीजन में सात हजार आदमी बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये। तो पहले क्यों नहीं पकड़े जाते थे क्या कोई कानून नहीं था ?

इसी तरह से टैक्स कलेक्शन के बारे में है। 2 अगस्त की खबर है।

"The Union Minister of State for Finance Mr. Pranob Mukherji today said there was an unprecedented buoyancy in tax realisation during the last 40 days.

In a brief interview to the Bombay television he said collection of excise revenue, direct taxes and other taxes improved considerably during the period of emergency which ended the sluggishness from which we had been suffering."

यह है प्रोपगंडा । इससे किसी आफिसर की एफीसेंसी नहीं बढ़ेगी इससे टिकट- लेस ट्रेवल नहीं रुकेगा । यह तो जैसा आपका कैरेक्टर होगा वैसा नीचे वाला काम करेगा । इस इमरजेंसी से आप कुछ लोंगों को जेल भेज देंगे ।

मानों हमने मना किया था कि बिना टिकट वालों क न पकड़ो, हमने कहा था कि स्मगलिंग चलने दो, हमने कहा था कि इरीगेशन एरियर न बढ़ाना । हमने कहा था कि लड़कों को लूटने दो और चाकू छूरे चलने दो और उन्हें नकल करने दो। लोगों को मिसलीड करने के लिये कि देखो कितना फायदा हुआ है इनके बन्द करने से इसलिये इनको जेल में रहने दो, जेल में रहना इनका ठीक है । यह सब प्रचार हो रहा है ।

कुछ शिशु मन्दिर की एक बात ले । शिशु मन्दिर एक छोटी सी संस्था है जो जनसंघ के लोगो के हाथ में थी। आर0 एस0 एस0 से उसका कोई मतलब नहीं था, उसको आपने जब्त या क्या कर लिया । उन लोंगो ने हाईकोर्ट में एक दावा कर दिया लेकिन गवर्नमेन्ट के खिलाफ चूंकि फैसला होने वाला था इसलिये आर्डिनेन्स में उसे टेक--ओवर कर लिया। यह कोर्ट का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। जब वह मीसा या किसी में नहीं आए, तो आर्डिनेन्स लागू करके उनको हजम कर लिया । उसके चार सौ अध्यापक है, उनकी तनख्वाह अब नहीं मिल रही है, सोचें आप उन बेचारों का क्या होगा ? पूरे यू0 पी0 में कितने ही है । जिनको उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है ।

मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको नोट कर लें कानून में मीसा के डेटेन्यू के लिये एलाउंस का प्राविजन है, लोगों के बच्चे भूखों मर रहे हैं । उनके घर पर कोई जीविका कमाने वाला नहीं है । किन्तु ऐसे तमाम लोगों को कानून होते हुए भी एलाउंस नहीं दिया जा रहा है । जब तक आप जुर्म बताते नहीं है हाईकोर्ट का अधिकार ले लिया आटोकेट की तरह से लोगों को जेलों में डाल दिया किन्तु उनके लिये जो प्राविजन है एलाउंस का उसको भी नहीं दिया वह जेल मे नहीं रखा जा सकता है आप विचार कर लीजिये इस पर भी रिट होने वाली है। जेल में नहीं रखा जा सकता है प्रिजन्स ऐक्ट में प्रिजनर रखा जाता है और प्रिजनर वह है जिसके खिलाफ एलीगेशन हो या जिसका कन्विक्शन हो गया हो। इनको आप जेल मे नहीं रख सकते हैं । आप उनको अन्दर रखें या बाहर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनके बच्चों का प्रबन्ध करना आपका फर्ज है, इसकी ओर आप पूरा ध्यान दें ।

एक बात और, डी0 आई0 आर0 में कुछ एम0 एल0 एज बन्द है, उनको राईट आफ वोट होना चाहिये । जो एलेक्शन कमिश्नर के यहां से आया है उसमें नई डेटेन्यु लिखा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता है कि उनको राइट आफ वोट क्यों नहीं है ? मेरे दो-चार दोस्तों से आपकी बातचीत हुई थी । आप ने कहा है कि यह लोग बेल एप्लीकेशन दे दें । मैंने कहा था कि होम सेक्रेटरी से कह कर डी0 एमस से कहला दो कि यदि वे जमानत देना चाहें तो वे अपोज न की जाय । अब मसलन मेरे पास सुबह टेलीफोन आया बनारस से कि दो हमारे साथी थे, उनकी तो जमानत मंजूर हो गई । एक नौजवान थे, शतरुद्ध प्रकाश, उनकी जमानत नहीं हुई । उनको भी दिलवा दीजिये, चाहे आप कंडीशनल दिलवा दें । वह वोट देकर फिर चले जायेंगे ।

एक बात और है उसको कहकर खत्म करता हूं । पंडित नेहरू 36 में यहां आये थे, 36 में कांग्रेस हुई थी, तो उन्होंने जो उस वक्त बात कही थी, वह इस मौके के लिये बहुत रेलीवेन्ट है क्योंकि पंडित नेहरू इत्तफाक से हमारी प्राइम मिनिस्टर के पिताजी थे । वह अनेक बार कह चुकी हैं कि हमारे पिता तो साधू थे, पालिटीशियन तो मैं हूं और यह भी कहती ह कि पालिटिक्स नोंज नों मारलटी। अच्छा उन्होंने क्या कहा कामरेड ने उस सिलसिले में उनका व्याख्यान है, आल इंडिया कांग्रेस के सेशन में--

[चौधरी चरण सिंह]

"Commrades, being interested in psychology, I have watched the process of moral and intellectul decay and realised, even more than I did previously, how autocratic power corrupts and degrades and vulgarises"

अगर असीम पावर किसी आदमी के हाथ में हो जाय वह उस पावर को बिन करने वाले लोग किस तरह से उनको डिमारलाइज करती हैं। यह मैं पहले भी कुछ जानता था लेकिन अब मुझको कुछ ज्यादा एहसास हो रहा है।

"A Government that had to rely on the Criminal Law Amendment Act and similar laws, that suppresses the press and literateures that bans hundreds of organisations, that keeps people in prison without trial and that does so many things that are happening in India today, is a government that has ceased to have even a shadow of justifiction for its existence."

यह उस समय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, किन्तु तत्तकालीन प्रशासन ने किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। किन्तु आज भी मेरी बात को प्रकाशित करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने एक किताब लिखी इसी बीच में, पहले से लिख रहा था। अब मैं सोच रहा हूं कि इसको निकाल दूं। मुझे मालूम हुआ है कि किताबों पर भी सेंसर है। तो पंडित जी कहते हैं कि जो प्रेस को दबाता हो, दैट हन्ड्रेड्स आफ आर्गिनाइजेशन्स को बैन करती हो। जैसा कि यहां हो रहा हैं "दैट कीप्स पीपुल इन प्रिजन विदाऊट ट्रायल" जो जेलखाने में आदमियों को बिला मुकदमा चलाये हुये रखती है। दैट डज सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपीनिंग इन इंडिया टू डे। हजारों चीजें जो हमको नहीं मालूम हैं और न किसी को मालूम हैं, दैट हैज सीज्ड टू हैव ईवन ए शैडो आफ जस्टीफिकेशन फार इट्स इक्जिस्टेंस। उसको कोई हक नहीं है, एक मर्तबा भी रखने का। यह पंडित जी ने सन् 36 में कहा था। आज के हालात में वह ठीक उतरता है। एक बात मैं अपने दोस्तों से और कहूंगा। मैं कहूंगा कि अपना दिल टटोलें। देश की बात सोचें। मेरी बात गलत हो सकती है। मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। इन सब बातों को भूल जायं। जो देश की स्थिति है उसको निष्पक्ष होकर देखें। जाने अनजाने में भूल हो गयी हो तो उससे कैसे देश को निकालें या आप निकलें। मुझे इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण वाक्या याद आता है महाभारत का।

(शासन पक्ष की ओर से हंसने की आवाजें आयीं)

इसमें हंसने की क्या जरूरत है। दुर्योधन की बात कहने जा रहा हूं, श्रीकृष्ण की नहीं। दुर्योधन से कहा गया कि देश बरबाद हो रहा है, यह सब तुम्हारी गलती है। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है लेकिन मैं उससे बाज नहीं आ सकता। मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उसका आचरण नहीं कर पाता। किसी देव ने मेरे हृदय को ग्रस लिया है। यह दूसरी इन्दिरा गांधी नहीं है। आपकी सरकमस्टान्सेज नहीं है। यह देव आपका अपना इन्टरेस्ट है, अपनी पोजीशन है, जो हर मनुष्य का होता है। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसका स्वार्थ न हो, लेकिन जब उससे देश को खतरा हो तो उसे अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिये और देश की बात करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में अध्यक्ष महोदय, जो मैंने संशोधन पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय और जो मुझसे गल्तियां हो गयीं हों तो मैं उधर के लोगों से माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

शेष संशोधन प्रस्तुत किये हुये माने जायेंगे, ।

(उपस्थित किये गये माने गये संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 142–155 पर)

*श्री काशीनाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी साहब का भाषण बहुत ही शान्ति से सुन रहा था और मैं उम्मीद करता था.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि वह अपना भाषण 10 मिनट में ही समाप्त कर लें ।

*श्री काशीनाथ सिंह--

मैं मान्यवर, अपना भाषण 7 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, चौधरी साहब का जो भाषण था वह यहां न होकर अगर लोक सभा में दिया गया होता तो शायद उसका कुछ महत्व होता । चौधरी साहब ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बारे कुछ नहीं कहा । उनका भाषण उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इतनी अहमियत नहीं रखता जितनी कि लोक सभा में रखता । चौधरी साहब बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं और जनतंत्र की बहुत बड़ी लड़ाई से गुजरे हैं। मैं यह कहता हूं कि दुनियां के सारे देश जो लोक तंत्र के हिमायती हैं सभी के सामने यह प्रश्न है । जहां पर जनतंत्र है वहां पर विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी कम नहीं है कि सत्ता कौन सा रास्ता अख्तियार करे, आया इन्दिरा गांधी की सरकार टोटलिटेरियन हो जाय, डिक्टेटरशिप के रास्ते पर चले या लोकतंत्र के रास्ते पर चले या और भी किसी व्यवस्था पर चले क्या इसकी जिम्मेदारी केवल सत्तारूढ़ दल पर है या विरोधी पक्ष पर भी है ? जहां तक मैंने जनतंत्र प्रणाली के बारे में पढ़ा है सारे देशों में जहां पर डेमोक्रेसी है, जनतंत्र प्रणाली है, इस विषय पर जितने भी विद्वानों ने लिखा है, उनको मैं यहां पर कोट करता हूं, उन सब ने कहा है, यहां तक कि हेराल्ड लास्की साहब ने कहा है, कि बहुत हद तक संसदीय परम्परा मुल्क में चलती रहे, इसकी जिम्मेदारी विरोध पक्ष पर है । हमारे चौधरी साहब रोना रोते रह गये ।

आज हिन्दुस्तान की तवारीख पर नजर डालें और दिल्ली के तख्त पर जितने लोग बैठ चुके हैं उनकी तरफ आप गौर फरमाये और हम लोग जो अपनी छोटी-छोटी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं एम० एल० ए० और एम० पी० लोग, आप कहते हैं कि इन्दिरा गांधी जो खुद रहना चाहती हैं, उसके बाद संजय को बनाना चाहती है, उसके बाद राहुल को बनाना चाहती है। तो हर शख्स यही चाहता है । अब आपका शासन होगा तो आप ऐसी फजाशाजी दिखलायेंगे कि हमेशा आपका दल राज्य करता रहे। यह कोई बहस नहीं है कि हम क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं । आप हमको चोर कहें और हम आप को भ्रष्ट कहें, यह कोई बहस नहीं है । आज बहस इस बात की है कि आया 26 जून के पहले जो परिस्थिति इस देश में थी, आप कहते हैं कि इमरजेंसी में रेल का रेवेन्यू बढ़ गया, कुछ कांग्रेस के भाई भी कहते हैं और आप उसको दोहराते हैं । अपोजीशन के लोगों ने यह हालत पैदा कर दी थी प्रदेश और देश के अन्दर कि "दि वेरी एग्जिस्टेंस आफ दि स्टेट वाज इन डेन्जर ।"

यह देश रहे या नहीं यह प्रश्न पैदा हो गया । आप क्या कहते हैं और किस से दोस्ती करते हैं, यह मतलब नहीं रखता । जय प्रकाश जी क्या कहते हैं और किससे दोस्ती रखते हैं यह मतलब नहीं रखता था । लेकिन यह मतलब जरूर रखता था कि जय-प्रकाश नारायण जिन्दाबाद, चौधरी चरण सिंह जिन्दाबाद कहने वाले कौन लोग हैं । तमाम वह लोग जो ट्रेन में उकैती डालते थे, जिन पर क्रिमिनल मुकदमें चलते थे वही जय प्रकाश नारायण का झंडा लेकर तमाम उथल-पुथल मचाये हुये थे और यह चाहते थे कि किसी तरह से भी स्थिति काबू में न आये। स्टेट के सामने कोई दूसरा तरीका नहीं रह गया था । इमरजेन्सी के जरिये ही हम और आप मजबूर किये जा सकते थे टिकट खरीदने के लिये । इमरजेन्सी के जरिये से ही इस देश के जन-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

साधारण को मजबूर किया जा सकता था। कानून की पाबन्दी करने के लिये। कौन सा ऐसा कदम राज्य सरकार या केन्द्र की तरफ से उठाया गया जिसको उठाये बिना काम चल सकता था। एक बात मैं पूछना चाहता हूं। इन्दिरा गांधी का मुकदमा जब न्यायालय में गया और उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में हुई, तो दोनों हाथों में आप लड्डू नहीं रख सकते। एक तरफ तो आप अदालत में जाते हैं और दूसरी तरफ कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तजार नहीं किया और पिकेटिंग का फैसला ले लिया, घेराव का फैसला ले लिया। यह क्या तरीका है, क्या यही लोकशाही है, अगर आप अदालत में गये थे तो आपको इन्तजार करना चाहिये था। आपने इन्तजार नहीं किया। जय प्रकाश नारायण ने सन् 54 में विनोबा जी को जीवनदान किया। के0बी0 सहाय की जब मिनिस्ट्री थी बिहार में तो जजों ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था:--

"There was more corruption rampant in K.B. Sahay's Ministry than that in the Ministry of Gaffoor."

गफूर मियां के राज्य में बिहार के अन्दर जितना भ्रष्टाचार था उससे कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार श्री के0 बी0 सहाय के राज्य में था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मैं तमाम कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजेज इसका हवाला देते हैं। और कई जजों ने कहा कि बिहार में बड़ा भारी करप्शन है लेकिन उस समय श्री जय प्रकाश नारायण को नहीं दिखलायी दिया कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। उन को यह कब दिखलायी दिया, जब कि गफूर मियां की मिनिस्टरी आई। और 8 लाख रुपए का अनुदान जो श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित कई संस्थाओं को मिलता था उसे कांग्रेस सत्ता दल ने अपने देश और प्रदेश में आर्थिक संकट आने पर उन अनुदानों को देना बन्द कर दिया। फिर श्री जयप्रकाश नारायण को दिखने लगा कि इस राज्य में बड़ा भ्रष्टाचार है। इसलिए कि गफूर मियां मुसलमान हैं और माइनारिटी के थे इसलिए उनको निकालने का नारा बुलन्द करने लगे और उन्हें भ्रष्टाचार दिखने लगा।

के0 बी0 सहाय के राज्य में उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता था। उस समय जीवन-दान का स्लोगन था किन्तु लोगों को मालूम है और आप भी इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि भूदान आन्दोलन में कौन-कौन से लोग हैं। सारे खदम्बर लोग उसमें हैं जिनको उस जमाने में प्रदेश में कहीं भी जगह नहीं मिली वे ही आचार्य विनोबा के भूदान आन्दोलन में नारा लगाने लगे। आपने जिन-जिन लोगों का नाम बतलाया, उनका सारा खानदान ही गुलामी परम्परा का रहा है और वे कभी भी सही बात नहीं सोच सकते। यह सारा संगठन जो है, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि उनको अमेरिका के फ़ोर्ड फाउन्डेशन व दूसरी अन्य संस्थाओं से करोड़ों रुपए मिले हैं। आखिर यह रुपया इनको कौन देता है और इसको कैसे कहां खर्च किया जाता है? उसके लिए इनका कोई फाइनेंशियल रूल नहीं है और न कोई कायदा कानून ही बना हुआ है। अखबारों में भी निकला है कि ये सारी संस्थाएं मनमाने तौर पर उन रुपयों को खर्च करती हैं। क्या इस तरह से डेमोक्रेसी चल सकती है? मैं डेमोक्रेसी के सम्बन्ध में और कोई हवाला न देकर केवल तुलसीदास जी की एक कड़ी सुना देता हूं--" छूटहिं मल न मलहिं के धोये"। आपको सोचना है कि--वह कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पर चल कर हमारा देश आगे बढ़ सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं चौधरी साहब से कहता हूं कि आज देश की जो हालत है उसकी सारी जिम्मेदारी विरोधी पक्ष की है और जो हालत आपने देश की बना रखी है उसके लिए इतिहास को लिखने वाला कभी भी विरोधी पक्ष को क्षमा नहीं कर सकेगा।

(व्यवधान)

(श्री पुरुषोत्तम कौशिक के कुछ कहने पर।)

श्री उपाध्यक्ष---

श्री कौशिक जी, आपको बाद में बोलने का समय मिलेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न ले कर यही कहूंगा कि विरोध पक्ष की ओर से जो तमाम सारी बातें कही गयी हैं वे प्रासंगिक नहीं थी। सब से बड़ी बात जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है वह 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों में जमीन बांटने की है। सम्भव है कि आपका इसमें विश्वास न हो कि जमीन का बंटवारा किया जाय लेकिन इधर बैठने वाले बहुत से लोगों का भूमि के बंटवारे में विश्वास है जिस वक्त आप लोगों ने यहां बायकाट किया मुझे ऐसा लगा कि विरोध पक्ष उसके लिए प्रदेश की जनता के सामने खेद प्रकट करता है।

यह सारे प्रगतिशील कार्यक्रम जो राज्य सरकार की तरफ से जो कदम उठाये गये हैं उसका इम्पैक्ट, उसका असर उत्तर प्रदेश के जन-साधारण पर क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

आपने एक भी वाक्य नहीं कहा और आपके दल के सारे लोग आज प्रदेश की जनता के सामने मुंह छिपाकर घूमते हैं।

(मेजों को थपथपाने की आवाज ।)

आप संजय गांधी की बात कहते हैं। यह कह रहे हैं, वह कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

हम कहते हैं कि सोने की गुल्ली रखी है । कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई उठा सकता है। आपको तो यह देखना है कि इसकी कैसे हिफाजत की जाय। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो देश की परिस्थिति है उसके बारे में आप सोचते नहीं और कहते हैं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है । यह तो भाई राजकाज है। मुगलों के शासन में किस तरह की बातें होती थी आज तो कुछ भी नहीं होती हैं। जो राजनीति चल रही है उसको आप धीमा कैसे करेंगे ? इसकी तरफ आप ठंडे दिल से सोचें। संजय गांधी चलते हैं तो इतना बड़ा जुलूस चलता है, ऐसी बातें करना कोई माने नहीं रखता है। यह तो विरोधी पक्ष की निष्क्रियता है। यह उसका नतीजा है ।

चौधरी चरण सिंह---

गवर्नमेंट रिर्सोसेज का इस्तेमाल हो रहा है, उसका जवाब नहीं देते हैं। आप खत्म कर लें, तब मैं कहूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

तो अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं समाप्त कर रहा हूं। इमरजेंसी क्यों लगी, इसका क्या कारण था ? इसका एक कारण था कि विरोधी पक्ष ने इस तरह के हालात पैदा किया था जिससे इसका लगाना लाजिमी हो गया था। अराजक तत्वों

[श्री कशीनाथ मिश्र]

ने देश में बगावत और इस तरह की स्थिति पैदा कर दी थी जिससे देश को खतरा हो गया था। आजादी खतरे में हो गयी थी। वेरी इक्जिसटेंस आफ दी स्टेट वाज इन डेंजर। इसलिए नहीं किया गया कि संजय गांधी को बैठाया जाय। स्टेट रिसींसेज की आप बात करते हैं। आप कुछ दिन हुकूमत में रहे हैं। पिछली विधान सभा में बहुगुणा जी ने जो कुछ पहले हुआ था उसको दोहराया था। यह तो कुछ-कुछ रहेगा इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिये।

(इस समय 4 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

चौधरी चरण सिंह--

मिश्रा जी ने एक ब्यूटीफुल बात जो यह कही कि गरीब लोगों के लिए एक कल्याणकारी कानून बना। जमीन के बांटने का मैंने जैसा सुना, उनकी मंशा यह थी कि हम लोगों ने उसका विरोध किया। मैं उसके लिए एक शब्द कहूंगा। जिस वक्त सीलिंग बिल पर बहस हो रही थी, उन दिनों की प्रोसीडिंग निकाल कर देखें। हमने जितने एमेंडमेंट पेश किये थे इसलिए किये थे कि जमींदारी और जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे जमीन निकाले और गरीबों को ज्यादा जमीन मिले। मैं इम्फेसिस के साथ कहता हूं, आप देखिये, जितने अमेंडमेंट दिये हैं उनसे गरीब लोगों के लिए ज्यादा जमीन निकलती थी। प्रोसीडिंग मौजूद हैं।

एक सदस्य---

वाह, वाह।

(हंसी)

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)--

मैं एक बात पूछना चाहता हूं। 30 एकड़ पर आपने ही सीलिंग किया था। 30 एकड़ की सीलिंग। मान्यवर, हमने तो 18 एकड़ किया है, चौधरी साहब यह क्यों भूल गये ?

चौधरी चरण सिंह--

ठीक है, लेकिन वह जो 30 एकड़ मैंने रखा था फरवरी, 1967 में उसका कांग्रेसी लोगों ने विरोध किया था। जो मिनिस्ट्री के अन्दर थे और जो बाहर थे उन्होंने विरोध किया और ऊपर लिखा। दूसरी बात दूसरे सूबों से लैन्ड रिफार्म्स का कम्पेरिजन करें। तीसरी बात जातिवाद कहते हैं तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नमेंट रिसोंसेज के बारे में केवल मुझे कहना है।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, इस पर विस्तार से प्रकाश नेता विरोधी दल ने डाला है, इसलिए मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस देश में बड़े अच्छे कवि दुश्यन्त कुमार हुये हैं। पिछले वर्ष उनका निधन हो गया। अपने निधन के कुछ दिन पूर्व कुछ कवितायें लिखा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में एक बात आई है कि कवि सृष्टा होता है। भारत की मौजूदा परिस्थितियों में दुश्यन्त कुमार की चन्द लाइनें मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो बातें कहीं उसका नक्शा हिन्दुस्तान के सामने है। मैं उन लाइनों को पढ़ देना चाहता हूं जोकि साप्ताहिक हिन्दुस्तान जनवरी, 1975 में छपी थीं :--

अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार,
घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार
बोलना भी है मना सच बोलना तो दर किनार,
इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं,
आदमी या हो जमानत पर रिहा हैं या फरार,
आप बचकर जा सकें ऐसी कोई सूरत नहीं,
रह गुजर घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बे शुमार।

मान्यवर, यह स्थिति है और इसके सम्बन्ध में मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं इतिहास के उस पृष्ठ को एक बार आप के सामने रखना चाहता हूं जब देश में मुगल सल्तनत थी। देश की निरंकुश और सामन्तशाही व्यवस्था में एक विचित्र इतिहास मिलता है। जिस बादशाह के बारे में लोग कहते हैं कि वह पागल और सिर-फिरा था वह है बादशाह तुगलक। वह एक बार अपनी रियाया में उसकी स्थिति को जानने के लिये हाथी पर सवार होकर जा रहा था। ग्रामीण बच्चों ने जिनका स्वभाव चंचल होता है उनको चिढ़ाया। चोबदार के कहने से कुछ बालक तो हट गये लेकिन एक बालक पीछा करता रहा। डीठ राजा ने हाथी रोका और उस बालक को तीन चार कोड़े लगाये। उस समय की व्यवस्था में काजी इन्साफ किया करते थे। वह बालक काजी साहब के यहां अपील लेकर गया। काजी साहब ने फरमान दिया कि जिसने इस निर्दोष बालक के कोड़े लगाये हैं मैं उसको आठ कोड़े की सजा देता हूं। काजी के फरमान को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। उस फरमान को देखते ही बादशाह कुर्सी से उतर पड़ा और सामने आकर कहा कि यह न्यायाधिपति का आदेश हैं। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिये और कोड़े लगवाने के लिए तैयार हो गये। यह उस बादशाह की बात है जिसे लोग पागल और सिरफिरा कहते हैं। मान्यवर, जिस राष्ट्रपिता ने राम राज्य का स्वप्न दिखाया वह तो दूर रहा हम तो यहां रावण राज्य की कल्पना कर रहे हैं। तेरी दुनिया में सबरो और शुकून से हमने बसर कर ली। तेरी दुनिया से भी बढ़कर तेरे दोजख में क्या होगा।" इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री नारायण हरी शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी पक्ष की तरफ से दो तीन बातों की तरफ इशारा किया गया। इमरजेंसी के लिये कहा गया कि विरोध पक्ष के लोगों को बन्द करने के उद्देश्य से यह लगाई गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी हाउस में जिस वक्त इमरजेंसी नहीं थी उस वक्त विरोधी पक्ष का विरोध करने का क्या तरीका था और आज इमरजेंसी में वह कितने संयत हो गये हैं। मैंने अपनी स्वयं आंखों से देखा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय सारा विरोधपक्ष सीटों पर खड़ा और पर्चे फेंके जा रहे हैं। लेकिन आज इमरजेंसी ने उन पर अंकुश किया है और आज यहां की परम्पराओं के अनुसार काम हो रहा है। दूसरी बात यह कही गयी कि चोरी, तालाबंदी, हड़ताल कानून से भी रोकी जा सकती थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अपने विरोध पक्ष के साथियों से कि किसी भी फैक्टरी में जो चाहे झंडा उठाकर, नारा लगाकर किसी फैक्टरी को नहीं चलने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण हरी शर्मा]

देता था। अव्वल नम्बर का गुंडा और कामचोर सारी फैक्टरी को बन्द कर देता था और उत्पादन को ठप्प कर देता था। क्या इमरजेंसी से उन बातों पर रोक नहीं लगी है और उत्पादन नहीं बढ़ा है? क्या फैक्टरीज का उत्पादन नहीं बढ़ा ?

तीसरी बात जो संजय गांधी के बारे में कही गई। वे युवकों के नेता हैं। प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू भी युवकों के नेता थे। उनके अन्दर योग्यता थी, क्षमता थी तो वे प्रधान मन्त्री बने। श्रीमती इन्दिरा गांधी भी अपनी योग्यता के कारण ही देश की नेता और प्रधान मन्त्री बनी हैं। आज विदेशों ने यह महसूस किया है कि अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी का नेतृत्व भारतवर्ष को आज न मिलता तो विदेशों के कुचक्र से देश के सम्मुख कोई भी स्थिति आ सकती थी। प्रजातंत्र में हर एक का हक है कि वह अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी पद पर बैठ सकता है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने दल के विश्वास से, देशवासियों का विश्वास प्राप्त करके यह पद प्राप्त किया है। अगर आज युवक नेता संजय गांधी भी इस विश्वास को प्राप्त करके, अपनी योग्यता और कार्य से युवक नेता बने हैं तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? वह देश के सम्मुख आने वाली किन-किन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं ये सभी चीजें इसमें अपेक्षित होंगी। विरासत में मिलने वाली ऐसी इसमें कोई चीज नहीं है। यह जो कहा गया कि विरासत में ये सारी चीजें मिलती हैं यह बात गलत है। हमारे देश की जनता जो 60 करोड़ है वह हमसे होशियार है और अगर उस जनता ने उनको अपना नेता पसन्द किया है तो वह नेता रहेंगे और जिसको जनता नहीं स्वीकार करती है वह नहीं रहेगा। केवल मुट्ठी भर लोगों के कहने से ही कोई फैसला नहीं किया जा सकता है। जनता स्वयं इस बात का फैसला करेगी। इसी के साथ ही जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, जो भाषण राज्यपाल जी ने दिया है मैं उसका समर्थन करने लिए खड़ा हुआ हूं। अपनी परम्परा के मुताबिक जो बुजुर्ग हैं हमेशा यही लम्बी तकरीरें सुनाया करते हैं। इमरजेंसी के लगने से जहां उनके मन में कुछ पैदा हुआ उसका उन्होंने वर्णन किया। अध्यक्ष जी, मैंने श्री राज्यपाल जी के भाषण को सुना और उसको पढ़ा। उसके बाद मैंने महसूस किया कि राज्यपाल जी ने अपने प्रदेश में चल रही स्थिति के मुताबिक जो 20 सूत्री प्रोग्राम चलाया गया है और उससे क्या प्रगति हुई है और उसकी क्या पोजीशन है उसका वर्णन किया है। जिस तरह से उन्होंने सारे खाके को पेश किया है उसकी सराहना करता हूं। अध्यक्ष जी, दो साल का अर्सा हुआ हम लोगों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का मैनीफेस्टो लेकर एलेक्शन लड़ा था। वह एक अजीब समय था, महंगाई आसमान को छू रही थी, अनुशासनहीनता चारों ओर छाई थी और उसका क्या जिक्र किया जा सकता है। ऐसी हालत में हमने अपने महबूब नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में काम आरम्भ किया। हमने उस समय जनता से कहा था कि गरीबी, बीमारी को मिटा देंगे। हमने यह वायदा किया था कि गरीबों के लिए हम मकान, रोटी और रोजगार मुहइया करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप इस भाषण को कल जारी रखियेगा। आपको अगर 3 मिनट में ही भाषण समाप्त कर देना है तो अभी आप बोलें अन्यथा आप अपने भाषण को कल जारी रखियेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजीत सिंह सेठी---

कल के लिए ठीक है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष ---

नियम 51 के अन्तर्गत कुल चार सूचनायें आज प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री पुरुषोत्तम कौशिक की है, परिवार नियोजन विभाग से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों को फरवरी मास का वेतन न मिलने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में, इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है। दूसरी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा की है, कृष्णा नगर, लखनऊ में आलमबाग के श्री गया प्रसाद सिंह के मकान में तथाकथित अवैध कब्जे से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में। इस पर सवाल किया जा सकता है। तीसरी है श्री हुकुम सिंह की लखनऊ विश्वविद्यालय की एम0डी0 के परीक्षाफलों में तथाकथित भारी घोटाला के सम्बन्ध में। इसे भी केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया गया है। चौथा श्री श्रीनारायण जी का है आपातकालीन स्थिति के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में वह बहस में हिस्सा लेते समय बोल सकते हैं। इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

अब श्री सेठी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अजीत सिंह सेठी---

मैं अपने भाषण में यह बतला रहा था कि हमने जनता से यह वायदे किये हैं कि उसको भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा दवा आदि मुहय्या करेंगे जिनको हम पूरा नहीं कर सके थे। लेकिन हमारी महबूब प्रधान मन्त्राणी इन्दिरा जी ने एक नई रूह फूंकी क्योंकि उनके दिल में एक मुकम्मल इरादा था कुछ कर दिखाने का जनता के सामने। जनता ने प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत मयस्सर कराई। सरकार के सामने कठिनाइयां बहुत थी जिन के वर्णन के लिए बहुत समय चाहिये। पूंजीवाद, जमाखोर, जखीरेबाजी आदि जटिल समस्यायें सरकार के सामने थीं। फिर चारों ओर अनुशासन हीनता थी जहां कि विरोधी दल राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना तक गंवारा नहीं करता था।

इसके अलावा अनुशासनहीनता की और क्या मिसालें बताऊं? इन सब का नतीजा यह था कि देश की नैय्या जो डूबती हुई दिखाई दे रही थी उसके बारे में सोचा जा रहा था कि कौन इसको किनारे लगायेगा। उसको देखते हुए हमारी नेता इन्दिरा जी मैदान में कूद पड़ी और इमरजेंसी लगा दी। जिसका वर्णन मैं आगे करने जा रहा हूं। अनुशासन-हीनता रुक गई सामने खड़ी हो गयी। आये दिन बाजारों में, गलियों में, शहरों में, प्रांतों में जो तूफान आता रहता था वह बहुत कम हो गया। कीमतें जो आसमान को छूने वाली थी और छू रही थीं उन्हें रोक लिया और कम कर दिया अपने उन पक्के इरादों के द्वारा जिससे आज चारों ओर शांति हो गयी। अध्यक्ष जी, उनके इन चमत्कारिक कदमों से आम जनता को जो राहत मिली है वह बहुत ही सराहनीय है।

हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। इस क्षेत्र में भी चमत्कार पेश किये गये। मैं मानता हूं कि चौधरी साहब को कृषि की काफी जानकारी है लेकिन उन्होंने अपने पीरियड में, जब वे चीफ मिनिस्टर थे, कृषि का उद्धार करने का कोई चमत्कार नहीं दिखाया। इन्दिरा गांधी ने कृषि में बड़ा भारी चमत्कार पेश किया है। धरती को बांट कर गरीब किसानों की आवाज को बुलन्द किया है। निर्धारित समय के अन्दर उन्हें मदद दी गई ताकि वे उत्पादन बढ़ा सकें। हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में 16 लाख एकड़ जमीन को खेतिहर मजदूरों में और छोटे किसानों में बांटे जाने के बारे में कहा है।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

यह एक खुशहाली की बात है। किसानों की मकानों से सम्बन्धित समस्याओं की ओर भी और उनका हल निकालने के बारे में भी ध्यान दिया गया है। उसमें प्रगति हुई है। बहुत अधिक संख्या में निर्बल व्यक्ति.....

श्री अध्यक्ष—

कल दो मिनट आप को देंगे। 5 बज गया है।

1975–76 का अनुपूरक अनुदान

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1975–76 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

बजट की अनुपूरक अनुदानों की प्रतियां बांट दी जायं।

(कुछ वक्त कर)

श्री अध्यक्ष—

मेरा ख्याल है कि अब सभी को प्रतियां मिल गई हैं। अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
23 मार्च, 1976।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर]

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	सेवाकाल लगभग
1	2	3	4	5
				वर्ष
1	श्री झींगट प्रसाद ..	..	ए0 एस0 बी0	7-3-50 25
2	श्री भूवर मणि ..	..	वैक्सीनेटर	7-11-44 31
3	,, त्रिवेणी ..	..	,,	2-2-45 30
4	,, जगमोहन लाल ..	..	,,	7-4-46 29
5	,, राम सनेही ..	..	,,	23-6-50 25
6	,, इन्द्रजीत ..	..	,,	7-3-50 25
7	,, राम किशोर ..	..	,,	1-7-51 24
8	,, कल्पनाथ पाण्डेय ..	..	,,	1-12-51 24
9	,, अवध नारायण ..	..	,,	13-8-54 21
10	,, राम आश्रय ..	..	,,	26-11-56 19
11	,, अम्बिका प्रसाद ..	..	,,	10-1-56 19
12	,, रामेश्वर पाण्डेय ..	..	,,	22-1-57 18
13	,, रमजान अली ..	..	,,	16-6-58 17
14	,, जगरनाथ पाण्डे ..	..	,,	16-6-58 17
15	,, छेदी प्रसाद ..	..	,,	16-6-58 17
16	,, रफी उल्लाह् ..	..	,,	18-4-59 16
17	,, राम आशीश ..	..	,,	1-5-59 16
18	,, रामरक्षा सिंह् ..	..	,,	23-4-60 15
19	,, कृष्ण भगवान ..	..	,,	4-10-60 15
20	,, सन्तबली प्रसाद ..	..	,,	1-6-60 15
21	,, शम्भू शरण ..	..	,,	22-5-61 14
22	,, पौहारी सिंह् ..	..	,,	22-5-61 14
23	,, तीरथ प्रसाद ..	..	,,	22-5-61 14
24	,, रामबली गुप्त ..	..	,,	15-4-62 13
25	,, लालजी सिंह् ..	..	,,	1-12-62 13
26	,, कृपा नारायण ..	..	,,	27-4-63 12

1	2	3	4	5
				वर्ष
27	श्री रामबेलास	वैक्सीनेटर	15-2-64	11
28	,, सलीम अली	,,	27-9-65	10
29	,, जगदीश नारायण	,,	6-6-67	8
30	,, महेन्द्र सिंह	,,	6-9-68	7
31	,, सत्यदेव पाण्डे	,,	6-9-68	7
32	,, पारसनाथ	,,	2-9-68	7
33	,, हीरालाल, पेड अप्रेंटिस ..	,,	2-9-68	7
34	,, रामसागर	,,	2-11-68	7
35	,, रामचन्दर चन्द	,,	2-11-68	7
36	,, बिसुनदेव तिवारी	,,	22-12-70	5
37	,, कृपा शंकर	,,	22-12-70	5
38	,, गंगा प्रसाद	,,	1-3-72	3
39	,, बैजनाथ त्रिपाठी	,,	1-8-73	2
40	,, राम सुरेमन उपाध्याय ..	,,	21-2-74	1
41	,, राम	पेड अप्रेंटिस	1-1-74	1
42	,, राम किंकर द्विवेदी	,,	1-1-74	1
43	,, कल्पनाथ (चपरासी) ..	चपरासी	16-4-48	27

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर]

परिशिष्ट 'अ'

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	माप कि0मी0	मार्ग निर्माण की स्थिति				धन जो व्यय हुआ (रुपया)
			मिट्टी का कार्य	सोलिंग	कन्सालीडेशन	पेंटिंग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दातागंज –बेलडांडी	7.025	7.025	6.00	6.00	6.00	4,63,000.00
2	अलापुर––ककराला	5.600	5.600	5.600	5.000	5.400	3,91,339.00
3	सेजनी––हजरतपुर	10.240	10.240	10.240	3.000	3.000	5,94,648.00
4	वजीरगंज––उसैता	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	3,39,405.00
5	बदायूं––बिलसी	24.000	20.000	20.000	..	..	9,69,479.00
6	कादर चौक––गंगपुर	3.500	3.500	3.500	..	..	2,33,545.00
	योग ..	56.865	52.865	51.840	20.500	20.900	29,91,416.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिए नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर]

परिशिष्ट 'क'

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां ने अपनी रिपोर्ट में खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में निम्नवत् निष्कर्ष निकाला है :—

1—3 गांव सभाओं में कूप निर्माण का कार्य बिना क्षेत्र समिति की स्वीकृति के किया गया। किन्तु प्रमुख, क्षेत्र समिति, दोस्तपुर ने यह कार्य अपने दायित्व पर कराया। जिन 3 गांव सभाओं में कूप बनवाये गये हैं वहां कुओं की आवश्यकता थी। फिर भी क्षेत्र समिति की स्वीकृति ले लेनी चाहिए थी।

2—ग्राम सभा ढेमा में पुरानें कुओं की मरम्मत करा कर नया हरिजन कूप के नाम से बाउचर बनवाने और पैसा बांट लेने के आरोप के सम्बन्ध में यह पाया गया कि जहां नया कुआं बना है वहां एक बहुत पुराना कुआं था, जो गिर कर अनुपयोगी हो गया था। नये कुयें का पानी उपयोग में लाया जा रहा है और इस कुयें से बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कुये की बगल में ही हरिजन बस्ती भी है।

3—यह सही है कि खण्ड विकास अधिकारी मार्च, 1972 में रुग्ण हो गये थे तथा इन्होंने अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराया और अस्पताल में भरती होते हुये भी कैश-बुक, जीप लागबुक इत्यादि अभिलेखों पर हस्ताक्षर किये। वास्तव में खण्ड विकास अधिकारी ने जनहित में अपनी बीमारी की हालत में भी अपने दायित्व का निर्वाह किया है।

परिशिष्ट 'ख'

इस मामले की जांच परगनाधिकारी, कादीपुर द्वारा भी करायी गई । उनकी जांच में संदर्भित आरोपों के सम्बन्ध में निम्नवत् निष्कर्ष निकला:--

1--3 गांव सभाओं में कूप निर्माण बिना स्वीकृति के कराने के सम्बन्ध में अनियमितता अवश्य बरती गई । परन्तु बाद में उन कार्यों हेतु अनुमति व प्रस्ताव ले लिये गये ।

2--ढेमा के कुयें के सम्बन्ध में भी यही निष्कर्ष निकला कि पुराने कुयें के स्थान पर ही दूसरा कुआं बनवा दिया गया जिसके पानी से बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं । यह सही है कि जिस स्थान पर यह कुआं बना है वह हरिजन आबादी में नहीं है, परन्तु उस कुयें से सभी लाभान्वित हो रहे हैं ।

3--2 गांवों में जिन स्थानों पर हरिजन पेय कूप बनाये गये हैं वहां से हरिजन आबादी बहुत दूर है ।

4--एक अन्य गांव में हरिजन कूप हेतु पंचायत सेवक को धन अग्रिम के रूप में दिया गया किन्तु सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत पर पंचायत सेवक को निलम्बित करके खण्ड विकास अधिकारी को चेतावनी दी गयी। बाद में पंचायत सेवक ने अग्रिम धन वापिस कर दिया ।

5--खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपनी बीमारी के समय सदर अस्पताल, सुल्तानपुर में भर्ती होते हुये भी कार्य करते रहने के सम्बन्ध में यह पाया गया कि उन्होंने ऐसा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह होने के कारण ही किया किन्तु यह कहना गलत है कि उपरोक्त अवधि का यात्रा भत्ता चार्ज किया ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

गोरखपुर मंडल के प्रादेशिक सहकारी संघ के क्षेत्रीय अधिकारी दो बार गोरखपुर जांच करने गये थे । प्रश्नकर्ता ने तत्कालीन संयुक्त सचिव, सहकारिता को पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 द्वारा लिखा था कि आरोपों की जांच किसी अन्य अधिकारी द्वारा कराई जाय । तदनुसार जांच, जिलाधिकारी, आजमगढ़ को सुपुर्द की गई जिन्होंने परगना अधिकारी,मुहम्मदाबाद आजमगढ़ से जांच कराई और उनकी रिपोर्ट दिनांक 3 मई, 1975 तथा प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र की प्रतियां उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ के सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई । उक्त संघ ने श्री डी0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी फैजाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया है । रिपोर्ट अभी उक्त संघ द्वारा प्रतीक्षित है ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 126 पर)

श्री राजपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन :--

1--श्री भीखालाल, श्री ऊदल, श्री जफर आजमी, श्री फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री रघुनाथ, श्री चन्द्रभान आजाद, श्री राम सजीवन, श्री चन्दन सिंह तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्न बातों का उल्लेख नही किया :--

1--कृषि उत्पादित वस्तुओं के गिरतें हुये दामों को रोकने तथा कृषकों के प्रयोग में आने वाली औद्योगिक उत्पादित वस्तुओं की कीमत में सन्तुलन आने के सम्बन्ध में बढ़े हुये बिजली व सिंचाई की दरों को कम करने के सम्बन्ध में,

2--बढ़े हुये बिजली सिंचाई की दरों को कम करने के सम्बन्ध में,

3--गन्ना के बकाया दाम दिलाने के व चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में,

4--सरकार द्वारा निर्धारित कृषि जन्य वस्तुओं की कीमत दिलाने की उचित व्यवस्था के संबंध में,

5--प्रदेश के कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में,

6--इटावा स्पिनिंग मिल जो बहुत दिन से बन्द पड़ी है के खुलवाने के सम्बन्ध में,

7--हिण्डालको (मिर्जापुर) के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में,

8--आपत्तिकालीन स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर मिल मालिक ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर छटनी मजदूरों की की है उनको वापस काम पर बुलाने व पूंजीपतियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

9--कृषि, बिजली, सिंचाई, पी0डब्लू0डी0 विभाग के हजारों छटनी शुदा कर्मचारियों को काम पर वापस बुलाने के सम्बन्ध में,

10--खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिये प्रभाव मशीनरी बनाने के सम्बन्ध में,

11--ग्रामीण अंचल में खेत मजदूरों व छोटे किसानों को कर्जा मुक्ति के बाद वैकल्पिक कर्जा दिलाने की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में ,

12--नए भूमि असंगतियों का 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो जमीन दी गई है उनके लगान माफी व समुचित सहायता देने के संबंध में ,

13--अल्प संख्यकों को सरकारी सेवा में उचित संरक्षण देने के सम्बन्ध में ,

14--आफिसियल लैन्गवेज ऐक्ट की धाराओं में संशोधन करके उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने के संबन्ध में ,

15--मुस्लिम अस्पसंख्यकों एवं अत्यन्त निर्धन समुदाय के लोगों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधा देने के संबंध में ,

16--प्रदेश के बुनकरों को सस्ते कीमत पर सूत व रंग सप्लाई करके व उनके द्वारा तैयार मालों को उचित मूल्यों पर खरीदने के संबंध में ,

17--देहाती क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षित करने की समुचित व्यवस्था के संबन्ध में,

18--ग्रामीण स्कूलों में उर्दू पढ़ाये जाने की व्यवस्था के संबन्ध में ,

19--प्रतिक्रियावादी, सम्प्रदायवादी, विघटनवादी तत्वों की,साजिशों पर बन्दिश लगानें व उनके गुप्त अड्डों का पता लगाने व उनकी कार्यवाहियों को सख्ती से रोकनें के संबन्ध में,

20--शिक्षा संस्थाओं में पाठ्य-पुस्तकों में जो एक दूसरे सम्प्रदाय के प्रति नफरत पैदा करने वाली पाठ्य सामग्री है उसके निकालनें के संबन्ध में,

21--प्रदेश में बेरोजगारों की समस्या को हल करनें और नए उद्योग धन्धे कायम करने के संबन्ध में ,

22--नौकरशाही द्वारा मनमानी करने और विशेषतया पुलिस द्वारा जनता को परेशान किए जानें के संबन्ध में,

2--श्री रामरति बिन्द--

प्रस्ताव के अन्त में जोड़ दिया जाय :--

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का जिक्र नहीं है :--

1--समाचार-पत्र व रेडियो को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाय कि वह विधान सभा में दिये गये भाषण व सभी कार्यवाही को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर सके ।

2--जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर (भदोही) तथा उसके इर्द-गिर्द कालीन बुनकर बाहुल्य इलाके को मिलाकार अलग से भदोही जिले का निर्माण किया जाय और जब तक जिले का निर्माण न हो सके तब तक ए0 डी0 एम0 (ई) को ज्ञानपुर में बैठने की व्यवस्था की जाय ।

3--भदोही इलाके के इर्द-गिर्द कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों को मजदूर संगठन द्वारा संचालित किये जाने की व्यवस्था की जाय तथा नये लोगों की नियुक्ति तथा नये केन्द्रों को खोलने की जिम्मेंदारी भी मजदूर संगठन के माध्यम से ही करायी जाय ।

4--जनपद वाराणसी के ज्ञानपुर तहसील के कुयें सूख जाने से पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है । पेय जल संकट के निवारण के लिये युद्धस्तर पर कदम उठाये जायं ।

5--कालीन बुनकरों को उनके परिश्रम का पूर्ण अंश दिलाया जाय तथा विदेश व्यापार से प्राप्ति धन में उन्हें उचित अंश देने की अविलम्ब व्यवस्था की जाय ।

6--जनपद वाराणसी की ज्ञानपुर तहसील की ज्ञानपुर-दुर्गागंज सड़क को बरना नदी पर पुल बना कर दुर्गागंज व जंघई बादशाहपुर रोड से मिला दिया जाय तथा ज्ञानपुर रोही, अकोढ़ा रोड व पाली सुरियांवां रोड कारीगांव से जंगीगंज रोड सेमरा कोलापुर रोड तथा ज्ञानपुर खम्हेरिया रोड का जीर्णोद्धार करके कालीन उद्योग को बल प्रदान करनें की व्यवस्था की जाय ।

7--सिंचाई की सुविधा हेतु और अधिक नलकूपों की व्यवस्था की जाय ।

3--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण सत्र, 1976 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों का समावेश नहीं किया है :--

1--यह कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशेषकर देवरिया जिले के आर्थिक पिछड़े पन को दूर करने हेतु तत्काल प्रभावशाली व्यावहारिक योजना लागू करने हेतु ।

2--यह कि देवरिया जनपद की 14 चीनी मिलों के तत्काल अधिग्रहण हेतु तथा उनके बेगास (खाइयों) से बनने वाले मोटे कागज का कारखाना देवरिया जिलें मे खोलने हेतु ।

3--देवरिया जनपद के उत्तरांचल पडरौना तहसील का विशाल भू-भाग जो कि अत्यधिक उर्वर भू-भाग है उसे प्रति वर्ष वाटर लागिंग के कारण होने वाली असाधारण क्षति के रोकने हेतु ।

4--पड़रौना तहसील में गंडक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत गन्डक कमान्ड एरिया में वाटर लागिंग से विशेष प्रभावित क्षेत्र करहिया हजारी पट्टी ताल नावह चंवर, साखूपार चंवर, घोरघटिया चंवर, डुम्मरभवार चंवर, बैजनाथपुर चंवर, बतरडेरा चंवर, बलकुलिया ताल, सिघरिया ताल, सोमलताल, पिपरा तिवारी चंवर, विरहठ चंवर गोइती चवर, सिरसिरा दीक्षित चंवर, सहुआडीह चंवर, मानिकोरा ताल, बबुईया चंवर, अरनहवा चंवर, माधी विशुनपुरा चंवर, आदि खादर क्षेत्र में वाटर लागिंग से हजारों एकड़ फसल जल प्लावित होकर प्रति वर्ष नष्ट होती है । इस गम्भीर क्षति को रोकने हेतु जल निकासी की समुचित व्यवस्था हेतु ।

5--केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की अनवरत उपेक्षा के सम्बन्ध में ।

6--पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये पटेल आयोग के प्रतिवेदन को मूर्त रूप देने के सम्बन्ध में ।

7--पडरौना तहसील में बेंत तथा बांसों की डाली अटैची बनाने के महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग को प्रश्रय देने के सम्बन्ध में ।

8--प डरौना तहसील में तुरहा जाति जिनके जीवन का एक मात्र कुल क्रमागत आधार मत्स्य पालन है' मत्स्य पालन योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक राजकीय सहयोग देने हेतु ।

9--पड़रौना तहसील के दुधई ब्लाक में सन से सुतली बनाने के कुटीर उद्योग में हजारों लोग लगे हैं, किन्तु उन्हें कोई राजकीय सहयोग, प्राप्त नहीं है अतः इस कुटीर उद्योग को प्रश्रय देने हेतु ।

10--पड़रौना तथा हाटा तहसील में खैर के वृक्ष अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं तथा यहां शताब्दियों से खैर बनाने का काम होता है । अतः उस उद्योग को राजकीय सहयोग एवं प्रश्रय हेतु ।

11--पड़रौना तहसील में कटहल का उत्पादन भारत वर्ष में सर्वाधिक होता है, उसके सदुपयोग के लिये लघु उद्योग के क्षेत्र में पडरौना तहसील में व्यावसायिक इकाइयां स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

12--पडरौना तहसील में तथा हाटा तहसील में हल्दी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है । किसानों के कल्याण हेतु हल्दी विकास योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में ।

13--पड़रौना तहसील में सिवरही क्षेत्र में जूट के अत्यधिक उत्पादन के बावजूद भी उपेक्षित राजकीय सहयोग के अभाव में किसानों को अभीष्ट लाभ नहीं मिल पाता, उसकी समुचिता व्यवस्था हेतु ।

14--पडरौना विकास खंड तथा विशुनपुरा विकास खंड में गन्डक प्रोजेक्ट में गन्डक कमान्ड एरिया के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृति 70 किलोमीटर पक्की सड़कों के तत्काल निर्माण हेतु।

15--पडरौना तहसील में पड़रौना से कुरमौल मंसा छापर सड़क, बकुलहा ब्रम्हास्थान इनरही सड़क, सखवलिया, पटेरा, पकड़ियार, मठिया, रोवारी, सड़क तथा बबुईया माधो कोठिलवा चैती मानकौरा अरनहवां सड़क के अनिवार्य निर्माण हेतु तथा विशुनपुरा विकास खंड में किन्नरपट्टी के पास तत्काल बांसी नदी पर पुल बनाने हेतु ।

16--छोटे गन्ना किसानों के गन्ने की गलत पड़ताल तथा उनके साथ गन्ना विभाग द्वारा किये जा रहे अत्याचार के सम्बन्ध में ।

17--गन्ना बिकास परिषदों के समाप्ति के बाद डी0सी0 ओ0, पडरौना द्वारा गन्ना विकास कार्यों में किये गये गम्भीर घोटाले की गुप्तचर जांच हेतु ।

18--पड़रौना तहसील के पिछले उत्तरांचल में अधिकाधिक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के सम्बन्ध में ।

19--वर्ष 1972 में पड़रौना में हुये परिवार नियोजन कार्य-कम में गम्भीर घोटाले के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1975 में अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक परिवार नियोजन, श्री एम० पी० चतुर्वेदी द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी सरकार द्वारा अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में ।

20--आयुर्वेद को अन्य राज्यों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा की ही भांति राजकीय प्रोत्साहन व प्रश्रय देने हेतु ।

21--सरकारी काम-काज में सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कड़ा निर्देश देने हेतु ।

22--प्रदेश में संस्कृत अकादमी का तत्काल गठन करने के सम्बन्ध में ।

23--प्रदेश में बढ़ते हुये भयंकर मद्यपान को पूर्ण रूप से रोकने तथा नियंत्रित करने के सम्बन्ध में ।

24--मई, 1973 में हुये पी०ए०सी० विद्रोह के समय गोरखपुर के बिछिया कैम्प में हुये पी0ए0सी0 विद्रोह को शान्त कराने में गोरखनाथ पीठाधिपति महन्त अवैद्यनाथ की मध्यस्थता को चरितार्थ कराने के सम्बन्ध में ।

25--अगस्त, 1975 से जनवरी, 1975 तक पड़रौना तहसील में लंगडी, गलघोंट, रिंडर पेस्ट आदि संक्रामक पशु रोगों के कारण 25,000 पशुओं की हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय गुप्तचर जांच कराने हेतु ।

26--देवरिया जनपद के पडरौना तहसील में राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं के अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त भवनों के जीर्णोद्धार हेतु ।

27--पडरौना नगरपालिका क्षेत्र में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन के लिये भूमि अधिगृहीत हुये दो वर्ष से अधिक हो गये उस पर तत्काल भवन निर्माण हेतु ।

28--सम्पूर्ण प्रदेश में राजनैतिक बन्दियों को बिना शर्त अविलम्ब रिहाई के सम्बन्ध में ।

29--देवरिया जनपद के पडरौना विकास खंड तथा विशुनपुरा विकास खंड में गन्डक नहर की तीन मुख्य शाखाओं चीफ ब्रांच, खजुरिया ब्रांच, मठिया ब्रांच तथा इनकी सहायक शाखाओं कल्याण छापर, माइनर, रसूलपुर माइनर, मठिया माइनर, गाय घाट माइनर, सांडी माइनर, नौगांबा माइनर, हरपुर राजबहा, जोगिया माइनर, बदरौना माइनर, माघो माइनर, मिश्रौली माइनर, बडहरा, माइनर आदि द्वारा अत्यधिक जल प्रभाव से होने वाली किसानों की गंभीर क्षति के सम्बन्ध में ।

30--प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने हेतु ।

31--प्रदेश में सरकारी गोदामों में लाखों टन अन्न के सड़ जाने से करोड़ों की क्षति के सम्बन्ध में,

32--इस वर्ष होली के राष्ट्रीय पर्व पर नसबन्दी के केस न देने पर लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोक देने से सम्बन्धित ,

33--समस्त सरकारी काम-काज हिन्दी में करने हेतु ।

4--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है :

1--नानपारा तहसील के जनपद बहराइच में पेपर मिल लगाये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जब कि रा-मैटीरियल उपलब्ध है ।

2--उत्तर प्रदेश में हजारों नवयुवक बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग लेकर बेकार हैं उनकी समस्या के निदान के सम्बन्ध में ।

3--नलकूप तथा पंपिंग सेट एजेन्टों द्वारा सरकारी ऋण पर किसानों को बेचे गये इन्जनों के मूल्यों में गड़बड़ी के सम्बन्ध में ।

4--कृषि उपज के मूल्यों की कमी तथा कृषि उपज के साधनों के मूल्यों के बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में ।

5--नानपारा विधान सभा क्षेत्र के बेकारों की बेकारी दूर करने के लिये कोई इंडस्ट्री लगाये जाने के सम्बन्ध में ।

6--जनपद बहराइच की तहसील नानपारा में एक भी डिग्री कालेज नहीं है । नानपारा या मिहीपुरवा में शिक्षा के विकास हेतु डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में ।

7--नानपारा में सरकारी चीनी मिल के निर्माण के सम्बन्ध में ।

8--मिहींपुरवा से नेपाल सीमा स्थित लोकाही तक सड़क व पुल के निर्माण के सम्बन्ध में ।

9--नानपारा तहसील प्रदेश की सबसे पिछड़ी तहसील है, उसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में ।

10--मिहींपुरवा विकास खंड में एक भी महिला इन्टर कालेज नहीं है । मिहींपुरवा में महिला इन्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में ।

11--मिहींपुरवा विकास खंड पर कम से कम 10 शय्या वाला अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में ।

12--जनपद बहराइच के बाजार मिहींपुरवा, जो गल्ले की एक प्रमुख मंडी है, को टाउन एरिया शीघ्र घोषित करने के सम्बन्ध में ।

13--जनपद के कस्बा नानपारा के उप नगरपालिका को नगरपालिका में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

14--तहसील नानपारा में सड़कों के विस्तार के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

15--विकास खंड मिहींपुरवा के मुख्यत: हरिजन गांवों जैसे पड़रिया, पुरैना रघुनाथपुर, चितलहवां और माहा में प्राइमरी पाठशालायें शीघ्र खोले जाने के सम्बन्ध में ।

16--कस्बा नानपारा, जनपद बहराइच में आबादी के अनुसार दवायें तथा स्टाफ अस्पताल में बढ़ाने के सम्बन्ध में ।

5---श्री कमला प्रसाद वर्मा--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1--किसानों को उत्पादन का प्रोत्साहक मूल्य दिया जायेगा तथा खाद, बीज, पानी सुलभ एवं सस्ते दर पर उपलब्ध करायी जायेगी ।

2--बहराइच जिले के सिरसिया विकास खंड में लक्षमनपुर बाजार में महिला चिकित्सालय, विशुनापार पंडवलिया में एक अस्पताल खोला जायेगा तथा हरिहरपुर रानी ब्लाक में जोगढ़ औषधालय भवन निर्माण तथा हरिहरपुर रानी व रामपुर के बीच बड़ा अस्पताल खोला जाबगा और इकौना के ग्राम कोटवा, कोलभार, मंजगवा व नरायन जोत तथा सेमरी तरहर में भी औषधालय खोला जायगा ।

3--बहराइच जिले के इकौना एवं हरिहरपुर रानी ब्लाक के बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर लगान एवं कर मुक्त किया जायगा तथा ब्याज मुक्त तकाबी दी जायेगी ।

4--वर्ष 1974 में उत्तीर्ण सभी बी0 टी0 सी0 उत्तीर्ण क्षात्राध्यापकों को एक माह के अन्दर नौकरी दे दी जायगी ।

5--बहराइच जिले में पांडेपुरवा से इकौना तथा इकौना से लक्षमनपुर बाजार जोखवा होते हुये सिरसिया व तेन्दुवा रतनपुर से ऊधोपुरवा व केरवनिया घाट से गोठवा होते हुये भिनगा तक की पक्की सड़क बनाकर उस पर पड़ने वाली पुलियों का निर्माण कराया जायेगा ।

6--बहराइच जनपद के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये सभी अर्ध निर्मित प्राइमरी पाठशाला भवनों को पूर्ण कराकर नये प्राइमरी पाठशाला भवन भी बनाये जायेंगे ।

7--प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं महंगाई तथा किसान विरोधी भूमि विकास-कर समाप्त किया जायेगा ।

8--व्यापार मुक्त रखा जायेगा ।

9--सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों को दयनीय आर्थिक आधार पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी एवं उन्हें शिक्षा-शुल्क से मुक्त किया जायेगा ।

10--चकबन्दी विभाग के पांच वर्ष से ऊपर कार्यरत सभी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायेगा ।

11--कृषि के प्रति अन्तर्मुखी नीति अपनायी जायेगी ।

12--हर हाथ को काम तथा हर खेत को पानी दिया जायेगा ।

13--बहराइच जिले के भिनगा नगर में लकड़ी का उद्योग एवं कागज का कारखाना खोलकर राहत बेरोजगारों को काम दिया जायेगा ।

6---श्री हुबराज--

प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय:--

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जौनपुर जिले के सिंगरामऊ बाजार में आवश्यक वस्तु संचय अधिनियम के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को पकड़ा गया और विजिलेन्स के एस0पी0 द्वारा भी जिसके भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई थी जिस पर मुकदमा चल रहा था उस मामले को सरकार ने वापस लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है ।

7--श्री गिरिजा शंकर पाठक--

प्रस्ताव के अन्त में जोड़ दिया जाय :--

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का जिक्र नहीं है :

1--सिंचाई--मिर्जापुर के गंगा पचौराघाट पर लिफ्ट द्वारा पानी उठा कर तहसील ज्ञानपुर एवं सदर तहसील, वाराणसी में काशी सहकारी चीनी मिल औराई के किसानों को गन्ना की सघन खेती करने हेतु तथा कम से कम उक्त क्षेत्र में 50 नलकूप और लगाकर चीनी मिल की उपयोगिता देखते हुये कृषकों को सुविधा प्रदान हो ।

2--पेय जल--जनपद वाराणसी के विकासखंड औराई भदोही, सेवापुरी, ज्ञानपुर, डीह, सुरयांवां में पेयजल की कमी से भीषण संकट उत्पन्न हो गया है जो गत सन् 1965 से लगातार यह स्थिति बनी हुई है उसे राहत देने हेतु तत्काल क्रांतिकारी युद्धस्तर पर कदम उठाया जाय ।

3--सड़क--जी0टी0रोड, महराजगंज से चौरी तक 12 किलोमीटर माधोसिंह के खम्हरिया होते हुये चेतगंज 4 किलोमीटर व गोपीगंज से जी0टी0 रोड से जगन्नाथपुर होते हुये बरजीघाट तक व कटका जी0टी0रोड से धमहापुर तक व धमहापुर से कबसेठी रेलवे स्टेशन तक मनहर के बमनौटी होते हुये असनाव तक चौरी बाजार से गांधी घाट तक जी0टी0 रोड मिर्जा-मुराद से बडौरा होते हुये हाथी बाजार तक सेवापुरी से भिटकुरी होते हुये बरनी इन्टर कालेज तक महराजगंज जी0टी0 रोड से नेवड़हियाघाट तक जी0टी0 रोड लालपुर के लहियाडोमनपुर होते हुये की सड़कें मरम्मत एवं पक्की की जायें ।

4--पुल --औराई विधान सभा क्षेत्र में गांधी घाट बरूणा नदी पर एक छोटा सा पुल बनाया जाय ।

5--शिक्षा --जनपद वाराणसी के विकास खंड औराई, सेवापुरी भदोही के अन्तर्गत अभी तक 70 फीसदी लोग अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षित करने हेतु प्रत्येक तीन मील के अन्तर्गत शिक्षा की उचित व्यवस्था हो तथा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जैसे माधों सिंह, घोसिया, खमहरिया पिगरोपुर, गिर्द बड़गांव छतेरी, बरबा आदि बाजारों में उर्दू शिक्षा हेतु राजकीय प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाईस्कूल खोला जाय ।

6--जच्चा-बच्चा केन्द्र --विकास खंड औराई, भदोही, सेवापुरी में महिलाओं के प्रसव के समय उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायतों में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलकर सुविधायें प्रदान की जावें ।

7--कालीन बुनकर --जनपद वाराणसी , तहसील ज्ञानपुर एवं जनपद इलाहाबाद के तहसील हंडिया और फूलपुर व जनपद जौनपुर, तहसील मड़ियाहूं मछलीशहर जनपद मिर्जापुर का कुछ भाग व सदर तहसील वाराणसी के कालीन बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी व उन्हें शिक्षा, दवा आदि की उचित व्यवस्था हो तथा मजदूर एवं मालिकों में चल रहे तमाम मुकदमों का तत्काल निबटारा हो एवं मजदूरों के साथ न्याय करनें की व्यवस्था की जावे तथा विदेशों से मिलनें वाल कालीन उत्पादक मालिकों को कमीशन में से मजदूरों के शेयर देनें की तत्काल व्यवस्था हो ।

8--समाचार-पत्र व रेडियो को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाय कि वह विधान सभा में दिए गए भाषण व सभी कार्यवाहियों को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर सके ।

9--जनपद वाराणसी के तहसील ज्ञानपुर (भदोही) तथा उसके इर्द-गिर्द कालीन बुनकर बाहुल्य इलाके को मिलाकर अलग से भदोही जिले का निर्माण किया जाय और जब तक जिले का निर्माण न हो सके तब तक ए0 डी0 एम0 (ई) को ज्ञानपुर में बैठने की व्यवस्था की जाय ।

10--भदोही इलाके के इर्द-गिर्द कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों को मजदूर संगठन द्वारा संचालित किये जानें की व्यवस्था की जाय तथा नये लोगों की नियुक्ति तथा नये केन्द्रों को खोलने की जिम्मेदारी भी मजदूर संगठनों के माध्यम से ही कराया जाय ।

8--श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डय--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय नें अपने अभिभाषण में निम्नलिखत का उल्लेख नहीं किया है :--

1--चीनी और कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबन्ध में,

2--चीनी मिलों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने की व्यवस्था की जाय ,

3--चीनी मिल मजदूरों को सन् 1974-75 का तत्काल बोनस देने का आदेश जारी किया जाय ,

4--साढ़े बारह एकड़ भूमि पर हदबन्दी लागू करके अतिरिक्त भूमि खेतिहर मजदूरों में वितरित की जाय ,

5--गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के दोनों किनारे बैलसड़ से रिगौली और पनघटिया से करमैनी तक लम्बे-लम्बे बांधों तक का निर्माण का कार्य तुरन्त पूरा किया जाय ,

6--पवहनाले के मुहाने पर गेरुई बुजरूग (तहसील फरेन्दा गोरखपुर) के पास रेगुलेटर लगाया जाय ,

7--धानी ब्लाक के अन्तर्गत राप्ती के कछार में यातायात की सुविधा के लिये करमैनी से पानी तक पक्की सड़कों का निर्माण किया जाय ,

8--लेहड़ा स्टेशन से बड़डार होते हुए कहरौली तक पक्की सड़क को पूरा किया जाय,

9--श्रीनगर ताल और जंग्राजाति ताल (फरेंदा तहसील गोरखपुर) के पानी की निकासी की व्यवस्था करके हजारों एकड़ भूमि को काश्त करने लायक बनायी जाय ,

10--धानी ब्लाक के बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये उद्योग धन्धे खोले जायं तथा बाढ़ से ध्वस्त हुए मकानों की मरम्मत के लिये निकटवर्ती जंगलों से पर्याप्त मात्रा में इमारती लकड़ी तथा आर्थिक अनुदान देने की व्यवस्था की जाय,

11--फरेंदा से बृजमनगंज की सड़क को पक्की कराकर बस सेवा चालू किया जाय,

12--फरेंदा तहसील के आर्थिक पिछड़े पन को दूर करने के लिये बृजमनगंज में कागज और चीनी मिल की स्थापना की जाय ,

13--फरेंदा तहसील के जंगलगुर्दी क्षेत्र में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था की जाय ,

14--लेंहड़ा-स्टेशन के उत्तर की ओर जाने वाली सड़क पर टूटे हुए पुल की मरम्मत कराकर यातायात की असुबिधायें दूर की जायं ,

15--फरेंदा-लुम्बिनी रोड, जो अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग है, को पिच रोड बनाया जाय ,

9--श्री श्रीनारायण--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में निम्न बातों का उल्लेख नहीं किया :--

1--खड्डा, धुधली, रामकोला खेतान आदि मिलों के गन्ने का पुराना बकाया दाम तथा मजदूरों का वेतन, बोनस आदि के तत्काल भुगतान की ।

2--मजदूरों एवं कर्मचारियों की छंटनी तत्काल रोकने तथा छांटे गए कर्मचारियों को तत्काल सर्विस देने की ।

3--छितौनी बांध की स्थायी योजना तुरन्त लागू करने तथा रेता क्षेत्र के बाढ़ से उजड़े हुए लोगों को स्थाई रूप से बसाने तथा उनको रोजी-रोटी की व्यवस्था करने की ।

4--गरीबों, हरिजनों तथा एक एकड़ तक के जोत के खेतिहर मजदूरों को सरकारी ऋण से मुक्त कर उनके लिये बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने तथा बेकारी का भत्ता दिलाने की।

5--देवरिया जिले का उत्तरांचल को सामयिक महत्व का क्षेत्र होने के नाते यातायात की समस्त सुविधायें सुलभ कराकर औद्योगिक विकास एवं आर्थिक सुदृढ़ता को स्थायी योजना प्रभावी ढंग से लागू करनें की ।

6--देवरिया जिले में छोटी गंडक नदी पर गुर्ली, बेलवा, धुधली, कप्तानगंज देवडारा पिपरा, भटनी आदि प्रमुख घाटों पर तत्काल पुलों के निर्माण कराने की ।

7--छोटी गंडक नदी को गहरा कराकर उसके टूटे हुए किनारों को बन्धक कर छोटी गन्डक नदी के बाढ़ से हजारों गांवों को भीषण बाढ़ एवं तबाही से बचाने की ।

8--शिक्षा को अनिवार्य उपयोगी-व्यवसायिक स्वावलम्बी एवं प्रभावी बनाने तथा एक-रूपता लाने के लिये स्वायत्तशासी एवं प्रभावी बोर्ड की स्थापना की ।

9--बेसिक विद्यालयों (जूनियर एवं सीनियर सभी) के भवनों के निर्माण तथा उन्हें आधुनिकतम साज-सज्जा एवं शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराने की।

10--हिन्दी के सर्वांगीण विकास तथा उच्च न्यायालय तक के निर्णय अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखवाने की ।

11--देवरिया जिले में बन्द खड्डा ट्यूबबेल को पुनः चालू कराने की ।

12--बड़ी गंडक नहर में किये गये किसानों के खेतों का बकाया मुआवजा तथा नहरों के पानी से नुकसान होने वाले खेतों के क्षति पूर्ति की।

13--देवरिया जिले के अरोड़ा अल्मोनियम फैक्ट्री के मालिक द्वारा निकाले गए मजदूरों को तत्काल काम दिलाने की ।

14--सवा एकड़ तक के जोत को अलाभकर घोषित कर उन समस्त किसानों को लगान तथा खेती लेवी से मुक्त कराने की ।

15--किसानों को सस्ती दर पर खाद, बीज, बैल, कृषि उपकरण दिलाने की,

16--देवरिया जिले में बड़ी गन्डक नदी के किनारे के रेता क्षेत्र के समस्त भौमिक अभिलेखों को सेहत कराने तथा स्थायी बन्दोबस्त कराने की ।

17--समस्त राजनैतिक बन्दियों को तत्काल मुक्त कराने तथा उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों को वापस लेने की ।

18--सरस्वती शिशु मन्दिरों को व्यवस्थित ढंग से चलाने, उनके अध्यापकों के वेतन आदि की व्यवस्था करने अथवा उनके प्रबन्धकों को पुनः वापस कराने की ।

19--सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने तथा पुलिस के मनमानेपन को नियंत्रित करने की ।

20---हरिजनों एवं गरीबों पर हो रहे अत्याचार को तुरन्त बन्द कराने तथा कचहरियों में उन्हें मुफ्त न्याय दिलाने की,

21---समस्त आन्दोलनकारी अध्यापकों द्वारा आन्दोलन वापस लेने पर उनको सेवाओं में लगाकर उनके परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिये उनके वेतन आदि की पूर्ववत् व्यवस्था कराने की,

22---भूमि वितरण की घांधली को रोकने तथा हरिजनों को बंजर भूमि कृषि योग्य बनाकर देने की ।

23---अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों की सेवायें सुरक्षित कराकर समस्त रिजर्वेशन का कोटा तत्काल पूरा कराने की ।

24---गेहूं का लागत के मुताबिक दाम निश्चित कराने तथा किसानों को लेवी से मुक्त करने की ।

25---विधान सभा एवं विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों को जो जेलों में बन्द है उन्हें तत्काल छोड़ने की ।

10---श्री ऊदल---

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :---

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया है :---

1---वाराणसी जिले के परगना कोलवासला एवं पन्द्रहा में बड़े पैमाने पर सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में,

2---वाराणसी जिले के ब्लाक पिंडरा में लड़कियों के हेतु सिंघोरा, मगारी, रसूलपुर पिंडरा में तथा बड़ागांव ब्लाक के बड़ागांव दादूपुर कुआर एवं ताड़ी बरही, नेवादा, कठिरांव में हाई स्कूल एवं इंटर कालेज खोलने के सम्बन्ध में,

3---वाराणसी जिले के ब्लाक बड़ागांव एवं पिंडारा में क्रमशः बड़ागांव कुन्डी दांदूपुर चानेई बरहीं नेवादा कुवार कठिरांव तथा पिंडार, सिंघोरा, हिरामनपुर मगारी में उर्दू हिन्दी मिक्स प्राइमरी पाठशाला खोलने के सम्बन्ध में,

4---वाराणसी जिले के ब्लाक बड़ागांव में कुवार, कुन्डी, ताड़ी, तथा ब्लाक पिंडरा में ओदार, बावनपुर चिउरापुर तथा थाने रामपुर में जूनियर हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में,

5---वाराणसी जिले के ब्लाक पिंडरा में हिरामनपुर, राजपुर तथा रसूलपुर तथा ब्लाक बड़ागांव में दांदूपुर, कुवार, बरहीं नेवादा मे एलोपैथिक अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में,

6---वाराणसी जिले के एलोपैथिक अस्पताल पिंडरा तथा बडागांव में महिला डाक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में तथा दस बेड की महिला अस्पताल की व्यवस्था के सम्बन्ध मे,

7---वाराणसी जिले की वाराणसी तहसील की कच्ची सड़कों (1) फूलपुर से सिंघरा, (2) मंगारी से चौबेपुर (3) बाबतपुर मंगारी से सिंघारा (4) बावतपुर से रामेश्वर तथा साधोगंज से तेलारी होते हुये दादूपुर । पिंडरा से मंगारी के सम्बन्ध में,

8---वाराणसी जिले की कछवां बड़ागांव रोड में अनेई से कपसेठी तक अधूरे मार्ग के सम्बन्ध में, भदोही-शिवदासपुर मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में बसनी से जमालापुर तक की कच्ची रोड को पक्का करने के सम्बन्ध में तथा थाने रामपुर से अनेई सड़क पिंडरा कठिरांव तथा मौजूवीर-सिंधौरा मार्ग को पूरा करने के सम्बन्ध में, पंचकोशी मार्ग, के अधूरे कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में,

9---गाजीपुर जनपद में गंगा नदी में ताड़ी घाट में बनने वाले पुल के सम्बन्ध में, तथा

जौनपुर जनपद के गोमती नदी में केराकत में पुल बनाने के सम्बन्ध में । वाराणसी जनपद में नाद नदी में स्थान सराय में पुल बनाने के सम्बन्ध में, कुन्डी नाला में कीनपुर में पुल बनाने के सम्बन्ध में वरुणा नदी में सत्तनपुर में पुल बनाने के सम्बन्ध में,

10---वाराणसी जनपद में पेयजल की पूर्ति हेतु अधूरे कार्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में । वाराणसी जनपद में पेयजल के संकट को दूर करने के सम्बन्ध में,

11---नगर महापालिका द्वारा बहुत ज्यादे बढ़ाकर असेसमेन्ट करने तथा पक्षपात करने के सम्बन्ध में ।

11---श्री जफर आजमी---

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया है :---

1---अकिलयतों के सरकारी नौकरी में कोटा मुकर्रर किये जाने की बात,

2---उर्दू जबान का इलाकाई जबान तस्लीम किया जाना,

3---बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाना,

4---किसानों को बिजली, पानी व खाद कम रेट पर दिया जाना,

5---छंटनीशुदा कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेना,

6---बुनकरों द्वारा तैयार किये गये माल की बिक्री को गारण्टी देना ।

12---श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :---

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न बातों का जिक्र नही किया है :--

1---बाराबंकी नगर में राजकीय बालिका इन्टर कालेज की खस्ता इमारत को बनाने के सम्बन्ध में,

2---ग्राम सफेदाबाद से तीरगांव जाने वाली माइनर की पटरी को पुख्ता बनाने के सम्बन्ध में,

3---नवाबगंज क्षेत्र, जनपद बाराबंकी के प्रत्येक गांव की सड़क तक पुख्ता रोड से मिलाने के सम्बन्ध में,

4---सफेदाबाद से सेहारा जाने वाली नहर की पटरी जिस पर खड़ंजा लगा है व खुद भी रहा है, को पूर्णतया पुख्ता बनाने के सम्बन्ध में,

5---बाराबंकी नगरपालिका में बंकी टाउन एरिया व पास पड़ोस के गांव को शामिल करने के सम्बन्ध में,

6---बाराबंकी जनपद में फर्टिलाइजर फैक्टरी खोलवाने के सम्बन्ध में,

7---बुढ़वल शुगर मिल के जिम्मे जो किसानों का अरबों रुपया बाकी है, उसको दिलाने के सम्बन्ध में,

8--शुमली नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में ,

9--लखनऊ से महमूदाबाद (सीतापुर) जाने वाली सड़क को पुख्ता बनाने के सम्बन्ध में ।

10--चिनहट से देवा जाने वाली सड़क को पुख्ता बनाने के सम्बन्ध में,

11--निन्दूरा ब्लाक में कल्यानी नदी की बाढ़ से पीडित हजार व्यक्तियों को राहत दिलाने हेतु खाजा कल्यानी को सही रूप से खुदवाने के सम्बन्ध में,

12--बाराबंकी नगर में जमुरिया नाले में सौमैया व शुगर मिल का जो गन्दा पानी गिरता है और उस नगर का वातावरण दूषित होता है, उसको रोकने के सम्बन्ध में ।

13--श्री चन्दन सिंह--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड दिया जाय :--

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नवनिर्मित ललितपुर जनपद के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों का उल्लेख नही किया :--

1--जनपद में माननीया प्रधानमंत्री के शिलान्यास के तीन साल बाद भी राजघाट बांध का निर्माण-कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है,

2--जाखलोन (जन्दुइगुडा) पम्प लिफ्ट के नाल की खुदाई का काम प्रारम्भ नहीं हुआ,

3--जनपद में इमारती पत्थर की खदानों के केन्द्र धौर्रा की (जहां 5,000 से ऊपर मजदूर काम करते हैं) 8 किलोमीटर सडक को बनाकर देवगढ़-ललितपुर सड़क से नहीं जोड़ा गया,

4--जनपद शिक्षा में अत्यन्त पिछडा होने पर भी पूरा जखौरा, बाइ जाखलौन मडाबरा, कुम्हैडी आदि गांव में हाई स्कूल नहीं खोले गये,

5--सड़कों का निर्माण-कार्य अधूरा पड़ा है,

6--जिले के सड़कों से दूर भीतरी क्षेत्र में नये प्राइमरी हैल्थ सेन्टर नहीं खोले गये,

7--ललितपुर जिला केन्द्र पर सरकारी कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की गई,

8--जिले के अनेक विभागीय कार्यालय नहीं खोले गये ।

14--श्री चन्द्र भान आजाद--

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अंत में निम्नांकित जोड़ दिया जाय:--

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने जनपद बांदा के लिये निम्नांकित तथ्यों का जिक्र नहीं किया है :--

1--बांदा जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में ।

2--आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में ,

3--अतर्रा नगरपालिका में उच्च शिक्षा हेतु कन्या इन्टरमीडिएट कालेज खोलने के सम्बन्ध में ।

4--जिला परिषद् द्वारा संचालित नगरपालिका अतर्रा अस्पताल को राजकीय करने के सम्बन्ध में,

5--नरैनी तहसील के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये लिफ्ट एरीगेशन (नलकूप एवं बांधों द्वारा सिंचाई) के सम्बन्ध में,

6--बांगे नदी में बरछा पुल के निर्माण के सम्बन्ध में,

7--कालीजर बधौला, वारी रोड बदौसा फतेगंज रोड बहेरी, बाया गोखिया, अतर्रा रोड बनिया ताला नदवारा रोड के सम्बन्ध में,

8--केन कैनाल अतर्रा ब्रांच दायी पट्टी में पनगरा कोठी अतर्रा रोड के सम्बन्ध में,

9--जनपद के दूर-दूर फैले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में,

10--बांदा जनपद में चीनी मिल खोलने के सम्बन्ध में,

11--विकास खंड, नरैनी के पंचमपुर बांध में वरोधा नाला का पानी डालने के सम्बन्ध में,

12--गंगऊ बांध के जल स्तर को और बढ़ाने के सम्बन्ध में,

13--कोल्हवां बांध के बन्धवाने के सम्बन्ध में,

14--विकास खंड, नरैनी में बांडो नदी के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में सिंचाई का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में.

15--नरैनी तहसील के सूखे क्षेत्रों के लिये स्थायी पानी पीने के सम्बन्ध में,

16--देहाती क्षेत्रों के लिये बालिकाओं एवं बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में।

17--दूर-दूर के गांवों में अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में।

18--महिला अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में।

15--श्री रघुनाथ--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने बलिया जनपद में निम्नलिखित तथ्यों का जिक्र नहीं किया है--

1--बलिया जनपद में रसड़ा तहसील में चीनी मिल में हरिजनों डाइरेक्टरों के सम्बन्ध में,

2--बलिया जनपद में रसड़ा तहसील में गड़ाताल के पानी के निकास के सम्बन्ध में।

3--बलिया तथा गाजीपुर सीमा पर टोंस नदी सिधागर घाट पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

4--बलिया जनपद के रसड़ा तहसील में सिधागर घाट से पकबा-इनार तक पक्की सड़क बनाने के सम्बन्ध में,

5--बलिया जनपद के रसडा तहसील में आदी धाम चन्द्रवार से राधवपुर पक्की सड़क बनवाने के सम्बन्ध में।

6--बलिया जनपद के रसडा तहसील में पहसा इटौरा मार्ग को पक्का कराने के सम्बन्ध में,

7--बलिया जनपद के रसडा तहसील पिछड़ा एवं असिंचित क्षेत्र होने के बावजूद सिंचाई साधन उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में,

8--बलिया जनपद में रसड़ा तहसील के पिछड़ापन को दूर करने के सम्बन्ध में,

9--बलिया जनपद के रसड़ा तहसील के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल के निर्माण के सम्बन्ध में।

16--श्री राम सजीवन--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया--

1--बांदा जिले में पयस्वनी नदी पर बंमिया, गांव के पास डाइवर्जन बांध बनाकर कैलहा बांध निर्मित करके पाठा रिजर्वायर योजना द्वारा सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराना,

2--बांदा जिले में पयस्वनी नदी पर जोतहरी की दहार और सरधुवा के पास लिफ्ट सिंचाई योजनायें लगाना,

3--सोनपुर और बनकर की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का विस्तार ,

4--मऊ तहसील में बरियारीकलां के पास जमुना नदी पर डेढ़ दो हजार क्यूसिक की लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा अकालग्रस्त करवी-मऊ सब-डिवीजन (पाठा क्षेत्र सहित) के बांधों को पानी देकर सिंचाई सुविधा देना,

5--करबी-बूढ़ा-राजापुर मार्ग का निर्माण,

6--भूमिहीन हरिजनों तथा खेत मजदूरों को गांव समाज की आठ प्रतिशत रिजर्व जमीनों के पट्टे देना और दिये गये पट्टों पर कब्जा दिलाना ।

प्रेस ट्रस्ट

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 19 बी० सभा--(370)--1976--840-- (प्रो०)

प्रदर्श प्रति